योजनाओं का सार-संग्रह

2018

(01.09.2018 को संशोधित किया गया)

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

www.socialjustice.nic.in

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का प्रभार निम्नलिखित मंत्रियों के पास हैः-

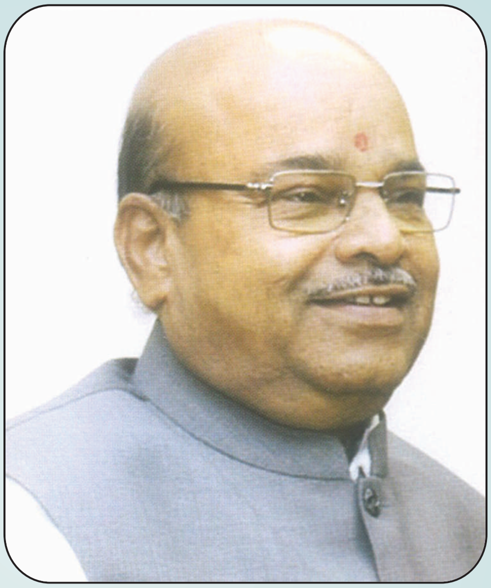

श्री थावरचन्द गेहलोत
(केन्द्रीय मंत्री)
(26.05.2014 से अब तक)

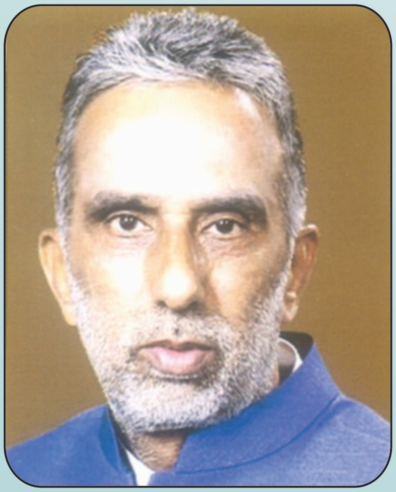

श्री कृष्णपाल गुर्जर
(राज्य मंत्री)
(10.11.2014 से अब तक)

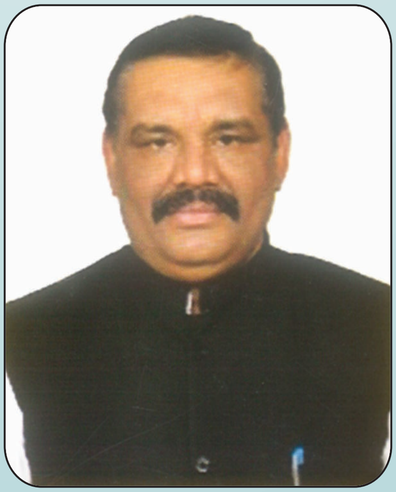

श्री विजय साम्पला
(राज्य मंत्री)
(10.11.2014 से अब तक)

श्री रामदास आठवले
(राज्य मंत्री)
(06.07.2016 से अब तक)

सत्यमेव जयते

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

योजनाओं का सार–संग्रह

2018

(01.09.2018 को संशोधित किया गया)

इस दस्तावेज में मंत्रालय तथा इसके संबद्ध संगठनों की योजनाओं का एक सार दिया गया है

वेबसाइट : http://socialjustice.nic.in

(12.09.2018)

विषय–सूची

क्र. सं.	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
I	प्रस्तावना	vii
II	**अनुसूचित जाति विकास**	**1**
	शैक्षिक सशक्तिकरण की योजनाएं	
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	
1.	कक्षा IX और X में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति योजना	1
2.	सफाई और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्तियां	3
3.	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	4
4.	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)	5
	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं	
5.	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	7
6.	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति	8
7.	अनुसूचित जाति इत्यादि के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	9
8.	अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग	11
	अनुसूचित जातियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की योजनाएं	
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	
9.	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता	13
	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं	
10.	अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए)	14
11.	हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास हेतु स्व–रोजगार योजना	15
12.	अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए उद्यम पूंजी निधि	16
13.	अनुसूचित जाति के युवा तथा स्टार्ट–अप उद्यमियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना	18

क्र. सं.	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
	सामाजिक सशक्तिकरण और एकीकृत क्षेत्र विकास की योजनाएं	
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	
14.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता	19
15.	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	33
	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं	
16.	अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	34
17.	डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान	35
i)	जयन्ती/महापरिनिर्वाण दिवस समारोह मनाना	35
ii)	विश्वविद्यालयों/संस्थानों में डा. अम्बेडकर पीठ	35
iii)	डा. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना	35
iv)	माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 10) हेतु डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय मेधा पुरस्कार योजना	37
v)	अनुसूचित जातियों के वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा 12वीं) परीक्षा के मेधावी छात्रों के लिए डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय मेधा पुरस्कार योजना	38
vi)	एससी/एसटी अत्याचार पीड़ितों के लिए डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय राहत योजना	39
vii)	डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता योजना	40
viii)	महान संतों की जयन्ती योजना	40
ix)	डा. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय सामाजिक परिवर्तन पुरस्कार	41
x)	सामाजिक सद्भाव और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार	42
xi)	अंतर–जातीय विवाहों के माध्यम से सामाजिक एकीकरण हेतु डा. अम्बेडकर योजना	42
xii)	बाबा साहेब अम्बेडकर की संग्रहीत कार्य (सीडब्ल्यूडीए) संबंधी परियोजना	43
xii)	सामाजिक न्याय संदेश	43
18.	डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक	43
19.	डा. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र	43

क्र. सं.	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
20.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	44
21.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	62
III.	**पिछड़ा वर्ग विकास**	
1.	अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति योजना	73
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना	74
3.	अन्य पिछड़े वर्गों के बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण	76
4.	अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी)/विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध–घुमन्तू जनजातियों (डीएनटी)/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के कौशल विकास के लिए सहायता की केन्द्रीय क्षेत्र योजना	78
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप	81
6.	अन्य पिछड़ा वर्गों (अ.पि.व.) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के छात्रों के लिए ओवरसीज अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी संबंधी डॉ. अम्बेडकर योजना	82
7	**विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध–घुमन्तू जनजातियों के लिए योजनाएं**	**84**
i)	डीएनटी छात्रों के लिए डा. अम्बेडकर मैट्रिक–पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	84
ii)	डीएनटी बालक एवं बालिकाओं के लिए नानाजी देशमुख छात्रावास निर्माण योजना	84
8	**आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए योजनाएं**	85
	ईबीसी के लिए डा. अम्बेडकर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	85
9.	**राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम**	**89**
IV.	**समाज रक्षा**	**97**
1.	मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरूपयोग निवारण हेतु सहायता प्रदान करने की योजना	97
2.	समेकित व्यसनी पुनर्वास केन्द्र (आईआरसीए) और क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आरआरटीसी) के कार्य	98
3.	समाज रक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता	100
4.	एकीकृत वृद्धजन कार्यक्रम की योजना – (आईपीओपी जिसका 01.04.2018 से नाम बदलकर एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) किया गया है।	101
5.	राष्ट्रीय वयोश्री योजना	103
V	**प्रशासन**	**105**
	माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की विवेकाधीन निधि से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना।	105
	विभाग की दूरभाष निर्देशिका– 2018	108

प्रस्तावना

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को मुख्यतः देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लक्ष्य समूह के सशक्तिकरण का कार्य सौंपा गया है। इसका उद्देश्य एक ऐसे समावेशी समाज का निर्माण करना है जिसमें लक्ष्य समूहों के सदस्य अपनी उन्नति और विकास के लिए उपयुक्त सहायता प्राप्त करके सक्रिय, सुरक्षित और गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकें। इस प्रयास में, विभाग को शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास तथा पुनर्वास के कार्यक्रमों के माध्यम से, जहां भी आवश्यक हो, अपने लक्ष्य समूह को सहायता प्रदान करने और इनका सशक्तिकरण करने का अधिदेश है। इस विभाग के लक्ष्य समूह हैं: (i) अनुसूचित जातियां, (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग, (iii) वरिष्ठ नागरिक, (iv) मद्यपान तथा नशीले पदार्थ दुरुपयोग के पीड़ित, (v) ट्रांसजेण्डर व्यक्ति, (vi) भिखारी, (vii) विमुक्त तथा घुमन्तू जनजातियां (डीएनटी), (viii) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी)।

इस विभाग के प्रमुख अधिदेश में शामिल हैं:

i. अनुसूचित जातियों के शैक्षिक और आर्थिक विकास सहित उनका सामाजिक सशक्तिकरण;

ii. अन्य पिछड़ा वर्गों, विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध–घुमन्तू जनजातियों के सामाजिक सशक्तिरण के साथ–साथ शैक्षिक तथा आर्थिक विकास;

iii. वरिष्ठ नागरिकों को उनके भरण–पोषण, कल्याण, सुरक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल और उपयोगी एवं स्वतंत्र जीवन–यापन के लिए सहायता;

iv. मद्यपान तथा नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग की रोकथाम और उपचार;

v. ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के सामाजिक सशक्तिकरण के साथ–साथ शैक्षिक और आर्थिक विकास;

vi. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का शैक्षिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण; और

vii. भिखारियों का पुनर्वास

इनका अनेक केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से समाधान किया जाता है। इस सार में, लक्ष्य–समूह के आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक सशक्तिकरण हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा दिया गया है।

अनुसूचित जाति विकास

अनुसूचित जाति विकास

सिंहावलोकन

I. शैक्षिक सशक्तिकरण हेतु योजनाएं

क. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

1. कक्षा IX और X में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तियां
2. सफाई और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तियां
3. अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
4. बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

ख. केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं

5. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप
6. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए "उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा"
7. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति
8. अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग ।

II. आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं

क. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

9. राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता

ख. केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं

10. अनुसूचित जाति उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
11. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास हेतु स्व–रोजगार योजना

अनुसूचित जाति विकास

I. शैक्षिक सशक्तिकरण की योजनाएं

क. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

1. कक्षा IX और X में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति योजना

कक्षा IX और X में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। 2017–18 के दौरान इस योजना में अनुमानतः 25.00 लाख लाभार्थियों को कवर करने के लिए 50 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है। इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i. कक्षा IX और X में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्रों के माता–पिता को सहायता प्रदान करना है जिससे विशेषतः प्रारंभिक से माध्यमिक स्तर के दौरान स्कूल छोड़ने की घटनाएं न्यूनतम हो सकें, तथा

ii. मैट्रिक–पूर्व स्तर के कक्षा IX और X में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्रों की भागीदारी में सुधार करना ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सके तथा उन्हें शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर पर आगे बढ़ने के बेहतर अवसर प्राप्त हो सके।

यह योजना केवल भारत में अध्ययन करने के लिए उपलब्ध है और यह उस राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा दी जाती है, जिससे आवेदक वास्तविक रूप से संबंधित हो ।

पात्रता की शर्तें:

i. छात्र अनुसूचित जाति से संबंधित हो।

ii. उसके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

iii. छात्र को केन्द्र से वित्तपोषित कोई अन्य मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति नहीं मिल रही हो ।

iv. किसी सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या केन्द्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित और पूर्णकालिक छात्र होना चाहिए ।

12. अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए उद्यम पूंजी निधि

13. अनुसूचित जातियों के युवा और स्टार्ट–अप उद्यमियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना

III. सामाजिक सशक्तिकरण और एकीकृत क्षेत्र विकास

क. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

14. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता

15. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

ख. केन्द्रीय क्षेत्र योजना

16. अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक एवं अन्य संगठनों को सहायता अनुदान – 2018

IV. प्रतिष्ठान (मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी संगठन)

17. डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

18. डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक

19. डा. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र

v. किसी भी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति सिर्फ एक वर्ष के लिए ही उपलब्ध होगी। यदि छात्र को कक्षा दोहरानी पड़ती है तो उसे दूसरे (उत्तरवर्ती) वर्ष के लिए उस कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।

आय सीमा

छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जिनके माता–पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय 2,50,000/– रुपये (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।

दिवा छात्रः 225/– रु. प्रति माह
750/– रु. प्रति वर्ष (तदर्थ अनुदान)
छात्रावासीः 525/– रु. प्रति माह
1000/– रु. प्रति वर्ष (तदर्थ अनुदान)
इसके अलावा, लक्ष्य समूह अर्थात दिव्यांग छात्रों के लिए भत्तों का अतिरिक्त प्रावधान है।

आवेदन कैसे करें:

यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। सभी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन समुचित रूप से इस योजना का प्रचार–प्रसार करते हैं तथा राज्य के अग्रणी समाचार पत्रों में स्थानीय भाषा में तथा अपनी संबंधित वेबसाइट के माध्यम से तथा अन्य मीडिया साधनों में विज्ञापन जारी करके आवेदन आमंत्रित करते हैं। आवेदक, आवेदन की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तारीख से पहले पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

राज्य सरकार स्थानीय भाषा में एक उपयुक्त आवेदन प्रपत्र निर्धारित करती है तथा इसे अपनी वेबसाइट पर डालती है। स्कूल प्राधिकारी इन प्रपत्रों को पात्र छात्रों द्वारा भरवाते हैं तथा इन्हें ब्लाक/जिला स्तर के प्राधिकारियों को भेजते हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस योजना के तहत छात्रवृत्तियां संस्वीकृत करने की शक्तियां उपयुक्त जिला/ब्लाक स्तर के प्राधिकारियों/संस्थान के मुखिया, जैसा भी उपयुक्त हो, को सौंपते हैं।

2. सफाई और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्तियां

भारत सरकार, वर्ष 1977–78 से ''अस्वच्छ व्यवसायों'' में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व योजना का कार्यान्वियन कर रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस योजना के कार्यान्वियन के लिए उनकी संबंधित प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त भारत सरकार की ओर से इस योजना के तहत कुल व्यय के लिए शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

उद्देश्यः

इस योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को अपनी मैट्रिक–पूर्व शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है जिनके माता–पिता/संरक्षक निम्नलिखित श्रेणी का कोई कार्य करते हैं :–

i) ऐसे व्यक्ति जो मैनुअल स्केवेंजर अधिनियम, 2013 की धारा 2(आई) (जी) के अंतर्गत यथा परिभाषित मैनुअल स्केवेंजर हैं;

ii) चर्मकार और मृत पशुओं की खाल उतारने वाले;

iii) कूड़ा बीनने वाले;

iv) मैनुअल स्केवेंजर अधिनियम, 2013 की धारा 2(आई)(डी) में यथा परिभाषित घातक सफाई में लगे व्यक्ति।

अध्ययन पाठ्यक्रम और अवधिः

दिवा छात्र के मामले में कक्षा I अथवा किसी अन्य उत्तरवर्ती कक्षा अथवा मैट्रिक–पूर्व स्तर पर नामांकित और छात्रावास में रहकर अध्ययन करने वाले छात्र के मामले में कक्षा–III अथवा मैट्रिक–पूर्व की किसी अन्य उत्तरवर्ती कक्षा में नामांकित छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी जा सकती है। कक्षा X के बाद यह छात्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। किसी शैक्षिक वर्ष में इस छात्रवृत्ति की अवधि दस माह है।

इस योजना के तहत छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं :

दिवा छात्र :

कक्षा I से कक्षा X तक – 225 रुपये प्रति माह, दस माह तक

छात्रावास में रहने वाले छात्र :

कक्षा III से कक्षा X तक – 700 रुपये प्रतिमाह, दस माह तक

इसके अतिरिक्त, सभी दिवा छात्रों को 750 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष और छात्रावास में रहकर अध्ययन करने वाले छात्रों को 1000 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष तदर्थ अनुदान अनुमत्य है। इसके साथ–साथ, दिव्यांग समूह के छात्रों के लिए भत्तों के अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं।

आवेदन करने की पद्धति :

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र का संबंधित विभाग आवेदन फार्म प्रदान करता है जो उस विभाग द्वारा अंतिम तारीख तक संबंधित प्रमाण–पत्र के साथ वापस प्राप्त किया जाता है। एनएसकेएफडीसी को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के बीच समन्वय हेतु नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

3. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार का एकमात्र सबसे बड़ा हस्तक्षेप है। यह योजना 1944 से लागू है। यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी संबंधित प्रतिबद्धदेयता के अतिरिक्त उनके द्वारा किए गए व्यय के लिए शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की प्रतिबद्धदेयता पिछली योजना अवधि के अंतिम वर्ष के दौरान इस योजना के तहत उनके द्वारा किया गया कुल व्यय है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों को प्रतिबद्धदेयता से छूट दी गई है।

उद्देश्यः

इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ बनाया जा सके।

मुख्य विशेषताएंः

वित्तीय सहायता में निर्वाह भत्ता, शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रभारित अप्रतिदेय अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति, बुक–बैंक सुविधा तथा अन्य भत्ते शामिल हैं। यह छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन करने के लिए उपलब्ध है और उस राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती है जिससे आवेदक वास्तविक रूप से संबंधित है।

योजना के मुख्य प्रावधानः

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>मद/घटक</th><th colspan="3">संशोधित दरें (01.07.2010 से प्रभावी)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>पारिवारिक आय की वार्षिक सीमा</td><td colspan="3">चयन वर्ष 2013–14 से 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2.</td><td rowspan="5">मासिक निर्वाह भत्ता (रुपये)</td><td>समूह</td><td>दिवा छात्र</td><td>छात्रावास में रहने वाले</td></tr>
<tr><td>समूह I</td><td>550</td><td>1200</td></tr>
<tr><td>समूह II</td><td>530</td><td>820</td></tr>
<tr><td>समूह III</td><td>300</td><td>570</td></tr>
<tr><td>समूह IV</td><td>230</td><td>380</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अन्य भत्ते (रुपये में)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>3.1</td><td colspan="3">अध्ययन दौरा प्रभार (एक बारगी)</td><td>1600</td></tr>
<tr><td>3.2</td><td colspan="3">थीसिस टाइपिंग/प्रिंटिंग प्रभार (एक बारगी)</td><td>1600</td></tr>
<tr><td>3.3</td><td colspan="3">पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तक अनुदान (एक बारगी)</td><td>1200</td></tr>
<tr><td>3.4</td><td colspan="3">दिव्यांग छात्रों के लिए भत्ता
i) नेत्रहीन छात्रों के लिए मासिक पाठक भत्ता</td><td>240 (समूह I और II)
200 (समूह III)
160 (समूह IV)</td></tr>
</table>

क्र. सं.	मद/घटक	संशोधित दरें (01.07.2010 से प्रभावी)
	ii) दिव्यांग छात्रों के लिए मासिक परिवहन भत्ता (निशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अंतर्गत यथा– परिभाषित) यदि छात्र शैक्षणिक संस्थान के परिसर के भीतर छात्रावास में नहीं रह रहा है।	160
	iii) अत्यधिक दिव्यांगता वाले दिवा छात्रों/निम्नांग दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए मासिक एस्कार्ट भत्ता	160
	iv) किसी शैक्षिक संस्थान के छात्रावास में रह रहे गम्भीर रूप से अस्थि दिव्यांग छात्र, जिसे सहायक की आवश्कता हो, को सहायता प्रदान करने के इच्छुक छात्रावास के किसी कर्मचारी को देय मासिक सहायक भत्ता	160
	v) मंदबुद्धि और मानसिक रोगग्रस्त छात्रों के लिए मासिक कोचिंग भत्ता	240

कैसे आवेदन करें

जैसा कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति के संबंध में पृष्ठ संख्या 2 पर उल्लिखित है।

4. बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)

उद्देश्य

इस योजना के उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, कालेजों, विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों को छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना है। वर्ष 2017–18 के दौरान इस योजना में बालिका छात्रावास के लिए 150 करोड़ रुपये तथा बालक छात्रावास के लिए 5 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन था, जिसमें बालको के लिए 1700 सीटें और बालिकाओं के 100 सीटें होंगीं।

कार्यान्वयन एजेंसियां और पात्रता

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान नए छात्रावास भवनों के निर्माण और मौजूदा छात्रावास सुविधाओं के विस्तार, दोनों के लिए केन्द्रीय सहायता के पात्र हैं। गैर–सरकारी संगठन तथा निजी क्षेत्र के मानित विश्वविद्यालय केवल उनकी मौजूदा छात्रावास सुविधाओं के विस्तार करने के लिए केंद्रीय सहायता के पात्र हैं।

वित्त–पोषण पैटर्न

कार्यान्वयन एजेंसी	केन्द्रीय सहायता घटक	
	बालक छात्रावास	बालिका छात्रावास
राज्य सरकार	50%*	100%
संघ राज्य क्षेत्र प्रशा.	100%	100%
केन्द्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान	90%**	100%
राज्य विश्वविद्यालय/ संस्थान	45% ***	100%
गैर–सरकारी संगठन/मानित विश्वविद्यालय	45%****	90% *(शेष 10% लागत गैर–सरकारी संगठन/ मानित विश्वविद्यालय द्वारा वहन की जाएगी)*

* शेष 50% लागत राज्य सरकार द्वारा बांटी जाएगी।

**शेष 10% लागत का वहन विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा किया जाएगा।

***शेष 55% लागत का वहन विश्वविद्यालय/संस्थान तथा राज्य सरकार के बीच 10:45 के अनुपात में किया जाएगा।

**** शेष 55% लागत का वहन एनजीओ/मानित विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार के बीच 10:45 के अनुपात में किया जाएगा।

संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा एनजीओ/विश्वविद्यालयों को अपने संभावित हिस्से का अंशदान न करने के मामले में इनके हिस्से का वहन भी संबंधित एनजीओ/विश्वविद्यालय को करना होता है। छात्रावासों के लिए लागत मानदंड 3.5 लाख रुपये प्रति सहवासी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए है, उत्तरी हिमालयी राज्यों के लिए 3.25 लाख रुपये प्रति सहवासी हैं और शेष भारत के लिए यह 3.00 लाख रुपये प्रति सहवासी है।

छात्रावासों का रख–रखाव

छात्रावासों के रख–रखाव पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उनकी स्वयं की निधियों से किया जाएगा।

केन्द्रीय सहायता जारी करना

- ❖ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों के मामले में, केन्द्रीय सहायता उनके द्वारा आवश्यक समान अंशदान की वास्तविक निर्मुक्ति सुनिश्चित करने के पश्चात् एक किस्त में निर्मुक्त की जानी चाहिए।
- ❖ कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए अनुमत सहायता अनुदान उन्हें सीधे निर्मुक्त किया जाएगा।
- ❖ गैर–सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र में मानित विश्वविद्यालयों के मामले में, सहायता अनुदान आम–तौर पर दो समान किस्तों में जारी किया जाएगा। दूसरी किस्त, न्यूनतम छत के स्तर तक निर्माण कार्य पूरा होने तथा प्रथम किस्त की राशि के पूर्ण उपयोग के पश्चात उन्हें जारी की जाएगी।

मानीटरिंग और मूल्यांकन

सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) की अध्यक्षता में गठित एक संचालन समिति क्षेत्रीय कार्यान्वयन प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रगति रिपोर्टों के आधार पर नियमित रूप से छात्रावास के निर्माण की भौतिक और वित्तीय दोनों प्रकार की निगरानी करेगी तथा समीक्षा करेगी।

सामान्य प्रावधान

- ❖ इस स्कीम के तहत अनुमत्य केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त प्रत्येक छात्र के लिए एक पलंग, एक मेज तथा एक कुर्सी की व्यवस्था करने के लिए प्रति छात्र 2500 रुपये का एकबारगी अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।
- ❖ यह केन्द्रीय सहायता केवल छात्रावास भवन की लागत को वहन करने के लिए प्रदान की जाती है। यह छात्रावासों के निर्माण लागत की भागीदारी तक सीमित होगी।
- ❖ गैर–सरकारी संगठनों/मानित–विश्वविद्यालयों के मौजूदा छात्रावास के विस्तार से संबंधित प्रस्ताव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से उनकी सिफारिश के साथ भेजे जाएं।
- ❖ छात्रावास का निर्माण कार्य इस मंत्रालय द्वारा परियोजना संस्वीकृति की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करना होगा।
- ❖ छात्रावासों के निर्माण कार्य का निष्पादन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभाग अथवा उनकी एजेंसियों द्वारा किया

जाए।

ख. केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं

5. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप

अनुसूचित जातियों के छात्रों को एम.फिल और पीएच.डी. जैसी डिग्रियों से संबंधित उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम अर्थात राष्ट्रीय फैलोशिप स्कीम शुरू की गई इस स्कीम के तहत विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों तथा वैज्ञानिक अध्ययन संस्थानों में अनुसंधान डिग्री के लिए अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इससे न केवल वे विभिन्न कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में खाली पड़े प्रवक्ता के पदों पर रोजगार प्राप्त करने में सक्षम होंगे अपितु वे नई अर्थव्यवस्था के संदर्भ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते अवसरों का कारगर ढंग से लाभ उठाने में भी समर्थ होंगे।

इस योजना का कार्य क्षेत्र

इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रति वर्ष कुल 2000 फैलोशिप (कनिष्ठ अनुसंधान फेलोशिप) प्रदान की जाती है। इस स्कीम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को शामिल किया गया है और यह स्वयं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यू.जी.सी. फैलोशिप स्कीम के पैटर्न पर कार्यान्वित की जाती है। ये फैलोशिप एम.फिल और पीएच.डी. कर रहे अनुसंधान छात्रों को प्रदान की जा रही हैं।

कार्यान्वयन एजेंसी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) इस स्कीम को कार्यान्वित करने वाला नोडल अभिकरण है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रेस में उपयुक्त विज्ञापन जारी करके इस स्कीम को अधिसूचित करता है।

पात्रता

अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित कोई भी छात्र जो किसी विश्वविद्यालय या अकादमिक संस्थान में दाखिले के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करके किसी विश्वविद्यालय या अकादमिक संस्थान में एम.फिल./पीएच.डी. डिग्री में दाखिल हुआ है, वह यू.जी.सी. के विज्ञापन के अनुसार योजना के प्रावधान के अनुसार पात्र है।

वरिष्ठ अनुसंधान फैलोशिप प्रदान करने के लिए यूजीसी मानक लागू होंगे।

फैलोशिप की अवधि

पाठ्यक्रम का नाम	अधिकतम अवधि	अनुमत्य जे.आर.आफ. और एस.आर.एफ.	
		जे.आर.एफ.	एस.आर.एफ.
एम.फिल	2 वर्ष	2 वर्ष	कोई नहीं
पीएच.डी.	5 वर्ष	2 वर्ष	शेष तीन वर्ष
एम.फिल + पीएच. डी.	5 वर्ष	2 वर्ष	शेष तीन वर्ष

फैलोशिप की दरें

जेआरएफ और एसआरएफ के लिए फेलोशिप की दरें यूजीसी फेलोशिप के समान होंगी। 01.12.2012 से प्रभावी दरें इस प्रकार हैं:

विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में फैलोशिप	प्रथम दो वर्षों के लिए @ 25000 रुपये प्रतिमाह (जेआरएफ) शेष वर्षों के लिए @28000 रुपये प्रतिमाह (एसआरएफ)
इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी में फैलोशिप	प्रथम दो वर्षों के लिए @ 25000 रुपये प्रतिमाह (जेआरएफ) शेष वर्षों के लिए @28000 रुपये प्रतिमाह (एसआरएफ)
मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के लिए आकस्मिक भत्ता	प्रथम दो वर्षों के लिए @ 10000 रुपये प्रतिमाह शेष वर्षों के लिए @20500 रुपये प्रतिमाह
विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी के लिए आकस्मिक भत्ता	प्रथम दो वर्षों के लिए @12000 रुपये प्रतिमाह शेष वर्षों के लिए @25000 रुपये प्रतिमाह
विभागीय सहायता (सभी विषय)	अवसंरचना प्रदान करने के लिए मेजबान संस्थान को 3000 रुपये वार्षिक प्रति छात्र
अनुरक्षी/पाठक सहायता (सभी विषय)	शारीरिक दिव्यांग तथा दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के मामले में @ 2000 रुपये प्रतिमाह

मकान किराया भत्ता (एचआरए) यूजीसी पैटर्न पर होगा और उन विद्यार्थियों के लिए देय होगा जिन्हें छात्रावास सुविधा प्रदान नहीं की गई है। यदि विश्वविद्यालय/संस्थानों द्वारा आवास का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है तो उस छात्र का एचआरए का दावा समाप्त हो जाएगा। अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा सुविधा, मातृत्व अवकाश सहित छुट्टी यूजीसी के दिशा–निर्देशों के अनुसार उनके फैलोशिप कार्यक्रम के मामले अनुसार प्रशासित होंगी।

6. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति

यह स्कीम वर्ष 2005–06 के केन्द्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में तैयार की गई और दिनांक 21 जून, 2007 से लागू है। इसके पश्चात् यह योजना जनवरी, 2012 में संशोधित की गई थी।

उद्देश्य:

इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों को कक्षा 12 के बाद अध्ययन करने के लिए पूरी वित्तीय सहायता प्रदान करके इनमें गुणवत्तामूलक शिक्षा को प्रोत्साहन देना है ।

कवरेज:

- समस्त देश में आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी, वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण संस्थानों और विख्यात चिकित्सा/विधि तथा अन्य उत्कृष्ट संस्थानों सहित उत्कृष्टता के कुल 175 अधिसूचित संस्थान हैं। प्रति वर्ष कुल 1250 छात्रवृत्तियां प्रदान करनी होती हैं। अध्ययन पाठ्यक्रमों में इंजीनियरिंग, चिकित्सा/दन्त चिकित्सा, विधि, प्रबंधन और अन्य विशेषज्ञता आधारित विषय शामिल हैं।
- एक बार प्रदान की गई छात्रवृत्ति संतोषजनक कार्य–निष्पादन के अध्यधीन पाठ्यक्रम के पूरा होने तक जारी रहती है।

आय–सीमा और पात्रता

- इस स्कीम के तहत पात्रता के लिए सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय–सीमा 6.00 लाख रुपये (शैक्षिक वर्ष 2018–19 से) है। किसी संस्थान के पात्र अभ्यर्थियों के चयन का सामान्य मानदण्ड योग्यता होनी चाहिए। तथापि, यदि किसी संस्थान में उपलब्ध अंतिम स्लाट के लिए एक से अधिक छात्रों के बराबर अंक हैं तो निम्नतम वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्र को प्राथमिकता दी जाए।
- अनुसूचित जाति के ऐसे छात्र जिन्होंने संबंधित संस्थानों द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अधिसूचित संस्थानों में प्रवेश लिया है, संबंधित संस्थानों को आवंटित की गई छात्रवृत्तियों की संख्या की सीमा तक इस स्कीम के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं ।
- यह छात्रवृत्ति योग्यता आधारित है और प्रत्येक संस्थान में (अपनी पात्रता की शर्त के अधीन) सर्वोत्कृष्ट छात्र इसे प्राप्त करता है। दाखिल किए गए छात्रों की संख्या छात्रवृत्तियों की संख्या से अधिक होने की स्थिति में छात्रवृत्ति संस्थान–वार परस्पर मेरिट सूची में सर्वोत्कृष्ट छात्र के लिए सीमित की जाएगी । यदि संस्थान को यह पता चलता है कि प्रथम वर्ष में पात्र अभ्यर्थियों की संख्या इसे आवंटित की गई छात्रवृत्ति की संख्या से कम है तो शेष छात्रवृत्तियां अपने संबंधित पाठ्यक्रमों को पूरा करने के शेष वर्षों की अधिक संख्या अर्थात प्रथम वर्ष के छात्र को द्वितीय वर्ष के छात्र की तुलना में तथा इसी क्रम में अन्य को प्राथमिकता दी जानी है, के अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष इत्यादि के छात्रों को प्रदान की जा सकती है।

सहायता की मात्रा

यह छात्रवृत्ति निम्नलिखित के लिए प्रदान की जाती है :

- पूर्ण शिक्षण शुल्क और अन्य वापस न किए जाने वाले प्रभार (प्राइवेट संस्थानों में प्रति छात्र प्रति वर्ष शुल्क की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये और प्राइवेट वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण संस्थानों में प्रति छात्र प्रति वर्ष 3.72 लाख रुपये है)।
- जीवन–यापन व्यय 2220 रुपये प्रति माह प्रति छात्र की दर से ।
- पुस्तक और स्टेशनरी व्यय 3000 रुपये प्रति वर्ष प्रति छात्र की दर से ।
- पूरे सहायक उपकरणों सहित अद्यतन कम्प्यूटर के लिए 45000 रुपये प्रति छात्र एक–कालिक सहायता (जीवन–यापन व्यय, पुस्तकों और स्टेशनरी तथा कम्प्यूटर की लागत वास्तविक व्यय की शर्त के अधीन है) ।

वित्त–पोषण प्रतिमान

अनुसूचित जाति के छात्रों के दाखिले के बारे में अनिवार्य ब्यौरा प्राप्त हो जाने के बाद मंत्रालय सीधे संस्थानों को वार्षिक आधार पर एक किश्त में निधियां जारी करता है।

कैसे आवेदन करें

आवेदक को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से आवेदन करना अपेक्षित है।

7. अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज़ छात्रवृत्ति

इस स्कीम के तहत चयन वर्ष 2018–19 से अध्ययन के निम्नलिखित विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में विदेश में उस देश के किसी प्राधिकृत निकाय

द्वारा प्रत्यायित संस्थानों/विश्वविद्यालय में निष्णात स्तरीय पाठ्यक्रम और पीएच.डी. पूरी करने के लिए अंतिम रूप से चुने गए अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:–

i. इंजीनियरिंग और प्रबंधन;

ii. विशुद्ध विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान;

iii. कृषि विज्ञान और चिकित्सा;

iv. वाणिज्य, लेखा शास्त्र और वित्त; तथा

v. मानविकी, सामाजिक विज्ञान और ललित कला ।

इस स्कीम के तहत निधियों की उपलब्धता की शर्त के अधीन प्रति वर्ष एक–सौ छात्रवृत्ति उपलब्ध होती हैं। प्रति वर्ष 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की जाएगी।

न्यूनतम अर्हता

पीएच.डी. के लिए – संगत स्नातकोत्तर डिग्री में 55 प्रतिशत अंक अथवा समतुल्य ग्रेड

मास्टर डिग्री के लिए – संगत स्नातक डिग्री में 55 प्रतिशत अंक अथवा समतुल्य ग्रेड

आयु

संगत चयन वर्ष के लिए 1 अप्रैल के अनुसार 35 (पैंतीस) वर्ष से कम हो।

आय–सीमा

अभ्यर्थी की सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय 6,00,000 रुपये वार्षिक (छह लाख रुपये वार्षिक) से अधिक नहीं होगी।

वित्तीय सहायता:

क. वार्षिक निर्वाह भत्ते की मात्रा

i) **ब्रिटेन को छोड़कर संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य देशों के लिए**

इस स्कीम के तहत शामिल किए गए सभी पाठ्यक्रमों के लिए 15,400 (पन्द्रह हजार चार सौ) अमरीकी डालर वार्षिक निर्वाह भत्ता निर्धारित किया गया है।

ii) केवल ब्रिटेन के लिए

वार्षिक निर्वाह भत्ता 9,900/– (नौ हजार नौ सौ) ग्रेट ब्रिटेन पाउण्ड निर्धारित किया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, आकस्मिक भत्ते, प्रासंगिक यात्रा भत्ते, टोल कर, वीजा शुल्क, अन्य शुल्क तथा चिकित्सा बीमा प्रीमियम, हवाई यात्रा का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय सहायता के साथ छात्रवृत्ति की अवधि:

निर्धारित वित्तीय सहायता पाठ्यक्रम/अनुसंधान पूरा किए जाने तक अथवा निम्नलिखित अवधि, इनमें से जो भी पहले हो, तक प्रदान की जाएगी :–

1. पीएच.डी. – 04 वर्ष (चार वर्ष)

2. मास्टर डिग्री – 03 वर्ष (तीन वर्ष)

कैसे आवेदन करें

आवेदन प्रपत्र सहित विज्ञापन रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है और विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। विज्ञापन में दिए अनुसार आवेदक को विधिवत भरे आवेदन की हार्डकापी भेजना अपेक्षित है।

8. अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से अलाभप्राप्त अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को गुणात्मक कोचिंग प्रदान करना है ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं मे भाग लेने तथा सरकारी/गैर सरकारी क्षेत्र में उपयुक्त नौकरी पाने के लिए उनको समर्थ बनाया जा सके।

कोचिंग के लिए पाठ्यक्रम

कोचिंग निम्नलिखित के लिए प्रदान की जाती है:

- ❖ संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा संचालित समूह क और ख परीक्षा;
- ❖ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित समूह क और ख परीक्षा;
- ❖ बैंक, बीमा कम्पनी और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा संचालित अधिकारी ग्रेड परीक्षा
- ❖ निम्नलिखित में प्रवेश के लिए प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं में:
  - क) अभियांत्रिकी (उदाहरणार्थ आईआईटी–जेईई और एआईईईई),
  - ख) मेडिकल (उदाहरणार्थ एआईपीएमटी),
  - ग) व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे प्रबंधन (कैट) और विधि (अथार्त सीएलएटी); तथा
- ❖ पात्रता परीक्षाएं/परीक्षाएं जैसे एसएटी, जीआरई, जीएमएटी और टीओईएफएल ।

नाम–सूची (एम्पैनलमेंट) की अवधि:

तीन वर्ष के लिए नाम–सूची प्रारंभ की गई है। प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं।

कार्यान्वयन एजेंसियां

इस योजना का कार्यान्वयन निम्न द्वारा संचालित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों/केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा–

- ❖ केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/पीएसयू/केंद्र/राज्य सरकार के अधीन स्वात्तशासी निकाय;
- ❖ मानित विश्वविद्यालयों तथा संबंधित प्राधिकरणों द्वारा मान्यताप्राप्त निजी विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालय (केन्द्रीय और राज्य दोनों); और

❖ पंजीकृत निजी संस्थाएं/एनजीओ।

संस्थाओं का चयन

❖ कोचिंग संस्थाओं के नामांकन के लिए प्रस्ताव एक चयन समिति द्वारा विचारित और अनुशंसित तथा विगत के उनके कार्य–निष्पादन तथा अन्य मानदंडों के आधार पर चयन के लिए अनुशंसित किए जाएंगे। संस्थाओं का अंतिम चयन, चयन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर मंत्रालय द्वारा किया जाएगा ।

❖ चयनित संस्थाएं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ प्रस्तावित पाठ्यक्रमों, शर्तों और निबंधनों, शुल्क संरचना, स्लाट की संख्या, पाठ्यक्रमों की अवधि, उपयोग प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत करने के संबंध में एक करार सम्पन्न करेंगी।

❖ चयनित कोचिंग संस्थाएं मंत्रालय के साथ सम्पन्न उनके करारों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए नामांकित होंगी।

वित्तपोषण पैटर्न

❖ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एससी/ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए प्रदान की गई कोचिंग की समस्त व्यय की निधि का वहन करेगा ।

❖ छात्रों के लिए वजीफे की वांछनीय राशि के साथ सहायता अनुदान को सीधे संबंधित संस्थाओं/केन्द्रों को जारी किया जाएगा।

❖ संबंधित संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष दो समान किस्तों में अनुदान सहायता जारी की जाएगी।

❖ दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए सहायता अनुदान केवल देय उपयोग प्रमाण पत्र, पूर्ववर्ती वर्ष में कोचिंग प्राप्तकर्त्ता छात्रों की सूची, छात्रों के लिए भुगतान किए गए वजीफे का ब्यौरा, पूर्ववर्ती वर्ष की निधियों के संबंध में लेखापरीक्षित लेखा और पूर्ववर्ती वर्ष के कोचिंग प्राप्त छात्रों के कार्यनिष्पादन की प्राप्ति के उपरांत नामांकित संस्थाओं को जारी की जाएगी ।

फीस की राशि:

फीस की राशि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और कोचिंग संस्था के बीच करार में यथा सहमत संस्था को मंत्रालय द्वारा अदा की जाएगी।

अभ्यर्थियों का अनुपात

इस योजना के अंतर्गत कोचिंग प्रदान किए जाने वाले अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों का अनुपात 70:30 होगा। अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के मामले में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस अनुपात में ढील दे सकता है ।

पात्रता मानदंड और लाभार्थी छात्रों का चयन:

❖ छात्रों को कोचिंग संस्था द्वारा निर्धारित शैक्षिक मानदंडों के आधार पर उस संस्था द्वारा चयनित किया जाना चाहिए। संस्था एससी/ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए इन मानदंडों को शिथिल कर सकता है ।

❖ एससी और ओबीसी के केवल वे छात्र जिनकी सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय 6 लाख रुपये अथवा इससे कम प्रतिवर्ष है, इस योजना के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र होंगे।

- ❖ इस योजना के अंतर्गत लाभ, अवसरों की संख्या पर ध्यान न देते हुए, किसी विशिष्ट छात्र द्वारा दो बार से अधिक प्राप्त नहीं किए जाएंगे ।
- ❖ जहां परीक्षा दो चरणों अर्थात प्रारंभिक और मुख्य में आयोजित की जाती है, अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग हेतु पात्र होंगे। वे अपनी सुविधा के अनुसार प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षाओं हेतु, प्रत्येक के लिए दो अवसरों तक, निःशुल्क कोचिंग के लिए पात्र होंगे। तथापि, साक्षात्कार के लिए कोचिंग हेतु अवसरों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया है ।

वजीफाः

कोचिंग में भाग लेने के लिए स्थानीय छात्रों के लिए 2500 रुपये प्रति छात्र मासिक वजीफे का भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार, बाहर से आने वाले छात्रों के लिए 5000 रुपये प्रति छात्र मासिक भुगतान किया जाएगा ।

विशेष भत्ताः

दिव्यांग छात्र (40% दिव्यांगता अथवा इससे अधिक) भी वाचक भत्ता, एस्कार्ट भत्ता, सहायक भत्ता इत्यादि के लिए 2000 रुपये प्रति छात्र प्रति माह के विशेष भत्ते हेतु पात्र होंगे।

II. अनुसूचित जातियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की योजनाएं

क. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

9. राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता

अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसी) की इक्विटी शेयर में 49:51 (केन्द्रःराज्य) के अनुपात में भागीदारी हेतु केन्द्र सरकार की प्रायोजित योजना वर्ष 1978–79 में आरंभ की गई थी। फिलहाल, एससीडीसी 23 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालन कर रहा है ।

एससीडीसी का प्रमुख प्रकार्य अनुसूचित जाति के पात्र परिवारों की पहचान करने एवं उन्हें आर्थिक विकास योजनाएं प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करना है, ऋण सहायता हेतु वित्तीय संस्थाओं के लिए योजनाओं को प्रायोजित करना, कम ब्याज दर पर मार्जिन राशि तथा सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि पुनर्भुगतान देयता कम हो सके और अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ आवश्यक सम्बद्धता स्थापित हो सके। एससीडीसी लक्ष्य समूह को मार्जिन राशि ऋण तथा सब्सिडी के माध्यम से ऋण और इनपुट प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

एससीडीसी रोजगारोन्मुख योजनाओं को वित्तपोषित करता है जिसमें (i) लघु सिंचाई सहित कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप, (ii) लघु उद्योग (iii) परिवहन तथा (iv) व्यापार और सेवा क्षेत्र कवर होते है । एससीडीसी अपनी स्वयं की निधि से मार्जिन राशि और अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता से सब्सिडी के साथ एनएसएफडीसी/बैंकों से विस्तृत ऋण घटक के द्वारा परियोजनाओं का वित्त पोषण करता है ।

निधियां निर्मुक्त करने संबंधी क्रियाविधि

इस योजना में निधि प्रवाह निम्नानुसार है:

एससीडी ब्यूरो (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार)

↓

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

↓

राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम

योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित वेबसाइट पर दिया गया है:

http://socialjustice.nic.in/scdc.php अथवा www.nsfdc.nic.in/#

ख. केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं

10. अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए)

अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) की योजना केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जो वर्ष 1980 में प्रारंभ हुई। इसके अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी अनुसूचित जाति उप योजना के अतिरिक्त 100% अनुदान दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक विकास की परिवार उन्मुख योजनाओं को बल देना है।

निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है:

एससीएसपी के लिए एससीए के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करने के लिए मानदंड	
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जाति जनसंख्या	40%
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का सापेक्षिक पिछड़ापन	10%
गरीबी रेखा से ऊपर लाने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए राज्य योजना में संयुक्त आर्थिक विकास कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति परिवारों का प्रतिशत	25%
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसूचित जाति जनसंख्या के प्रतिशत की तुलना में वार्षिक योजना में एससीपी का प्रतिशत	25%

इस योजना की प्रमुख विशेषताएं:

- इस योजना के अंतर्गत निधियां एससीएसपी को कार्यान्वित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजक के रूप में प्रदान की जाती है।
- इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आर्थिक विकास पर बल देना है ताकि उन्हें स्वरोजगार अथवा प्रशिक्षण के द्वारा गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके।
- इस योजना के अंतर्गत अनुमत सब्सिडी की राशि, अधिकतम 10,000 रुपये प्रति लाभार्थी के अध्यधीन, परियोजना लागत की 50% है।

- ❖ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी एससीएसपी के लिए एससीए निधि की कम से कम 10% राशि का कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाना है।
- ❖ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को जारी कुल राशि के 10% तक का उपयोग 50% अथवा इससे अधिक की अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले गांवों में अवसंरचना विकास के लिए किया जा सकता है।
- ❖ एससीए का न्यूनतम 15% राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं की लिए उपयोग किया जाना है ।

निधियां निर्मुक्त करने संबंधी क्रियाविधि

इस योजना में निधि प्रवाह निम्नानुसार है:

एससीडी ब्यूरो (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार)

↓

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

↓

राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम

लाभार्थियों द्वारा योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने संबंधी क्रियाविधि:

योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र लाभार्थियों को जिला कलेक्टर तथा राज्य सरकारों से सम्पर्क करना होगा। योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित वेबसाइट पर दिया गया है:

http://socialjustice.nic.in/scatoscp.php

11. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास हेतु स्व–रोजगार योजना

''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना" हाथ से मैला उठाने वाले शेष कर्मियों और उनके आश्रितों का पुनर्वास करने के उद्देश्य से जनवरी, 2007 में आरंभ की गई थी।

मुख्य विशेषताएं:

इस योजना को "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 (एम एस अधिनियम 2013)" के अनुरूप हाल ही में नवम्बर 2013 में संशोधित किया गया है। इस योजना के तहत, अभिज्ञात लाभार्थियों को रियायती ब्याज दर (प्रतिवर्ष 4–6%) पर ऋण सम्बद्ध पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है ।संशोधित योजना के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है:–

- ❖ किसी एक परिवार के हाथ से मैला उठाने वाले एक कर्मी को 40,000 रू. एक बारगी नकद सहायता ।
- ❖ 15.00 लाख रुपये की राशि की स्व–रोजगार परियोजना स्थापित करने के लिए 3.25 लाख रू. की राशि की पूंजीगत सब्सिडी।
- ❖ लाभार्थियों के रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु विपणीय कौशलों में उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के उदार प्रावधान ।उन्हें प्रशिक्षण की अवधि, जो दो वर्ष तक बढ़ सकती है, के दौरान प्रतिमाह 3000/–रू. की वजीफा राशि प्रदान की जाती है।

निधियां निर्मुक्त करने संबंधी क्रियाविधि

इस योजना में निधि प्रवाह निम्नानुसार है:

एससीडी ब्यूरो (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार)

↓

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम

↓ ↓

लाभार्थी (एकबारगी सहायता) | राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां

↓

लाभार्थी (ऋण इत्यादि)

लाभार्थियों द्वारा योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने संबंधी क्रियाविधि:

सभी पात्र लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु राज्य सरकारों/राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से सम्पर्क करें। योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित वेबसाइट पर दिया गया है: socialjustice.nic.in अथवा www.nskfdc.nic.in

12. अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए उद्यम पूंजी निधि:

सरकार ने 2014–15 के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए एक उद्यम पूंजी निधि स्थापित की थी। यह योजना आईएफसीआई लि. द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य उन अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है जो नवप्रवर्तन और उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रति उन्मुख हैं और अनुसूचित जाति उद्यमियों के लिए रियायती ऋण प्रदान करना है।

पात्रता मानदंड:

- ❖ यूनिट में लगी धनराशि से परिसंपत्ति सृजन सुनिश्चित करते हुए विनिर्माण, सेवा सेक्टर तथा संबद्ध क्षेत्रों में स्थापित की जा रही परियोजनाएं;
- ❖ योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार वित्तपोषण हेतु स्टार्ट–अप भी पात्र होंगे।
- ❖ महिला तथा अनुसूचित जाति के दिव्यांग उद्यमी को वरीयता दी जाएगी।
- ❖ न्यूनतम मौजूदगी तथा शेयरधारिता मानदंड।
  - – **यदि सहायता 50 लाख रुपये से कम हो** – प्रबंधन नियंत्रण के साथ विगत छह माह के लिए अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा न्यूनतम 51% शेयरधारिता वाली कंपनियां अथवा एक नई कंपनी, बशर्ते कि नई कंपनी सुदृढ़ कारोबार मॉडल के साथ प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत निगमित एकल स्वामित्व वाली फर्म अथवा भागीदारी फर्म अथवा एक व्यक्ति की कंपनी (ओपीसी) अथवा सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अथवा अन्य किसी स्थापना की एक उत्तरवर्ती कंपनी है जो छह माह से अधिक समय से प्रचालनरत है, और पूर्ववर्ती कंपनी में प्रबंधन नियंत्रण के साथ अनुसूचित जाति के प्रवर्तकों की न्यूनतम 51% शेयरधारिता है।
  - – **यदि सहायता 50 लाख रुपये से अधिक हो** – प्रबंधन नियंत्रण के साथ विगत 12 माह के लिए अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा न्यूनतम 51% शेयरधारिता वाली कंपनियां अथवा एक नई कंपनी, बशर्ते कि नई कंपनी सुदृढ़ कारोबार मॉडल के साथ प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत निगमित एकल स्वामित्व वाली फर्म अथवा भागीदारी फर्म अथवा एक

व्यक्ति की कंपनी (ओपीसी) अथवा सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अथवा अन्य किसी स्थापना की एक उत्तरवर्ती कंपनी है जो 12 माह से अधिक समय से प्रचालनरत है, और पूर्ववर्ती कंपनी में प्रबंधन नियंत्रण के साथ अनुसूचित जाति के प्रवर्तकों की न्यूनतम 51% शेयरधारिता है।

- ❖ अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

वित्तीय सहायता का स्वरूपः

- ❖ इक्विटी/ वैकल्पिक/अनिवार्य परिवर्तनीय अधिमान शेयर (कारपस का अधिकतम 25% तक)
- ❖ इक्विटी सम्बद्ध ऋण लिखत (इक्विटी लिंक्ड डेब्ट इंस्ट्रूमैंट्स) जैसेः
  - ➢ अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर;
  - ➢ वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर;
  - ➢ अपरिवर्तनीय डिबेंचर इत्यादि।
- ❖ ऋण/गौण ऋण

वित्त पोषण प्रतिमानः

- ❖ **5 करोड़ रुपये तक वित्तीय सहायता** – इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश परियोजना लागत के अधिकतम 75% तक वित्तपोषित होना चाहिए और परियोजना लागत का शेष 25% प्रवर्तकों द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।
- ❖ **5 करोड़ रुपये से अधिक वित्तीय सहायता** – इस श्रेणी के अंतर्गत परियोजना लागत की अधिकतम 50% राशि तक के निवेश का वित्त–पोषण किया जाएगा और परियोजना लागत का शेष 25% बैंक/अन्य संस्था द्वारा वित्त–पोषित किया जाना है। परियोजना लागत का शेष 25% प्रवर्तकों द्वारा वित्त–पोषित किया जाएगा।

प्रत्याशित प्रतिफल (रिटर्न)

- ❖ इक्विटी लिखतों से प्रति वर्ष 15% प्रतिफल प्राप्त हो सकता है।
- ❖ ऋण/परिवर्तनीय लिखत (इंस्ट्रूमेंट्स) 8% प्रतिवर्ष की दर से प्रतिफल दे सकती हैं। महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए यह उद्यम 7.75 प्रतिशत की दर से होगा।

योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित वेबसाइट पर दिया गया हैः

www.ministryofsocialjustice&empowerment.gov.in/socialjustice.nic.in अथवा www.socialjustice.nic.in/schemelist/send/38?mid=24541

योजना के अंतर्गत निधि की संस्वीकृति हेतु कार्यविधि :

योजना के अंतर्गत प्राप्त किसी प्रस्ताव को दो समितियों के समक्ष रखा जाएगा :

जांच समिति : समिति यह जांच करेगी कि क्या प्रस्ताव पात्रता मानदंड पूरा कर रहा है ।

निवेश समिति : पात्रता मानदंड पूरा होने पर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। यह समिति सहायता की प्रमात्रा पर निर्णय लेगी। संस्वीकृति के पश्चात संस्वीकृति की शर्तों के साथ–साथ आशय पत्र जारी किया जाएगा।

लाभार्थियों द्वारा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यविधि :

भावी उद्यमी निम्नलिखित दस्तावेजों/सूचना के साथ आईएफसीआई लि. को आवेदन कर सकते हैं :–

i) अनुसूचित जाति का होने का दस्तावेजी साक्ष्य।

ii) कंपनी का नाम

iii) परियोजना की अवधि

iv) निवेश का आकार

v) प्रत्याशित प्रतिफल के बारे में सूचना

vi) परियोजना की समय सीमा

vii) वर्तमान वित्तीय संरचना

viii) अनुमानित लाभ

ix) अनुभव

(ब्योरे हेतु आईएफसीआई उद्यम पूंजी निधि लिमिटेड से संपर्क करें :– दूरभाष सं.+91–11–2645334, 26444932 वेबसाइट : www.ifciventure.com/www.vcfsc.in/funds@ifciventure.com).

13. अनुसूचित जाति के युवा तथा स्टार्ट–अप उद्यमियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना:

अनुसूचित जाति के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना 2014–15 में आरंभ की गई थी। यह योजना आईएफसीआई लि. द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत उन अनुसूचित जातियों के युवा और स्टार्ट–अप उद्यमियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी हेतु निधियां आवंटित की जाती हैं जो नव मध्य वर्ग श्रेणी का भाग बनने की आकांक्षा रखते हैं। इसका उद्देश्य समाज के निम्नतर स्तर में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों में विश्वास सृजित करने के अलावा रोजगार सृजित हो सके।

पात्रता मानदंड:

- ❖ किसी राज्य/केन्द्रीय सरकार की सब्सिडी/अनुदान योजना के अंतर्गत किसी यूनिट में लगाई गई निधि से परिसंपत्ति सृजन सुनिश्चित करते हुए प्राथमिक, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में अनुसूचित जातियों द्वारा स्थापित, संवर्धित तथा संचालित उद्यम, परियोजनाएं/एकक;
- ❖ गत 6 माह से प्रबंधन नियंत्रण के साथ अनुसूचित जाति उद्यमियों/प्रवर्तकों/सदस्यों द्वारा 51% शेयरधारिता से अधिक पंजीकृत कंपनियां और सोसाइटी/पंजीकृत भागीदारी फर्म/एकल स्वामित्व वाली फर्म/व्यक्तिगत अनुसूचित जाति उद्यमी।

गारंटी कवर की धनराशि: गारंटी कवर की धनराशि निम्नानुसार होगी:

मानदंड	ऋण धनराशि (करोड़ रुपये)			
	0.15 से 1.00	1.00 से 2.00	2.00 से 5.00	5.00 से अधिक
गारंटी कवर की धनराशि	संस्वीकृत सुविधा का 100%	संस्वीकृत सुविधा का 80%	संस्वीकृत सुविधा का 70%	संस्वीकृत सुविधा का 60%

गारंटी बाध्यता	गारंटी कवर की अधिकतम धनराशि के अध्यधीन चूक की धनराशि का 100%	गारंटी कवर की अधिकतम धनराशि के अध्यधीन चूक की धनराशि का 80%	गारंटी कवर की आकितम धनराशि के अध्यधीन चूक की धनराशि का 70%	गारंटी कवर की अधिकतम धनराशि के अध्यधीन चूक की धनराशि का 60%
उपलब्ध न्यूनतम कवर	0.15	1.00	1.60	3.50
उपलब्ध अधिकतम कवर	1.00	1.60	3.50	5.00

गारंटी की अवधिः अधिकतम 7 वर्ष अथवा पुनर्भुगतान अवधि, जो भी पहले हो ।

अधिकतम गारंटी कवरः अधिकतम धनराशि 5.00 करोड़ रुपये। शब्द 'ऋण' में अनुसूचित जाति उद्यमियों के लिए पूर्ण रूप से स्वीकृत सावधि ऋण/संयुक्त सावधि ऋण कवर होगा ।

योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित में दिया गया है : www.ministryofsocialjustice.&empowerment.gov.in/socialjustice.nic.in/www.ifciltd.com; https://www.ifcicegssc.in

III. सामाजिक सशक्तिकरण और एकीकृत क्षेत्र विकास की योजनाएंः

क. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

14. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता

भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में "अस्पृश्यता" का अंत किया गया है, उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है और ''अस्पृश्यता'' से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना कानून के अनुसार अपराध है। इस संवैधानिक उपबंध के अनुसार सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया गया था जिसमें "अस्पृश्यता" की प्रथा से उत्पन्न किसी निर्योग्यता को लागू करने के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार, संसद का एक और अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 जो संविधान के अनुच्छेद 17 के उपबंधों के अंतर्गत आता है, का अधिनियमन अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों की रोकथाम करने के लिए किया गया था। चूंकि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची (सूची–II) के तहत "पुलिस" और "कानून व्यवस्था" राज्य के विषय हैं अतः राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन प्राथमिक रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों सहित, अपने–अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, सभी अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने, उन्हें दर्ज करने, उनकी जांच–पड़ताल करने और तत्संबंधी अभियोजन की कार्रवाई करने के लिए और साथ ही पीसीआर एवं पीओए अधिनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को व्यापक न्याय प्रदान करने और अत्याचार करने वाले व्यक्तियों के मन में और अधिक निवारक भय पैदा करने के उद्देश्य से, पीओए अधिनियम को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया है और उसे 26.01.2016 से प्रवृत्त किया गया है। यह संशोधन मोटे तौर पर अत्याचारों के अनेक नए अपराधों को जोड़ने से संबंधित है, जैसे सिर और मूछ मूंडना अथवा इसी प्रकार के अपमानजनक कार्य करना जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की मर्यादा को भंग करते हैं, जूतों की माला पहनाना, सिंचाई सुविधाओं अथवा वन अधिकारों से वंचित करना, मानव अथवा पशुओं के मल को साफ करना अथवा ढोना, अथवा कब्र खोदना,

मैनुअल स्केवेंजिंग का प्रयोग करना अथवा उसकी अनुमति देना, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति महिला को देवदासी बनाना, जाति के नाम से गाली देना, जादू–टोना संबंधी अत्याचार करना, सामाजिक अथवा आर्थिक बहिष्कार करना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करने से रोकना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिला को ठेस पहुंचाना, उन्हें छूना अथवा उन पर फब्तियां कसना और उनके साथ अश्लील हरकतें करना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गांव अथवा घर छोड़ने पर मजबूर करना, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य की पवित्र वस्तुओं को दूषित करना। इस संशोधित अधिनियम में पूर्ववर्ती कुछेक अपराधों को पुनः परिभाषित एवं विस्तारित करने के अलावा, कतिपय आईपीसी अपराधों को जोड़ा गया है, जैसे घायल करना, गंभीर रूप से घायल करना, डराना–धमकाना, अपहरण करना आदि (जिनमें 10 वर्ष से कम कारावास की सजा है), इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध हैं; इस पीओए अधिनियम के अंतर्गत अपराधों पर अनन्य रूप से विचारण हेतु अनन्य विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष लोक अभियोजकों का विनिर्देशन भी किया गया है ताकि मामलों का तेजी से निपटान किया जा सके और विशेष न्यायालयों और विशेष रूप से अनन्य न्यायालयों को यह अधिकार दिया गया है कि यथा संभव ऐसे अपराधों का प्रत्यक्ष संज्ञान लें, आरोप पत्र दायर होने की तारीख से दो महीने के भीतर मामले के विचारण की कार्रवाई पूरी करें और साथ ही इसमें "पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों" पर अध्याय भी जोड़ा गया है।

पीओए अधिनियम में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 नामक अधीनस्थ विधान में कतिपय संशोधन किए गए हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पीओए अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके किया गया है, तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियमावली, 2016 को 14.04.2016 को भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचित किया गया है। ये संशोधन व्यापक रूप से अत्याचार के नये अपराधों के लिए राहत राशि निर्धारित करने एवं इन्हें पुनः परिभाषित करने और इनका विस्तार करने के लिए हैं, अत्याचार के विभिन्न अपराधों के लिए पीड़ितों को राहत राशि का चरणबद्ध तरीके से भुगतान करने में संशोधन, अत्याचार के पीड़ितों, उनके परिवार के सदस्यों तथा आश्रितों को 7 दिन के भीतर देय राहत राशि का भुगतान करने का प्रावधान और जांच पूरी करने और न्यायालय में 60 दिन के भीतर आरोप–पत्र दायर करने, अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए अत्याचार पीड़ितों को राहत राशि बढ़ाकर 85,000/– रुपये से 8,25,000/– रुपये के बीच करने से संबंधित है। निम्नलिखित सारणी में 14.04.2016 से देय राहत राशि का उल्लेख किया गया है :–

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>अपराध का नाम</th><th>राहत की न्यूनतम राशि</th></tr>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr>
<tr><td>1</td><td>कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना [अधिनियम की धारा 3 (1) (क)]</td><td rowspan="3">पीड़ित व्यक्ति को 1.00 लाख रुपये। पीड़ित व्यक्ति को दिया जाने वाला भुगतान निम्नानुसार होगा :–
i) क्रम संख्या (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर 10% और क्रम सं. (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट के चरण पर 25%
ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ।
iii) क्रम सं. (2) और (3) के लिए निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराने पर 40% और इसी प्रकार क्रम सं. (1), (4) और (5) के लिए 25%।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>मल–मूत्र, मल, पशु–शव या अन्य कोई घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना।
[अधिनियम की धारा 3 (1) (ख)]</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्षति करने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से मल–मूत्र, कूड़ा, पशु–शव इकट्ठा करना।
[अधिनियम की धारा 3 (1) (ग)]</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>अपराध का नाम</th><th>राहत की न्यूनतम राशि</th></tr>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr>
<tr><td>4.</td><td>जूतों की माला पहनाना या नग्न या अर्ध–नग्न घुमाना
[अधिनियम की धारा 3 (1) (घ)]</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुण्डन करना, मूंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना जैसे कार्य बलपूर्वक करना।
[अधिनियम की धारा 3 (1) (ङ)]</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती करना।
([अधिनियम की धारा 3 (1) (च)]</td><td rowspan="2">पीड़ित व्यक्ति को 1.00 लाख रुपये। भूमि या परिसर या जल की आपूर्ति या सिंचाई सुविधा को जहां आवश्यक होगा, संबंधित राज्य सरकार अथवा केन्द्र राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सरकारी खर्च पर बहाल किया जाएगा। पीड़ित को दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :–
i) 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर ।
ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ।
iii) 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>किसी भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करना या अधिकारों सहित, वन अधिकारों सहित, उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करना।
[अधिनियम की धारा 3 (1) (छ)]</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>बेगार करने अथवा अन्य प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ श्रम करने के लिए।
[अधिनियम की धारा 3 (1) (ज)]</td><td rowspan="4">पीड़ित व्यक्ति को 1.00 लाख रुपये। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :–
i) 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर ।
ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
iii) 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>मानव या पशु–शव का निपटान करने या उनकी अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना।
[अधिनियम की धारा 3 (1) (झ)]</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना।
[अधिनियम की धारा 3 (1) (ञ)]</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को किसी देवदासी के रूप में कार्य निष्पादित करने या समर्पण संवर्धित करना।
[अधिनियम की धारा 3 (1) (ट)]</td></tr>
</table>

क्र.सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1	2	3
12.	मतदान करने, नामनिर्देशन फाइल करने से रोकना । [अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ)]	पीड़ित व्यक्ति को 85,000 रुपये । दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर । ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है । iii) 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।
13.	पंचायत या नगरपालिका के किसी पदधारक को उसके कर्त्तव्यों के पालन में मजबूर, अभित्रस्त या बाधित करना। [अधिनियम की धारा 3 (1) (ड)]	
14.	मतदान के बाद हिंसा करना और सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना । [अधिनियम की धारा 3 (1) (ढ)]	
15.	किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध करना। [अधिनियम की धारा 3 (1) (ण)]	
16.	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली अन्य विधिक कार्रवाइयां संस्थित करना । [अधिनियम की धारा 3 (1) (त)]	पीड़ित व्यक्ति को 85,000 रुपये अथवा वास्तविक विधि खर्च और नुकसान की प्रतिपूर्ति, जो भी कम हो। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर । ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है । iii) 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।
17.	किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ सूचना देना । [अधिनियम की धारा 3 (1) (थ)]	पीड़ित व्यक्ति को 1,00,000 रुपये अथवा वास्तविक विधिक खर्च और नुकसान की प्रतिपूर्ति, जो भी कम हो । दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर । ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है । iii) 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।
18.	अवमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करना । [अधिनियम की धारा 3 (1) (द)]	पीड़ित व्यक्ति को 1.00 लाख रुपये। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर। ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है । iii) 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
19.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली–गलौज करना । [अधिनियम की धारा 3 (1) (ध)]	

क्र.सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1	2	3
20.	धार्मिक मानी जाने वाली या अतिश्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना अथवा अपवित्र करना। [अधिनियम की धारा 3 (1) (न)]	
21.	शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं में अभिवृद्धि करना। [अधिनियम की धारा 3 (1) (प)]	
22.	अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का या तो लिखित या किसी अन्य साधन से अनादर करना । [अधिनियम की धारा 3 (1) (फ)]	
23.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री को साशय स्पर्श करने का ऐसा कार्य, जो लैंगिक प्रकृति का है, उसकी सहमति के बिना करना। [अधिनियम की धारा 3 (1) (ब)]	पीड़ित व्यक्ति को 2.00 लाख रुपये। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर । ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है । iii) 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।
24	भारतीय दंड संहिता की धारा 326 (ख) (1860 का 45) स्वेच्छया अम्ल फैंकना या फैंकने का प्रयत्न करना । [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (फक)]	क) पीड़ित व्यक्ति के चेहरे का 2% तथा इससे अधिक जलने पर और आंख, कांन, नाक और मुंह के काम न करने के मामले में अथवा शरीर के 30% से अधिक जलने पर आठ लाख पच्चीस हजार रुपये । ख) शरीर के 10% से 30% तक जलने पर पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पंद्रह हजार रुपये । ग) चेहरे के अलावा शरीर के 10% से कम भाग के जलने पर पीड़ित व्यक्ति को 85,000/– रुपये । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार अथवा केन्द्र राज्य क्षेत्र प्रशासन अम्ल के हमले से पीड़ित व्यक्ति का इलाज कराने की पूरी जिम्मेदारी लेगा। मद (क) से (ग) के लिए दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 50%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर। ii) 50% चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद।

क्र.सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1	2	3
25.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ख) (1860 का 45) —– किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला अथवा आपराधिक बल का प्रयोग । [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (फक)]	पीड़ित व्यक्ति को 2.00 लाख रुपये। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 50%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर । ii) 25%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है । iii) 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा सुनवाई के समापन पर।
26.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (क) (1860 का 45) – लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड । [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (फक)]	पीड़ित व्यक्ति को 2.00 लाख रुपये। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 50%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर । ii) 25%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। iii) 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
27.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ख) (1860 का 45) निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना । [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (फक)]	पीड़ित व्यक्ति को 2.00 लाख रुपये। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 50%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर । ii) 25%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है । iii) 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा सुनवाई के समापन पर ।
28.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ग) (1860 का 45) – दृश्यरतिकता । [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (फक)]	पीड़ित व्यक्ति को 2.00 लाख रुपये। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 10%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर । ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है । iii) 40%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।
29.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (घ) (1860 का 45) – पीछा करना । [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (फक)]	पीड़ित व्यक्ति को 2.00 लाख रुपये। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 10%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर । ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है । iii) 40%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।

क्र.सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1	2	3
30.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (ख) (1860 का 45) – पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन । [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (फक)]	पीड़ित व्यक्ति को 2.00 लाख रुपये। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 50%, चिकित्सा जांच और पुष्टि कारक चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद। ii) 25%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। iii) 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
31.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (ग) (1860 का 45) – प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (फक)]	पीड़ित व्यक्ति को 4.00 लाख रुपये। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 50%, चिकित्सा जांच और पुष्टि कारक चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद। ii) 25%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। iii) 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा सुनवाई के समापन पर।
32.	भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (1860 का 45) – शब्द अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है। [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (फक)]	पीड़ित व्यक्ति को 2.00 लाख रुपये। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर। ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। iii) 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
33.	पानी को दूषित या गंदा करना [अधिनियम की धारा 3 (1) (भ)]	जब पानी को गंदा कर दिया जाता है तब उसे साफ करने सहित सामान्य सुविधा को बहाल करने की पूर्ण लागत संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन की जाएगी। इसके अतिरिक्त, स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाने वाली समुदायिक परिसंपत्तियों को सृजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास आठ लाख पच्चीस हजार रुपये की राशि जमा की जाएगी।

क्र.सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1	2	3
34.	किसी लोक स्थान पर जाने से अथवा लोक स्थान के मार्ग को उपयोग करने के रूढ़िजन्य अधिकार से वंचित करना। [अधिनियम की धारा 3 (1) (म)]	पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रुपये और मार्ग के अधिकार की लागत को बहाल करने के लिए संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन की गई लागत। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर। ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। iii) 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
35.	घर, गांव, निवास स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य करना। [अधिनियम की धारा 3 (1) (य)]	संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थल अथवा घर, गांव अथवा अन्य निवास स्थान पर रहने के अधिकार को बहाल किया जाएगा और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपये की राहत राशि प्रदान की जाएगी और यदि घर को कोई नुकसान पहुंचता है, तो उसका सरकारी लागत पर पुनः निर्माण किया जाएगा। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर। ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। iii) 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
36.	अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को निम्नलिखित के संबंध में किसी रीति से बाधित या निवारित करना। (अ) किसी क्षेत्र की सामान्य संपत्ति संसाधनों का या अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से कब्रिस्तान या शमशान भूमि का उपयोग करना या किसी नदी, सरिता, झरना, कुआं, तालाब, कुण्ड, नल या अन्य जलीय स्थान या कोई स्नानघाट, कोई सार्वजनिक परिवहन, कोई सड़क या मार्ग का उपयोग करना। [अधिनियम की धारा 3 (1) (यक) (अ)]	(अ) संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किसी क्षेत्र के सामान्य संपत्ति संसाधनों का या अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से कब्रिस्तान या शमशान भूमि का उपयोग करने या किसी नदी, सरिता, कुआं, तालाब, कुण्ड, नल या अन्य जलीय स्थान या कोई स्नानघाट, कोई सार्वजनिक परिवहन, कोई सड़क या मार्ग का उपयोग करने का अधिकार बहाल किया जाएगा और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपये की राहत राशि दी जाएगी। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर।

क्र.सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1	2	3
		ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। iii) 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
	(आ) साइकिल या मोटर साइकिल आरोहण या सवारी करना या सार्वजनिक स्थानों में जूते या नये कपड़े पहनना या विवाह की शोभा यात्रा निकालना या विवाह की शोभा यात्रा के दौरान घोड़े या अन्य किसी वाहन पर आरोहण करना। [अधिनियम की धारा 3 (1) (य क) (आ)]	(आ) संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के समान साइकिल या मोटर साइकिल आरोहण या सवारी करने या सार्वजनिक स्थानों में जूते या नये कपड़े पहनने या विवाह की शोभा यात्रा निकालने या विवाह की शोभा यात्रा के दौरान घोड़े या अन्य किसी वाहन पर आरोहण करने के अधिकार को बहाल किया जाएगा और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपये की राहत राशि प्रदान की जाएगी। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर। ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। iii) 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
	(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेना। [अधिनियम की धारा 3 (1) (यक) (इ)]	(इ) अन्य व्यक्तियों के साथ समानता पूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को 1 लाख रुपये का अनुतोष। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर। ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। iii) 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

क्र.सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1	2	3
	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या लोक मनोरंजन या किसी अन्य लोक स्थान में प्रविष्ट होने या जनता के लिए खुले किसी स्थान में सार्वजनिक उपयोग के लिए अभिप्रेत कोई उपकरण या वस्तु का उपयोग करना। [अधिनियम की धारा 3 (1) (यक) (घ),	(ई) संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के समान किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या लोक मनोरंजन या किसी अन्य लोक स्थान में प्रविष्ट होने या जनता के लिए खुले किसी स्थान में सार्वजनिक उपयोग के लिए अभिप्रेत कोई बर्तन या वस्तुएं उपयोग करने के अधिकार को बहाल किया जाएगा और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपये की राहत राशि प्रदान की जाएगी। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर। ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। iii) 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
	(उ) किसी वृत्तिक में व्यवसाय करना या किसी ऐसी उप–जीविका, व्यापार, कारबार या किसी नौकरी में नियोजन करना, जिसमें जनता या उसके किसी वर्ग के अन्य लोगों को उपयोग करने या उस तक पहुंच का अधिकार है। [अधिनियम की धारा 3 (1) (यक) (उ)]	(उ) संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किसी वृत्तिक में व्यवसाय करने या किसी ऐसी उप–जीविका, व्यापार, कारबार या किसी नौकरी में नियोजन करने, जिसमें जनता या उसके किसी वर्ग के अन्य लोगों को उपयोग करने या उस तक पहुंचने के अधिकार को बहाल किया जाएगा और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपये की राहत राशि प्रदान की जाएगी। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर। ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। iii) 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

क्र.सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1	2	3
37.	डायन होने या जादू–टोना करने के अभिकथन पर शारीरिक हानि पहुंचाना या मानसिक यंत्रणा देना। [अधिनियम की धारा 3 (1) (यख)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपये और पीड़ित व्यक्ति के अनादर, अवमानना, क्षति और मान–हानि के अनुरूप भी राहत राशि। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर। ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। iii) 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
38.	सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करना या उसकी धमकी देना। [अधिनियम की धारा 3 (1) (यग)]	संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के समान सभी आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के उपबंधों को बहाल किया जाएगा और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपये की राहत राशि दी जाएगी। निचले न्यायालय में आरोप पत्र भेजने पर उस राशि का पूर्ण भुगतान किया जाएगा।
39.	मिथ्या साक्ष्य देना अथवा गढ़ना। [अधिनियम की धारा 3 (2) (i) (ii)]	पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पन्द्रह हजार रुपये। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर। ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। iii) 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
40.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के तहत किए गए अपराधों के लिए दंड जो 10 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए दंडनीय है। [अधिनियम की धारा 3 (2)]	पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों को चार लाख रुपये। यह राहत राशि इस अनुसूची में दी गई राशि के अन्यथा भी हो सकती है। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर। ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। iii) 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

क्र.सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1	2	3
41.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के तहत किए गए अपराध जिन्हें भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ऐसे अपराधों के साथ अधिनियम की अनुसूची में दंडनीय विनिर्दिष्ट किया गया है। [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (फक)]	पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों को दो लाख रुपये। यह राहत राशि इस अनुसूची में दी गई राशि के अन्यथा भी हो सकती है। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर। ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। iii) 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
42.	लोक सेवक के हाथों उत्पीड़न। [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (vii)]	पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों को दो लाख रुपये। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 25%, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के चरण पर। ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। iii) 25%, जब निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
43.	निशक्कता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 16–18/97–एनआई दिनांक 1 जून, 2001 में उल्लिखित विभिन्न निशक्तताओं का मूल्यांकन करने के लिए दिशा–निर्देश और प्रमाणन के लिए प्रक्रिया। अधिसूचना की एक प्रति अनुबंध–II पर है। (क) 100 प्रतिशत अक्षमता।	पीड़ित व्यक्ति को आठ लाख पच्चीस हजार रुपये दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 50%, चिकित्सा जांच होने और पुष्टि कारक चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद। ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।

क्र.सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1	2	3
	(ख) जहां अक्षमता 50 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम है।	पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पचास हजार रुपये दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 50%, चिकित्सा जांच होने और पुष्टि कारक चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद। ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ग) जहां अक्षमता 50 प्रतिशत से कम है।	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख पचास हजार रुपये दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 50%, चिकित्सा जांच होने और पुष्टि कारक चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद। ii) 50%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
44.	बलात्संग अथवा सामूहिक बलात्संग। i) बलात्संग (अधिनियम दंड संहिता की धारा 375 (1860 का 45)	पीड़ित व्यक्ति को पांच लाख रुपये। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 50%, चिकित्सा जांच और पुष्टि कारक चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद। ii) 25%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। iii) 25%, निचले न्यायालय द्वारा सुनवाई के समापन पर।
	ii) सामूहिक बलात्संघ (अधिनियम दंड संहिता की धारा 376 घ (1860 का 45)	पीड़ित व्यक्ति को आठ लाख पच्चीस हजार रुपये। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 50%, चिकित्सा जांच और पुष्टि कारक चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद। ii) 25%, जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। iii) 25%, निचले न्यायालय द्वारा सुनवाई के समापन पर।
45.	हत्या या मृत्यु	पीड़ित व्यक्ति को आठ लाख पच्चीस हजार रुपये। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :– i) 50%, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद। ii) 50%, जब न्यायालय को आरोप–पत्र भेजा जाता है।

क्र.सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1	2	3
46.	हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलातसंग, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितों को अतिरिक्त राहत।	उपर्युक्त मदों के अंतर्गत भुगतान की गई राहत राशि के अतिरिक्त, राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से 3 माह के भीतर निम्नलिखित रूप से की जाएगी :– i) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित मृतक व्यक्तियों की विधवा या अन्य आश्रितों को पांच हजार रुपये प्रति माह की दर से बेसिक पेंशन जो कि संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है, और ग्राह्य मंहगाई भत्ता और मृतक के परिवार को एक सदस्य को रोजगार या कृषि भूमि, एक मकान, यदि आवश्यक हो, तो उसकी तत्काल खरीद द्वारा व्यवस्था करना। ii) पीड़ित व्यक्तियों के बच्चों की स्नातक स्तर तक की शिक्षा और उनके भरण–पोषण का पूरा खर्चा। बच्चों को सरकार द्वारा वित्तपोषित आश्रम स्कूलों अथवा आवासीय स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। iii) 3 माह की अवधि के लिए बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहनों आदि की व्यवस्था।
47.	घरों को पूर्णतः नष्ट करना या जलाना	जहां मकान को जला दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो, वहां सरकारी खर्चे पर ईंट अथवा पत्थर के मकान का निर्माण किया जाएगा या उसकी व्यवस्था की जाएगी।"

इन नियमों में दिनांक 27.06.2018 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियमावली, 2018 के द्वारा आगे संशोधन किया गया है और ये संशोधन मोटे–तौर पर अप्राकृतिक अपराधों के पीड़ितों के लिए राहत का प्रावधान करने, तेजाब फेककर गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के लिए राहत और मृत्यु, चोट, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अप्राकृतिक अपराध, तेजाब फेककर गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के मामले में राहत का प्रावधान करने, संपत्ति को क्षति से संबंधित हैं जो किसी अन्य विधि के अंतर्गत इस संबंध में मुआवजे के दावे के अन्य किसी अधिकार के अतिरिक्त है।

इन दोनों अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है, मुख्य रूप से निम्न के लिए:–

i) प्रवर्तन और न्यायिक तंत्र को सुदृढ़ बनाना।

ii) विशिष्ट विशेष न्यायालयों के कार्य–कलाप की स्थापना।

iii) अंतर जातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन, जहाँ जोड़े में से एक सदस्य अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो, जिसे संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहले निर्णय लिया गया था और सामान्य रूप से यह राशि 10,000/– रुपये से 5,00,000/– रुपये के बीच भिन्न–भिन्न थी, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2.50 लाख रुपये के रूप में एकसमान बना दिया गया है।

iv) लोगों में प्रचार एवं जागरूकता फैलाना, और

v) प्रभावित व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास ।

योजना के वित्त पोषण पैटर्न के अनुसार, राज्य सरकार की प्रतिबद्ध देयता के अलावा कुल व्यय का साझा 50:50 के आधार पर केंद्र एवं राज्य के बीच किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्र 100% केन्द्रीय सहायता प्राप्त करते हैं। राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को किसी वित्त वर्ष के लिए एक विहित प्रोफार्मा में उनके विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर केंद्रीय सहायता प्राप्त होती है।

इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को संरक्षित करने की प्रकिया : इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने हेतु जिला कलक्टर से संपर्क करना चाहिए। योजना से संबंधित ब्यौरा निम्नलिखित वेब एड्रेस http://socialjustice.nic.in/SchemeList/Send/39?mid=24541 पर दिया गया है।

15. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)

- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजना, एक अभिसारी ढंग से केंद्र एवं राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं के प्रभावी एवं लक्षित कार्यान्वयन के माध्यम से 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बहुल जनसंख्या वाले गांवों का एकीकृत विकास करने के लिए, वर्ष 2009–10 में शुरू की गई थी।

- यह योजना पायलट आधार पर प्रारंभ की गई थी और असम (100), बिहार (225), राजस्थान (225), तमिलनाडु (225) और हिमाचल प्रदेश (225) के राज्यों में ऐसे 1000 गांवों को चुना गया था।

- इस योजना को 2015 में आगे विस्तारित किया गया था और असम (75), उत्तर प्रदेश (260), मध्य प्रदेश (327), कर्नाटक (201), पंजाब (162), ओडिशा (175), झारखंड (100), छत्तीसगढ़ (175), हरियाणा (12), आंध्र प्रदेश (07) और तेलंगाना (06) के राज्यों से ऐसे 1500 गांवों का चयन किया गया था।

- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) का विजन, साफ–सफाई एवं पर्यावरण, सामाजिक अवसंरचना, मानव विकास, सामाजिक सौहार्द एवं जीवन–यापन से संबंधित वास्तविक अवसंरचना, सुविधाओं में अंतर को कम से कम करना है।

- प्रारंभ में, चुने गए गांवों में गतिविधियों को हाथ में लेने के लिए इस योजना के अंतर्गत प्रति गांव 10.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 20.00 लाख रुपये कर दिया गया था। इस 20.00 लाख रुपये की राशि में अंतर को पाटने के लिए परिव्यय के 5 प्रतिशत की दर से कार्यात्मक संघटक हेतु केंद्रीय सहायता संबंधी संघटक शामिल है जो प्रति गांव 1.00 लाख रुपये बनता है। राज्य मैचिंग शेयर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, यदि राज्य अपना मैचिंग शेयर जारी करता है तो प्रति गांव 5.00 लाख रुपये के अतिरिक्त प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है।

- इस योजना की निगरानी करने के लिए केंद्र और राज्य स्तरों पर एक सलाहकार समिति और संचालन एवं निगरानी समितियां हैं।

- ❖ पायलट चरण हेतु, 201.00 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता राज्य सरकारों – असम (20.10 करोड़), बिहार (45.225 करोड़), राजस्थान (45.225 करोड़), तमिलनाडु (45.225 करोड़) और हिमाचल प्रदेश (45.225 करोड़) – को जारी की गई है।
- ❖ विस्तारित चरण अर्थात चरण–I के लिए, राज्य सरकार को 329.25 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
- ❖ पायलट चरण के अंतर्गत चुने गए 1000 गांवों में से कुल 617 गांवों को "आदर्श ग्राम" के रूप में घोषित किया गया है। इसमें असम (100), तमिलनाडु (225) और राजस्थान (225) में चुने गए सभी गांव शामिल हैं। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश में 44 गांव और बिहार में 33 गांवों को "आदर्श ग्राम" घोषित किया गया है।

ख. केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं

16. अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान करने का मूल उद्देश्य/प्रयोजन अनुसूचित जातियों के विकास हेतु परियोजनाओं को आरंभ करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करनी है, ताकि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास की उपलब्धता में सहायता करते हुए विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके।

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के रूप में कुल अनुमोदित व्यय की 90 प्रतिशत तक राशि पात्र स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान की जाती है। परियोजनाएं विभिन्न कार्यकलापों के 31 क्षेत्रों से संबद्ध हैं, इनका संबंध अधिकांशतः शिक्षा, आवासीय/गैर–आवासीय इत्यादि से है। मानदेय, वजीफा, किताबों, यूनिफॉर्म, फर्निचर की खरीद, परिसर को किराए पर लेने इत्यादि के लिए भुगतान करने हेतु सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

संशोधनः यह योजना मार्च, 2018 में संशोधित की गई है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तद्नुसार सूचित कर दी गई है। वित्तीय मानकों में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:–

- ❖ **सामान्यतः** 100 प्रतिशत वृद्धि
- ❖ शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करते हुए इसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिक्षकों के वेतन के समतुल्य किया गया है।

योजना के अंतर्गत संस्वीकृति की प्रक्रिया

1. ऑनलाइन आवेदन आवेदन ngogrant.sje.gov.in पर करना है जिसे राज्य सरकार के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अग्रेषित करना है।
2. विगत दो वर्षों से एनजीओ को इन कार्यकलापों में अनिवार्यतः शामिल किया जाना चाहिए।
3. जिला प्राधिकारियों से निरीक्षण टिप्पणी।
4. राज्य सिफारिशें।
5. एनजीओ साझेदारी योजना के अंतर्गत नीति आयोग पोर्टल के साथ एनजीओ को पंजीकृत किया जाना चाहिए।

सकारात्मक राज्य सिफारिशों के बाद, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की छानबीन समिति एनजीओ की पात्र परियोजनाओं की सिफारिश करती है तथा इसके बाद भारत सरकार से एनजीओ को सीधे अनुदान भेजा जाता है। योजनाओं का ब्यौरा वेब एड्रैस http://www.ministryofsocialjustice&empowerment.gov.in/socialjustice.nic.in पर दिया गया है।

प्रतिष्ठानः (मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संगठन)

17. डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संगठन)

माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित बाबा साहेब डा. बी.आर. अम्बेडकर शत–वर्षीय समारोह समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, 24 मार्च, 1992 को इस प्रतिष्ठान को स्थापित किया गया। डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के मुख्य उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ–साथ भारत और विश्व में बाबा साहेब डा. अम्बेडकर की विचार धारा और संदेश को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों और कार्यकलापों का कार्यान्वयन शामिल है। इस प्रतिष्ठान को डा. बी.आर. अम्बेडकर के शत–वर्षीय समारोह के दौरान अभिज्ञात महत्वपूर्ण और दीर्घावधिक योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रबंधन, प्रशासन और संचालन का दायित्व सौंपा गया है।

आम सभा डा. अंबेडकर प्रतिष्ठान का उच्चतम निकाय है। इसके अध्यक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। इसमें शिक्षा, सामाजिक कार्य, प्रशासन जैसे विभिन्न विधाओं के 11 पदेन सदस्य तथा प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्त्ता, शिक्षाविद और पत्रकारों आदि में से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा नामित 32 सदस्य हैं। प्रतिष्ठान के शासी निकाय के पास प्रतिष्ठान के निदेशन, नियंत्रण तथा प्रशासन की शक्तियां हैं। इसके अध्यक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं तथा सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा संबंधित संयुक्त सचिव इसके पदेन सदस्य हैं। एक कार्यकारी उपाध्यक्ष सहित शासी निकाय के चार नामित सदस्य सामान्य निकाय के भी सदस्य हैं।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं/कार्यकलाप

(i) जन्म दिवस/महापरिनिर्वाण दिवस समारोह मनाना

प्रतिवर्ष प्रतिष्ठान 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म दिवस तथा 06 दिसम्बर को महापरिनिर्वाण दिवस क्रमशः संसद भवन के प्रांगण में तथा 26, अलीपुर रोड (जहां डॉ. अंबेडकर ने आखिरी सांस ली थी) में विधिवत ढंग से मनाता है। इन अवसरों के दौरान, भारत के माननीय राष्ट्रपति जी पुष्पांजलि अर्पित करने में देश की अगुआई करते हैं। इस समारोह में माननीय उपराष्ट्रपति, लोक सभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री तथा अन्य गणमान्य सदस्य भाग भी लेते हैं। आम जनता भी अत्यधिक संख्या में बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित करती है।

(ii) विश्वविद्यालयों/संस्थानों में डा. अम्बेडकर पीठ

इस योजना की शुरूआत 1993 में डा. बी.आर. अम्बेडकर की विचारधारा और सोच को समझने, मूल्यांकन करने और इसके प्रचार–प्रसार हेतु अध्ययन एवं अनुसंधान करने के लिए बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और छात्रों के लिए सुव्यवस्थित केंद्र उपलब्ध कराने के लिए की गई। अब तक विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में विधि अध्ययन, शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन और विकास, सामाजिक नीति और सामाजिक कार्रवाई, सामाजिक कार्य, समाज विज्ञान, अर्थ–शास्त्र, एंथ्रोपोलोजी, दलित आंदोलन और इतिहास, अम्बेडकर और सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक न्याय जैसे मुख्य क्षेत्रों में इक्कीस डा. अम्बेडकर पीठों की स्थापना की गई है। वार्षिक सहायता अनुदान की राशि 35.00 लाख रुपये हैं।

(iii) डा. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना

यह योजना एससी और एसटी के उन निर्धन रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये से कम है तथा जिन्हें किडनी, हृदय, यकृत की शल्यक्रिया करवानी होती है और कैंसर का इलाज करवाना होता है अथवा अंग प्रत्यारोपण, मेरुदंड शल्यक्रिया आदि सहित अन्य जानलेवा बीमारियों का इलाज करवाना होता है।

इस योजना के अंतर्गत इलाज करवाने के लिए अनुमोदित अस्पतालों की सूची निम्नलिखित है:–

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली और अन्य राज्यों के एम्स
2. संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
3. पटना मेडिकल कॉलेज हास्पिटल, पटना, बिहार
4. जबलपुर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, जबलपुर, मध्य प्रदेश
5. बी. बरूआ कैंसर इंस्टीट्यूट, गुवाहाटी, असम
6. बिड़ला हार्ट फाउंडेशन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
7. कलिंगा हास्पिटल लि0 चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, ओडिशा
8. टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुम्बई, महाराष्ट्र
9. निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
10. द वोलंटरी हेल्थ सर्विसेज, चेन्नई
11. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित सभी सीजीएचएस अनुमोदित अस्पताल
12. सभी राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध अस्पताल यदि वे सीजीएचएस योजना में शामिल नहीं हैं।
13. सभी राज्य सरकारी अस्पताल
14. राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी अस्पताल
15. केंद्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा पूर्ण वित्त पोषित सभी अस्पताल
16. जिला मुख्यालय/प्रमुख कस्बों में सभी सरकारी अस्पताल जहां सर्जरी अथवा वे जिन्हें किडनी, हृदय, यकृत और कैंसर मस्तिष्क तथा घुटने की शल्यक्रिया तथा मेरुदंड शल्यक्रिया सहित अन्य जीवन के लिए घातक बीमारियों के लिए शल्यक्रिया की सुविधा उपलब्ध है।
17. अपवाद स्वरूप मामलों में जहां अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित सूची के बाहर किसी बाहरी अस्पताल को कवर करने की वास्तविकता और औचित्य संबंधी आवश्यकता का विश्वास हो, पात्र उपचार के लिए उनमें जा सकता है।

आवेदन कैसे करें

संशोधित **डॉ. अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना – 2018** के अनुसार, अपेक्षित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति के साथ आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। निर्धारित प्रपत्र में विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र शल्यक्रिया की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले **निदेशक, डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान, 15 जनपथ, नई दिल्ली–110001** को पहुंच जाना चाहिए। जहां तक वितरण का संबंध है, उपचार की कुल अनुमानित लागत की 100% राशि एक किस्त में अधिकतम राशि की सीमा (जिसे रोगों की प्रत्येक श्रेणी हेतु निर्धारित किया गया है) तक सर्जरी से पूर्व सीधे संबंधित अस्पताल को निर्मुक्त की जाएगी।

अपेक्षित दस्तावेज

निर्धारित प्रपत्र में अथवा सादे कागज पर अपेक्षित विवरण सहित आवेदन करें और साथ ही निम्नलिखित दस्तावेज/प्रमाण–पत्र संलग्न करें अर्थात (i) संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मूल अनुमानित लागत प्रमाण पत्र, (ii) रोगी का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और राशन कार्ड/आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रतियां। (iii) किडनी प्रत्यारोपण के लिए अपेक्षित दस्तावेज अर्थात लाभार्थी से संबद्ध (प्रपत्र 14 – प्राधिकरण समिति प्रमाण पत्र के बारे में निर्णय हेतु प्रारुप), किडनी दानकर्ता का विवरण, अर्थात लाभार्थी का नाम, उम्र, पता, ब्लड ग्रुप, आधार नम्बर।

रोगी के लिए अस्पताल के माध्यम से वित्तीय सहायताः सर्जरी की अनुमानित लागत का 100 प्रतिशत सीधे संबंधित अस्पताल को निर्मुक्त की जाएगी। निम्नलिखित प्रत्येक मामले में अधिकतम सीमा के अंतर्गत निर्दिष्ट राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के रूप में प्रेषित की जाएगी।

दरे निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	बीमारी	अधिकतम राशि (लाख रू. में)
1	हार्ट सर्जरी	1.25
2	किडनी सर्जरी/डायलिसिस	3.50
3	कैंसर सर्जरी/केमोथेरेपी/रेडियोथेरेपी	1.75
4	ब्रेन सर्जरी	1.50
5	किडनी/ऑर्गेनट्रांसप्लांट	3.50
6	स्पाइनल सर्जरी	1.00
7	अन्य घातक बीमारियां	1.00

(iv) माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 10) हेतु डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय मेधावी पुरस्कार योजना

यह योजना एससी और एसटी के मेधावी छात्रों को एकबारगी नकद राशि प्रदान करती है। कवर किए गए 29 बोर्ड के प्रत्येक बोर्ड के लिए चार पुरस्कार हैं। बोर्ड/परिषद से प्राप्त सूचना के आधार पर अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले तीन छात्रों को मेधावी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पहले तीन पात्र छात्रों में एक भी बालिका न होने पर बालिका छात्रा को 40000 रुपये का विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रथम, द्वितीय और तृतीय के पश्चात अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले एससी और एसटी छात्रों को 10000 रुपये के 250 विशेष योग्यता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

पात्रताः (i) विद्यार्थी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए, (ii) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक पुरस्कार हैं, (iii) विद्यार्थी किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा के राज्य/केंद्रीय बोर्ड की परीक्षा में शामिल होना चाहिए और माध्यमिक स्कूल परीक्षा (10वीं कक्षा) में कुल 50 प्रतिशत से अंक कम नहीं होने चाहिए।

प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाने वाले छात्रों और 29 बोर्डों/परिषदों में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली बालिका छात्र को सम्मानित करने हेतु प्रतिष्ठान, सुविधानुसार, या तो डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली में आमंत्रित करे अथवा संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त के माध्यम से विजेता छात्रों को पुरस्कार भेज सकता है। यदि प्रतिष्ठान छात्रों को आमंत्रित करता है तो प्रत्येक विजेता एवं उसके साथ आने वाले एक व्यक्ति को उसके अध्ययन स्थल अथवा उनके गृह निवास से स्लीपर क्लास ट्रेन/बस से आने का एवं वापसी का, दोनों तरफ का वास्तविक किराया दिया जाएगा। छात्रों के नाम बोर्डों/परिषदों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

वित्तीय सहायताः योग्यता पुरस्कार निम्नलिखित मानकों के अनुसार एकमुश्त अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगेः–

क्र. सं.	विद्यार्थी के प्राप्तांक	राशि
1	उच्चतम अंक	60,000
2	द्वितीय उच्चतम अंक	50,000
3	तृतीय उच्चतम अंक	40,000
4	उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली बालिका (यदि वह उक्त तीन श्रेणियों में हो)	40,000

(v) अनुसूचित जातियों के वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा 12वीं) परीक्षा के मेधावी छात्रों के लिए डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय मेधावी पुरस्कार योजना

कला, विज्ञान (गणित सहित) तथा विज्ञान (जैव विज्ञान/गणित सहित) एवं वाणिज्य संकायों में वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/परिषद द्वारा आयोजित नियमित कक्षा 12वीं स्तरीय परीक्षा में सबसे अधिक अंक पाने वाले तीन छात्रों को डॉ. अम्बेडकर योग्यता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार 29 बोर्ड (तीन अखिल भारतीय बोर्ड सहित) में प्रत्येक के लिए 12 पुरस्कार होंगे। समान अंक पाने वाले एक से अधिक छात्र होने की स्थिति में पुरस्कारों की संख्या को समुचित रूप से ऐसे सभी पात्र छात्रों को कवर करने के लिए बढ़ाया जाएगा। मैरिट की प्रथम तीन स्थितियों के पश्चात प्रत्येक संकाय में सबसे अधिक अंक पाने वाले छात्राओं को प्रत्येक को 20000 रुपये का विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बालिका छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरस्कार तब भी दिया जाता है, भले ही बालिका छात्रों ने अन्य स्रोतों से, यदि कोई हो, अन्य पुरस्कार प्राप्त किए हों।

पात्रताः (i) विद्यार्थी अनुसूचित जाति का होना चाहिए, (ii) विद्यार्थी किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा के राज्य/केंद्रीय बोर्ड की परीक्षा, भारतीय स्कूली प्रमाण–पत्र शिक्षा परिषद तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान की परीक्षा में शामिल होना चाहिए और वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाण–पत्र परीक्षा में कुल 50 प्रतिशत से अंक कम नहीं होना चाहिए।

वित्तीय सहायताः योग्यता पुरस्कार निम्नलिखित मानकों के अनुसार एकबारगी अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगेः

निम्नवतरूप से अंक प्राप्त करने वाले छात्र	गणित के साथ	जीव विज्ञान के साथ विज्ञान	कला	वाणिज्य
अधिकतम अंक	रु. 60,000/-	रु. 60,000/-	रु. 60,000/-	रु. 60,000/-
द्वितीय अधिकतम अंक	रु. 50,000/-	रु. 50,000/-	रु. 50,000/-	रु. 50,000/-
तृतीय अधिकतम अंक	रु. 40,000/-	रु. 40,000/-	रु. 40,000/-	रु. 40,000/-

योग्यता के तीन स्तरों के बाद, अगली तीन छात्राएं जिन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में उच्चतम अंक प्राप्त किए हों, प्रत्येक छात्रा को 20,000/–रु. का विशेष योग्यता पुरस्कार दिया जाएगा।

संवितरण का माध्यमः

पुरस्कार विजेता छात्र जिन्होंने 29 बोर्डों/ परिषदों में से प्रत्येक में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो तथा बालिकाएं जिन्होंने अधिकतम अंक प्राप्त किए हों, उन्हें प्रतिवर्ष पुरस्कार हेतु या तो दिल्ली स्थित डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान में आमंत्रित किया जाता है अथवा प्रतिष्ठान सुविधा अनुसार ये पुरस्कार संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त के माध्यम से पुरस्कार विजेता छात्रों को भेज

सकता है। यदि प्रतिष्ठान छात्रों को आमंत्रित करता है, उस स्थिति में पुरस्कार विजेता को एक संरक्षक के साथ उनके अध्ययन स्थल से अथवा उनके स्थायी निवास से (दोनों तरफ) का वास्तव में अदा किया गया स्लीपर श्रेणी रेल/ बस किराया अदा किया जाएगा।

लाभार्थी : बोर्ड/परिषद द्वारा दिए गए छात्रों के नाम ।

(vi) एससी अत्याचार पीड़ितों के लिए डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय राहत योजना

1. यह योजना, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपेक्षाकृत जघन्य अत्याचार के अपराधों के पीड़ितों को तत्काल मौद्रिक राहत प्रदान करने के लिए, आकस्मिक प्रबंध की प्रकृति की है। इस योजना के तहत राहत की राशि उक्त अधिनियम के तहत अपराध की एफआईआर एक बार दर्ज कराए जाने पर, जैसा कि संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सूचित किया गया हो, प्रतिष्ठान द्वारा पीड़ित को अथवा उसके परिवार के सदस्यों अथवा आश्रितों को सीधे प्रदान की जाती है।

   अत्याचार पीड़ितों अथवा अत्याचार पीड़ितों के आश्रितों के लिए निधियों की संस्वीकृति संबंधी क्रियाविधिः

2. अत्याचार पीड़ित अनुसूचित जातियों के लिए वित्तीय सहायता संबंधी प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार अथवा जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर द्वारा एफआईआर, जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सा अथवा दिव्यांगता प्रमाण–पत्र इत्यादि जैसा भी मामला हो, की एक प्रति के साथ–साथ निदेशक, डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, 15 जनपथ, नई दिल्ली – 110001 को अग्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

3. प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात्, अत्याचार राहत डिमांड ड्राफ्ट के साथ संस्वीकृत आदेश/निर्मुक्ति आदेश पीड़ित/पीड़ित के आश्रित की पहचान करने के अनुरोध के साथ तथा उसे अत्याचार पीड़ित डिमांड ड्राफ्ट सौंपने के लिए संबंधित डीएम/कलेक्टर को जारी किए जाते हैं तथा पीड़ित/पीड़ित के आश्रित द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्राप्ति रसीद डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान को डीएम/कलेक्टर द्वारा भेजी जाती है।

राहत राशिः

क्र.सं.	अत्याचार की श्रेणी	राशि (लाख रुपये में)
1.	किसी परिवार के कमाने वाले सदस्य की हत्या/मृत्यु	8.25 लाख रुपये, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर 50 प्रतिशत
		समुचित न्यायालयों में आरोप पत्र दायर करने पर 50 प्रतिशत
2.	बलात्कार मामले के लिए	5.00 लाख रुपये मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर 50 प्रतिशत समुचित न्यायालय में आरोप पत्र दायर करने पर 25 प्रतिशत सत्र न्यायालय में सुनवाई पूरी होने पर 25 प्रतिशत
3.	आगजनी जिससे पूर्णतया गृह विहीनता की स्थिति उत्पन्न हो	3.00 लाख रुपये
4.	दिव्यांगता (पूर्ण अथवा स्थायी दिव्यांगता जिससे उपार्जक क्षमता की क्षति होती हो)	पूर्ण दिव्यांगता के लिए 8.25 लाख रुपये 50 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता के लिए 5.00 लाख रुपये और 50 प्रतिशत से कम दिव्यांगता के लिए 2.50 लाख रुपये
		मेडिकल जांच एवं मेडिकल रिपोर्ट का रिकार्ड प्रस्तुत करने पर 50 प्रतिशत समुचित न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने पर 50 प्रतिशत

(vii) डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता योजना

इस वार्षिक निबंध प्रतियोगिता का लक्ष्य विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के छात्रों के बीच सामाजिक मुद्दों पर लेखन तथा सामाजिक मुद्दों पर डा. अम्बेडकर के विचारों में उनकी रूचि को प्रोत्साहित करना है। यह प्रतियोगिता मान्यताप्राप्त विद्यालयों (कक्षा 9 से कक्षा 12 तक) तथा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के छात्रों के लिए है। विद्यालय के छात्रों के लिए हिंदी और अंग्रेजी सर्वोत्तम तीन प्रविष्टियों के लिए पुरस्कार 10000 रुपये से 25000 रुपये तक है तथा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/ संस्थानों के छात्रों के लिए यह 25000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक है।

निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को निधियों की संस्वीकृत संबंधी क्रियाविधि

निबंध प्रतियोगिता एवं विषयों आदि के बारे में विज्ञापन प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है और डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की वेबसाइट (www.ambedkarforundation.nic.in) तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाता है।

पुरस्कार राशि:

महाविद्यालय के छात्र	1.00 लाख रुपये (प्रथम पुरस्कार)
	50,000 रुपये (द्वितीय पुरस्कार)
	25000 रुपये (तृतीय पुरस्कार)
विद्यालय के छात्र	25,000 रुपये (प्रथम पुरस्कार)
	15,000 रुपये (द्वितीय पुरस्कार)
	10000 रुपये (तृतीय पुरस्कार)

आवेदन कैसे करें

विषय–वस्तु के विज्ञापन के प्रकाशन के उपरांत विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित विषयों पर अपनी निबंध प्रविष्टियां संबंधित कार्यालय को सीधे भेजें जो विज्ञापन में उल्लिखित है।

(viii) महान संत जयन्ती योजना

इस योजना के तहत संत कबीर, गुरू रविदास, गुरु घासी दास, चोखामेला, नन्दनार, श्री नंदना गुरु नामदेव, भगवान बुद्ध, महर्षि बाल्मिकी, महात्मा फूले, सावित्री बाई फूले अय्यंकली तथा डॉ. अम्बेडकर जैसे महान संतों की जयन्तियां मनाने के लिए संस्थाओं/ कालेजों/विश्वविद्यालयों/एनजीओ को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पात्रता:

इस योजना के अंतर्गत अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्र हैं:

(i) नीति आयोग के एनजीओ पोर्टल में पंजीकृत एनजीओ, जो पिछले दो वर्षों से अस्तित्व में हैं और जिनके प्रस्ताव संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/जिला उपायुक्त द्वारा अथवा जिला मजिस्ट्रेट/जिला उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी सक्षम अधिकारी द्वारा संस्तुत किए जाते हैं। जिन मामलों में जिला मजिस्ट्रेट/जिला उपायुक्त की ओर से कोई अधिकारी प्राधिकृत किया जाता है तो उनमें तत्संबंधी प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाए।

(ii) राज्य/केंद्र सरकार के सरकारी कॉलेज/विश्वविद्यालय/यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त कोई संस्थान। निजी कॉलेजों/संस्थानों आदि के मामले में, सरकार/यूजीसी द्वारा मान्यता दिए जाने के सबूत के रूप में आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाए। सरकारी कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान आदि आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रतिष्ठान को सीधे आवेदन कर सकते हैं और उनके मामले में जिला मजिस्ट्रेट/जिला उपायुक्त की सिफारिश की शर्त लागू नहीं है।

प्रस्ताव के साथ अपेक्षित दस्तावेज:

(i) उस महान संत पर एक विस्तृत लेख जिसकी जयंती/पुण्यतिथि मनाने का प्रस्ताव है। लेख में संबंधित संत द्वारा सामाजिक न्याय का संवर्धन करने, असमानता एवं भेदभाव दूर करने में अदा की गई भूमिका के बारे में ब्यौरा दिया गया हो (केवल उन संतों के संबंध में, जिनके नाम इस योजना के पैरा 2 में विशिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किए गए हैं अथवा जिन्हें अलग से अनुमोदित नहीं किया गया है और जिन्हें प्रतिष्ठान द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है, जैसा कि उसमें उल्लिखित है)। समारोह की प्रस्तावित तारीख का उल्लेख करना होगा।

(ii) आवेदित अनुदान का मद–वार ब्यौरा।

(iii) विगत में उनके द्वारा आयोजित ऐसे समारोहों/गतिविधियों का ब्यौरा।

(iv) पिछले दो वित्तीय वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें और लेखा परीक्षित खाते।

(v) एक बंध–पत्र कि इस योजना की किसी शर्त के उल्लंघन के मामले में, वे अनुदान की राशि को वापस करने के उत्तरदायी होंगे और उन्हें प्रतिष्ठान की किसी योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान हेतु आवेदन करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

(vi) एनजीओ/संगठन/संस्थानों द्वारा सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदन पत्र केवल डाक/कोरियर द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिए ताकि आवेदन पत्र समारोह की प्रस्तावित तारीख से कम से कम दो महीने पहले **निदेशक, डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान (डीएएफ), 15, जनपथ, नई दिल्ली–110001 के कार्यालय में प्राप्त** हो जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदन पत्र डीएएफ में समय पर पहुंच जाए और ऐसे प्रस्ताव भेजने का सबूत अपने पास रखें। यह प्रतिष्ठान ऑन–लाइन आवेदन की प्रक्रिया पर काम कर रहा है। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तो इसे प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर अधिसूचित कर दिया जाएगा और आवेदकों को ऑन–लाइन आवेदन करना होगा।

अपूर्ण प्रस्तावों अथवा डीएम/डीसी की संस्तुति के बिना प्रस्तावों (एनजीओ के मामले में) पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, ऐसे चूककर्ता आवेदक प्रस्तावित समारोह से कम से कम एक सप्ताह पूर्व आवश्यक दस्तावेज एवं डीएम/डीसी की अनिवार्य संस्तुति भेज सकते हैं, अन्यथा ऐसे प्रस्ताव को निरस्त माना जाएगा।

डीएएफ के कार्यालय में कोई भी दस्ती प्रस्ताव प्राप्त/स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ix) डा. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय सामाजिक परिवर्तन पुरस्कार

इस पुरस्कार का गठन भारत तथा मानव जाति के लिए डॉ. बी. आर. अम्बेडकर प्रदत्त विलक्षण सेवाओं के कीर्तिमान के लिए किया गया था। यह पुरस्कार व्यक्ति विशेष/संगठन को–

- असमानता और अन्याय के विरुद्ध साहसपूर्ण लड़ाई करने,

- शोषित और अलाभान्वितों के हितार्थ अडिग रहकर कार्रवाई करने,
- सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान करने,
- परस्पर विरोधी सामाजिक वर्गों के बीच सौहार्द लाने के लिए तथा
- सामाजिक सौहार्द और मानवीय प्रतिष्ठा के आदर्श के लिए कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है।

यह पुरस्कार सामाजिक परिवर्तन तथा राष्ट्रीय एकता के लिए बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के सपने को पूरा करने का परिचायक है। प्रति वर्ष एक पुरस्कार दिया जाता है जिसमें 15.00 लाख रुपये मात्र की राशि एवं एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन करने हेतु निर्णायक मंडल में सात सदस्य होंगे, जो निम्नानुसार भारतीय नागरिक होंगेः–

(i) भारत के माननीय उप–राष्ट्रपति (अध्यक्ष),

(ii) लोक सभा के माननीय अध्यक्ष (उपाध्यक्ष),

(iii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष (सदस्य),

(iv) एक प्रख्यात शिक्षाविद (सदस्य)

(v) एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता (सदस्य) जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है, तथा भारत में लोक जीवन से संबद्ध दो प्रख्यात व्यक्ति (सदस्य), जिनमें अंतरराष्ट्रीय मामलों का अनुभव रखने वाला एक सदस्य शामिल होगा।

(x) डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक सद्भाव और कमजोर वर्ग उत्थान पुरस्कार

यह पुरस्कार डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 1992 में शुरू किया गया तथा इसके लिए चयन प्रकाशित कार्य अथवा जन आंदोलन, जिसमें समाज के कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला हो, के आधार पर किया जाता है।

प्रतिवर्ष एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिसमें 10 लाख रुपये की राशि तथा एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

(xi) अंतर–जातीय विवाहों के माध्यम से सामाजिक एकीकरण हेतु डा. अम्बेडकर योजना

इस योजना का उद्देश्य नव–विवाहित दम्पत्तियों द्वारा अंतरजातीय विवाह के लिए सामाजिक रूप से उठाए गए साहसिक कदम को प्रोत्साहित करना तथा दम्पत्ति को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है ताकि वे अपनी शादीशुदा जिंदगी के आरंभिक चरण में आराम से जीवन यापन कर सकें। "कानूनी अंतर–जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन प्रति विवाह 2.50 लाख रुपये होगा। 10 रुपये के गैर–न्यायिक स्टॉम्प पेपर पर प्री–स्टॉम्प्ड रिसीट की प्राप्ति पर पात्र दम्पत्ति को उनके संयुक्त खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से 1.50 लाख रुपये जारी किए जाएंगे और बाकी रक़म 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिष्ठान में सावधि जमा के रूप में रखी जाएगी। प्रतिष्ठान द्वारा यह रक़म दम्पत्ति को ब्याज सहित प्रोत्साहन की स्वीकृति के 3 वर्ष के बाद जारी की जाएगी।

आवेदन में निम्नलिखित अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न होंगीः

(i) पति/पत्नी में से एक अनुसूचित जाति समुदाय का होने से संबंधित प्रमाण–पत्र

(ii) दूल्हा तथा दुल्हन के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र

(iii) हिन्दू विवाह अधिनियम,1955 के तहत विधिवत पंजीकृत विवाह प्रमाण–पत्र

(iv) उनके कानूनन विवाहित होने तथा वैवाहिक बंधन में बंधे होने संबंधी शपथ–पत्र।

(v) इस बाबत प्रमाण–पत्र कि यह दूल्हा और दुल्हन दोनों की पहली शादी है।

(vi) आवेदन विवाह से एक वर्ष की अवधि के भीतर का होना चाहिए।

(vii) वार्षिक आय का मानदंड हटा दिया गया है।

(viii) यदि दम्पत्ति ने इसी प्रयोजनार्थ राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन से कोई प्रोत्साहन प्राप्त किया है, तो उस प्रोत्साहन राशि को दम्पत्ति को अनुमोदित/जारी राशि कुल प्रोत्साहन राशि में से समायोजित किया जाएगा जिसे इस योजना के अंतर्गत उन्हें जारी किया जा सकता है।

(xii) बाबा साहेब अंबेडकर की संग्रहीत कार्य (सीडब्ल्यूडीए) संबंधी परियोजना:

डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान ने, 1993 में हिन्दी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित, बाबा साहेब अंबेडकर के संग्रहीत कार्यों के अनुवाद तथा प्रकाशन का कार्य हाथ में लिया था। प्रतिष्ठान ने सीडब्ल्यूडीए खंडों को अंग्रेजी में पुनःमुद्रित भी कराया है और 5 सीडब्ल्यूडीए खंडों को ब्रेल लिपि में भी प्रकाशित कराया है।

(xiii) सामाजिक न्याय संदेश:

प्रतिष्ठान सामाजिक न्याय विषय पर "सामाजिक न्याय संदेश" नामक मासिक हिन्दी पत्रिका प्रकाशित करता है। इसका मूल्य 10 रुपये प्रति कापी रखा गया है। इस पत्रिका का वार्षिक अंशदान 100/– रुपये द्विवार्षिक 180/– रुपये और त्रिवार्षिक 250/– रुपये है।

(ब्यौरों के लिए कृपया डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.ambedkarforundation.nic.in) को देखें।

18. 15, जनपथ, नई दिल्ली में डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसी)

डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना, डॉ. अंबेडकर के दर्शनशास्त्र पर अध्ययन करने संबंधी एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में की गई है।

19. 26, अलीपुर रोड, दिल्ली में डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय

जिस स्थल पर डॉ. अंबेडकर ने आखिरी सांस ली थी वहां पर उनके जीवन एवं कार्यों की स्मृति में एक अत्याधुनिक संग्रहालय की स्थापना की गई है।

वित्तीय निगम

20. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम
सिंहावलोकन

1. कॉरपोरेट प्रोफाइल

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी अधिनियम की धारा 8) के अंतर्गत एक "अलाभकारी" कंपनी के रूप में 08.02.1989 को की गई थी। इस निगम ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की लक्षित समूहों की जरूरतों की पूर्ति 09.04.2001 तक की थी। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लक्ष्य समूह के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के गठन के बाद, 10.04.2001 को एनएसएफडीसी को द्विभाजित किया गया था।

द्विभाजन के परिणामतः, एनएसएफडीसी अब केवल अनुसूचित जातियों के लक्ष्य समूहों की जरूरतों की पूर्ति करता है। एनएसएफडीसी, प्रशासनिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक पूर्ण स्वामित्व वाला भारत सरकार की अनुसूची "ग" के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है। एनएसएफडीसी की प्रबंध व्यवस्था निदेशक मंडल द्वारा की जाती है जिसमें केंद्रीय सरकार, राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों, वित्तीय संस्थानों और अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर–सरकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है।

एनएसएफडीसी के बोर्ड का उद्देश्य उन अनुसूचित जाति के सदस्यों को सामाजिक–आर्थिक अधिकारिता प्रदान करना है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय, ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में, 08.03.2018 से 3.00 लाख रुपये तक है।

2. विजन

दोहरी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास के माध्यम से गरीबी व्यवस्थित ढंग से कम करने में अग्रणी भूमिका निभाना, चैनेलाइजिंग एजेंसियों और अन्य विकासकारी भागीदारों के साथ कुशलता पूर्वक, जिम्मेदारी से और सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण से काम करना।

3. मिशन

सुगम वित्तीय सहायता और कौशल विकास एवं अन्य अभिनव पहल–कार्यों के माध्यम से अनुसूचित जातियों के बीच समृद्धि का संवर्द्धन करना।

4. उद्देश्य

एनएसएफडीसी के संगम ज्ञापन में निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति की जानी है:

- ❖ अनुसूचित जाति जनसंख्या के महत्व के व्यवसायों और अन्य आर्थिक गतिविधियों की पहचान करना।
- ❖ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त कौशलों और प्रक्रियाओं का उन्नयन करना।
- ❖ लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का संवर्द्धन करना।
- ❖ अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के उत्थान और आर्थिक कल्याण के लिए प्रायोगिक कार्यक्रमों का वित्त पोषण करना।
- ❖ अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की आर्थिक बेहतरी के लिए उन्हें वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार करना।

- लक्ष्य समूहों द्वारा अपनी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए, परियोजना तैयार करा कर, तत्संबंधी प्रशिक्षण दे कर और वित्तीय सहायता दे कर, उनकी सहायता करना।
- अनुसूचित जातियों के उन पात्र विद्यार्थियों को ऋण प्रदान करना जो भारत और विदेश में पूर्णकालिक व्यावसायिक और तकनीकी पठ्यक्रमों के अन्तर्गत अध्ययन कर रहे हैं।
- पात्र युवकों को ऋण प्रदान करना ताकि वे भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत अपने कौशल और अपनी रोजगार की योग्यता में वृद्धि कर सकें।

उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसरण में, एनएसएफडीसी, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की चैनेलाइजिंग एजेंसियों और अन्य चैनल पार्टनरों के माध्यम से, अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों को विभिन्न ऋण आधारित योजनाओं के अंतर्गत रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा लक्ष्य समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न ऋणेत्तर योजनाएं भी लागू कर रहा है।

5. प्राधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी

एनएसएफडीसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 1500.00 करोड़ रुपये है। दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार प्रदत्त शेयर पूंजी 1348.01 करोड़ रुपये है।

6. लक्ष्य समूह

एनएसएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत कवरेज हेतु लक्ष्य समूह का पात्रता मानदंड निम्नलिखित है:–

(i) लाभार्थी अनुसूचित जाति समुदाय से होना चाहिए।

(ii) व्यक्ति विशेष, भागीदारी फर्में और सहकारी सोसाइटियां आय सृजनकारी गतिविधियों को हाथ में ले सकती हैं। तथापि, भागीदारी फर्मों और सहकारी सोसाइटियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नलिखित बातों के अध्यधीन विचार किया जाएगा।

क) भागीदारी फर्मों और सहकारी सोसाइटियों के सभी सदस्य अनुसूचित जाति समुदाय के हों।

ख) प्रत्येक सदस्य/आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय, 08.03.2018 से ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 3.00 लाख रुपये तक है।

टिप्पणी: आवेदकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए)/चैनेलाइजिंग एजेंसियों/(सीए) के माध्यम से एनएसएफडीसी से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करें। आवेदकों/लाभार्थियों द्वारा सीधे संपर्क या पत्राचार पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) भागीदारी फर्मों और सहकारी सोसाइटियों के लाभार्थी(लाभार्थियों)/सदस्य(सदस्यों) की वार्षिक पारिवारिक आय

(क) 08.03.2018 से ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए प्रति सदस्य/आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये तक है।

टिप्पणी: पात्रता मानदंड का सत्यापन करना केवल एससीए/सीए की जिम्मेदारी है। तथापि आवश्यकता पड़ने पर एनएसएफडीसी पात्रता का पुनः सत्यापन कर सकता है।

7. संगठन

एनएसएफडीसी का प्रमुख, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है, जिसकी सहायता उप–महानिदेशक और वरिष्ठ कार्यपालकों की एक टीम द्वारा की जाती है। एनएसएफडीसी में 117 कर्मचारियों के मुकाबले 78 कर्मचारी कार्यरत हैं। दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय के अलावा, एनएसएफडीसी के बैंगलुरू, कोलकाता और मुम्बई स्थित तीन आंचलिक कार्यालय हैं।

8. प्रचालन का तरीका

एनएसएफडीसी, चैनल वित्त प्रणाली के माध्यम से लक्ष्य समूह को विभिन्न ऋण आधारित और गैर–ऋण आधारित सुविधाएं प्रदान करता है। एनएसएफडीसी का, 37 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र चैनेलाइजिंग एजेंसियों का एक नेटवर्क है, जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और 56 अन्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (सीए) द्वारा इसकी योजना के कार्यान्वयन हेतु नामित किया जाता है। इन 56 अन्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों में 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 37 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 3 गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – सूक्ष्म वित्त संस्थान और 5 अन्य संस्थान, जैसे झारखंड सिल्क, कपड़ा और हथकरघा विकास निगम (झारक्राफ्ट), पूर्वोत्तर विकास और वित्त निगम (एनईडीएफआई) आदि शामिल हैं।

9. एनएसएफडीसी की योजनाएं

ऋण आधारित योजना

1. आवधिक ऋण (टीएल)
2. लघु व्यवसाय योजना (एलवीवाई)
3. सूक्ष्म ऋण वित्त (एमसीएफ)
4. महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई)
5. शिल्पी स्मृति योजना (एसएसवाई)
6. महिला किसान योजना (एमकेवाई)
7. शैक्षिक ऋण योजना (ईएलएस)
8. नारी आर्थिक सशक्तिकरण योजना (एनएएसवाई)
9. व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना (वीईटीएलएस)
10. हरित व्यवसाय योजना (जीबीएस)
11. आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना (एएमवाई)
12. स्टैंड–अप इंडिया स्कीम (एसआईएस)

गैर–ऋण आधारित योजना

1. कौशल विकास प्रशिक्षम कार्यक्रम

एनएसएफडीसी की विभिन्न ऋण आधारित और गैर–ऋण आधारित योजनाएं है ताकि परिवहन सैक्टरों, शैक्षिक ऋण योजना और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण ऋण योजना सहित कृषि और संबद्ध कार्यों, लघु उद्योगों, सेवाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को आर्थिक और अन्य सहायता प्रदान की जा सके।

एनएसएफडीसी की योजनाओं का मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य समूह के सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।

ऋण रियायती ब्याज दरों पर प्रदान किया जाता है जो दिए गए ऋण की ऋण संबंधी योजना/मात्रा पर निर्भर करता है।

ऋण/गैर ऋण आधारित योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

ऋण आधारित योजनाएं

9.1 आवधिक ऋण (टीएल)

यह योजना 08.09.1989 को शुरू की गई थी।

(i) यूनिट लागत

एनएसएफडीसी 30.00 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजना(ओं)/यूनिट(यूनिटों) के लिए आवधिक ऋण प्रदान करता है।

(ii) सहायता की राशि

एनएसएफडीसी, परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक आवधिक ऋण इस शर्त पर प्रदान करता है कि एससीए/सीए, सहायता का अपना हिस्सा अपनी योजनाओं के अनुसार देगी और साथ–ही उपलब्ध अन्य स्रोतों से वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करने के अलावा, अपेक्षित सब्सिडी भी देगी।

(iii) प्रवर्तक का अंशदान

क्र. सं.	परियोजना/यूनिट लागत	परियोजना/यूनिट लागत की प्रतिशतता के रूप में न्यूनतम प्रवर्तक का अंशदान
क.	1.00 लाख रुपये तक लागत वाली परियोजनाएं	आग्रह नहीं किया जाए
ख.	1.00 लाख रुपये से अधिक और 2.50 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाएं	2%
ग.	2.50 लाख रुपये से अधिक और 5.00 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाएं	3%
घ.	5.00 लाख रुपये से अधिक और 10.00 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाएं	5%
ड़.	10.00 लाख रुपये से अधिक और 20.00 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाएं	7%
च.	20.00 लाख रुपये से अधिक और 30.00 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाएं	10%

(iv) सब्सिडी

अनुसूचित जाति उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा के (बीपीएल) नीचे रहने वाले लाभार्थी 10,000/– रुपये या यूनिट लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, सब्सिडी के पात्र होते हैं।

(v) ब्याज दर

क्र. सं.	प्रति यूनिट/मुनाफा केन्द्र की ऋण राशि (एनएसएफडीसी का हिस्सा)	प्रतिवर्ष प्रभार्य ब्याज	
		एससीए	लाभार्थी
क.	5.00 लाख रुपये तक	3%	6%
ख.	5.00 लाख रुपये से अधिक और 10.00 लाख रुपये तक	5%	8%

क्र. सं.	प्रति यूनिट/मुनाफा केन्द्र की ऋण राशि (एनएसएफडीसी का हिस्सा)	प्रतिवर्ष प्रभार्य ब्याज	
		एससीए	लाभार्थी
ग.	10.00 लाख रुपये से अधिक और 20.00 लाख रुपये तक	6%	9%
घ.	20.00 लाख रुपये से अधिक और 27.00 लाख रुपये तक	7%	10%

****उपर्युक्त ब्याज दरें स्लैब आधार पर नहीं हैं।**

(vi) पुनर्भुगतान अवधि

आवधिक ऋण का पुनर्भुगतान अधिस्थगन अवधि सहित, अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के भीतर, त्रैमासिक/अर्द्ध–वार्षिक/वार्षिक किश्तों में किया जाएगा।

(vii) द्वितीय ऋण

01.04.2011 से, प्रतियूनिट 2.00 लाख रुपये तक की आवधिक ऋण योजना के अंतर्गत ऋण प्रदत्त लाभार्थी इस शर्त के तहत दूसरी बार ऋण सहायता के पात्र होंगे कि (क) पूर्ववर्ती ऋण पूर्णतः चुका दिया गया है और (ख) वास्तविक संपत्ति अर्जन एवं सफल कारोबार संचालन की रिपोर्ट संतोषजनक है।

9.2 लघु व्यवसाय योजना (एलवीवाई)

यह योजना 01.04.2011 को शुरू की गई थी और 01.04.2016 एवं 17.04.2017 को संशोधित की गई थी।

(i) यूनिट लागत

एनएसएफडीसी 5.00 लाख रुपये की लागत वाली परियोजना(ओं)/युनिट(टों) के लिए ऋण प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत, लाभार्थी की आवश्यकता के अनुसार, छोटी–छोटी व्यापारिक गतिविधियों को हाथ में लेने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।

(ii) सहायता की राशि

एनएसएफडीसी, परियोजना लागत का 90% तक ऋण प्रदान करता है।

(iii) प्रवर्तक अंशदान

आवधिक ऋण के अनुसार

क्र. सं.	परियोजना/यूनिट लागत	परियोजना/यूनिट लागत की प्रतिशतता के रूप में न्यूनतम प्रवर्तक योगदान
(क)	1.00 लाख रुपये तक परियोजनाओं की लागत	जोर देने की आवश्यकता नहीं है
(ख)	1.00 लाख रुपये से अधिक और 2.50 लाख रुपये तक परियोजनाओं की लागत	2%
(ग)	2.50 लाख रुपये से अधिक और 5.00 लाख रुपये तक परियोजनाओं की लागत	3%

(iv) सब्सिडी

अनुसूचित जाति उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता की केन्द्र क्षेत्र योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के लाभार्थी 10,000/– रुपये की दर से सब्सिडी के या यूनिट लागत का 50% भाग, जो भी कम हो, के पात्र हैं। यदि कहीं लाभार्थियों को सब्सिडी नहीं दी जाती है तो राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां (एससीए)/चैनेलाइजिंग एजेंसियां (सीए) 'मार्जिन मनी' का अपना हिस्सा देंगी।

(v) ब्याज दर

एनएसएफडीसी एससीए/सीए से 3% की दर से ब्याज वसूल करेगी और एससीए/सीए लाभार्थियों से 6% की दर से ब्याज वसूल करेगा।

(vi) पुनर्भुगतान अवधि

इस योजना के अंतर्गत ऋण, अधिस्थगन अवधि सहित, अधिकतम 6 वर्ष की अवधि के भीतर त्रैमासिक/अर्द्ध–वार्षिक किश्तों में चुकाया जाएगा।

9.3 सूक्ष्म ऋण वित्त (एमसीएफ)

यह योजना 01.10.2000 को शुरू की गई थी।

(i) यूनिट लागत

एनएसएफडीसी, प्रथम चक्र में, 60,000/– रुपये तक की लागत वाली परियोजना(ओं)/यूनिट(टों) के लिए और बाद के चक्र में 1.00 लाख रुपये तक की परियोजना (ओं)/यूनिट(टों) के लिए ऋण प्रदान करता है।

(ii) सहायता की राशि

एनएसएफडीसी, परियोजना लागत का 90% तक ऋण प्रदान करता है।

(iii) सब्सिडी

अनुसूचित जाति उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता की केन्द्र क्षेत्र योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के लाभार्थी 10,000/– रुपये की दर से सब्सिडी के या यूनिट लागत का 50% भाग, जो भी कम हो, के पात्र हैं। यदि कहीं लाभार्थियों को सब्सिडी नहीं दी जाती है तो राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए)/चैनेलाइजिंग एजेंसियां (सीए) 'मार्जिन मनी' का अपना हिस्सा देंगी।

(iv) ब्याज दर

एनएसएफडीसी एससीए/सीए से 2% की दर से ब्याज वसूल करेगी और एससीए/सीए लाभार्थियों से 5% ब्याज की दर से वसूल करेगा।

(v) पुनर्भुगतान अवधि

इस योजना के अंतर्गत ऋण, 120 दिन की निधि उपयोगिता और अधिस्थगन अवधि सहित, प्रत्येक संवितरण की तारीख से अधिकतम साढ़े तीन वर्ष की अवधि के भीतर त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाएगा।

(vi) द्वितीय ऋण

संबंधित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से ऋण का पुनर्भुगतान करने पर, पात्र लाभार्थी एनएसएफडीसी योजनाओं के अंतर्गत कोई भी ऋण ले सकते हैं।

9.4 महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई)

यह योजना 01.10.2003 को शुरू की गई थी।

(i) यूनिट लागत

एनएसएफडीसी प्रथम चक्र में 60,000/– रुपये तक की लागत वाली परियोजना(ओं)/यूनिट(टों) के लिए और बाद के चक्र में 1.00 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजना(ओं)/यूनिट(टों) के लिए ऋण प्रदान करता है।

(ii) सहायता की राशि

एनएसएफडीसी, परियोजना लागत का 90% तक ऋण प्रदान करता है।

(iii) सब्सिडी

अनुसूचित जाति उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता की केन्द्र क्षेत्र योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के लाभार्थी 10,000/– रुपये की दर से सब्सिडी के या यूनिट लागत का 50% भाग, जो भी कम हो, के पात्र हैं। यदि कहीं लाभार्थियों को सब्सिडी नहीं दी जाती है तो राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां (एससीए)/चैनेलाइजिंग एजेंसियां (सीए) 'मार्जिन मनी' का अपना हिस्सा देंगी।

(iv) ब्याज दर

एनएसएफडीसी एससीए/सीए से 1% की दर से ब्याज वसूल करेगी और एससीए/सीए लाभार्थियों से 4% ब्याज की दर से वसूल करेगा।

(v) पुनर्भुगतान अवधि

इस योजना के अंतर्गत ऋण, 120 दिन की निधि उपयोगिता और अधिस्थगन अवधि सहित, प्रत्येक संवितरण की तारीख से अधिकतम साढ़े तीन वर्ष की अवधि के भीतर त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाएगा।

(vi) द्वितीय ऋण

संबंधित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से ऋण का पुनर्भुगतान करने पर, पात्र लाभार्थी एनएसएफडीसी योजनाओं के अंतर्गत कोई भी ऋण ले सकते हैं।

9.5 शिल्पी समृद्धि योजना (एसएसवाई)

यह योजना 01.04.2009 को शुरू की गई थी।

(i) यूनिट लागत

एनएसएफडीसी, 2,00,000/– रुपये तक की लागत वाली परियोजना(ओं)/यूनिट(टों) के लिए ऋण प्रदान करता है।

(ii) सहायता की राशि

एनएसएफडीसी, परियोजना लागत का 90% तक ऋण प्रदान करता है।

(iii) पात्रता

जाति और आय संबंधी मापदंड के अलावा, अनुसूचित जाति के कारीगारों के पास विकास आयुक्त (हस्त शिल्प), कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान–पत्र अवश्य होना चाहिए।

(iv) सब्सिडी

अनुसूचित जाति उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता की केन्द्र क्षेत्र योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के लाभार्थी 10,000/– रुपये की दर से सब्सिडी के या यूनिट लागत का 50% भाग, जो भी कम हो, के पात्र हैं। यदि कहीं

लाभार्थियों को सब्सिडी नहीं दी जाती है तो राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां (एससीए)/चैनेलाइजिंग एजेंसियां (सीए) 'मार्जिन मनी' का अपना हिस्सा देंगी।

(v) ब्याज दर

एनएसएफडीसी एससीए/सीए से 2% की दर से ब्याज वसूल करेगी, और एससीए/सीए लाभार्थियों से 5% ब्याज की दर से वसूल करेगा।

(vi) पुनर्भुगतान अवधि

ऋण अधिस्थगन अवधि सहित, अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के भीतर त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाएगा।

9.6 महिला किसान योजना (एमकेवाई)

यह योजना 01.05.2005 को शुरू की गई थी।

(i) यूनिट लागत

एनएसएफडीसी, 2,00,000/– रुपये तक की लागत वाली परियोजना(ओं)/यूनिट(टों) के लिए ऋण प्रदान करता है।

(ii) पात्रता

दोहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले अनुसूचित जाति की महिला लाभार्थी।

(iii) गतिविधियां

आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कृषि और या मिश्रित खेती (मिक्स्ड फार्मिंग) में आय–जन्य उद्यम।

(iv) सहायता की राशि

एनएसएफडीसी, परियोजना लागत का 90% तक ऋण प्रदान करता है।

(v) सब्सिडी

अनुसूचित जाति उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता की केन्द्र क्षेत्र योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के लाभार्थी 10,000/– रुपये की दर से सब्सिडी के या यूनिट लागत का 50% भाग, जो भी कम हो, के पात्र हैं। यदि कहीं लाभार्थियों को सब्सिडी नहीं दी जाती है तो राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां (एससीए)/चैनेलाइजिंग एजेंसियां (सीए) 'मार्जिन मनी' का अपना हिस्सा देंगी।

(vi) ब्याज दर

एनएसएफडीसी एससीए/सीए से 2% की दर से ब्याज वसूल करेगी और एससीए/सीए लाभार्थियों से 5% की दर से ब्याज वसूल करेगा।

(vii) पुनर्भुगतान अवधि

ऋण, अधिस्थगन अवधि सहित, अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के भीतर त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाएगा।

9.7 शैक्षिक ऋण योजना (ईएलएस)

यह योजना 01.12.2008 को शुरू की गई थी और 30.11.2013 को संशोधित की गई थी।

(i) प्रस्तावना

एनएसएफडीसी, अपने हिस्से के रूप में, मान्यता प्राप्त संस्थानों में (भारत में अध्ययन हेतु) 10.00 लाख रुपये तक और (विदेश

में अध्ययन हेतु) 20.00 लाख रुपये तक पूर्णकालिक व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करता है। यह शैक्षिक ऋण एक बारगी सहायता के रूप में दिया जाता है।

शैक्षिक ऋण पर पाठ्यक्रम चालू रहने के दौरान स्वीकृति हेतु विचार किया जा सकता है। तथापि, शैक्षिक ऋण पूर्ण किए गए पाठ्यक्रम के लिए नहीं दिया जा सकता है।

(ii) ऋण का प्रयोजन

ऋण में प्रवेश शुल्क, ट्यूशन फीस, पुस्तकें, लेखन–सामग्री, उपकरण, परीक्षा शुल्क, होस्टल एवं मैस के खर्चे, मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में ऋण के प्रति ऋण लेने वालों का बीमा पालिसी का बीमा–प्रीमियम, विदेश में अध्ययन करने हेतु वीजा संबंधी खर्चों सहित यात्रा व्यय/पैसेज मनी, जमानती राशि, विकास निधि, (विदेश में अध्ययन करने के मामले में) अत्यधिक उष्ण/शीत जलवायु में मौसम से बचने वाले कपड़ों सहित वस्त्र भत्ता, अप्रत्याशित खर्चों की पूर्ति हेतु कुल पाठ्यक्रम लागत का 1% आकस्मिक राशि, थीसिस मुद्रण प्रभार, थीसिस से संबंधित अन्य प्रभार, कैंपस कनवेंस (बस एवं रेलवे किराए सहित) शामिल हैं। इसके अलावा, पाठ्यक्रम के लिए अपेक्षित अन्य किसी मद के बारे में कालेज द्वारा दिए गए प्रमाण–पत्र के आधार पर विचार किया जा सकता है।

(iii) कवर किए गए व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम

ऋण, इंजीनियरिंग मेडिकल, डैंटल, मैनेजमैंट, सूचना प्रौद्योगिकी, होटल मैनेजमैंट, सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस/एएमआईई/एफआईए/आईईटी के क्षेत्र में पूर्णकालिक व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों और समुचित सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकृत करने/मान्यता देने वाले निकाय द्वारा व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम के रूप में प्रमाणित अन्य पाठ्यक्रम को पूरा करने हेतु प्रदान किया जाता है।

(iv) सहायता की राशि

एनएसएफडीसी (भारत में अध्ययन हेतु) 10.00 लाख रुपये तक ऋण अथवा (विदेश में अध्ययन हेतु) 20.00 लाख रुपये तक अथवा पाठ्यक्रम संबंधी खर्चों का 90%, जो भी कम हो, ऋण प्रदान करता है। शेष 10% भाग आवेदक/एससीए/सीए द्वारा वहन किया जाएगा।

(v) ब्याज दरें

एनएसएफडीसी, एससीए/सीए से 1.5% प्रतिवर्ष ब्याज वसूल करेगा, और एससीए/सीए लाभार्थियों से 4% की दर से ब्याज वसूल करेगा। महिला लाभार्थियों के मामले में, ब्याज में 0.5% की छूट दी जाती है।

(vii) पुनर्भुगतान अवधि

ऋण, अध्ययन अवधि सहित, अधिकतम 15 वर्ष की अवधि के भीतर त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाएगा। अधिस्थगन अवधि पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद 6 माह या रोजगार मिलने तक, जो भी पहले हो, समझी जाएगी। तथापि, ऋण की अवधि (करेंसी ऑफ लोन) प्रथम संवितरण की तारीख से 15 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत पुनर्भगतान की अवधि निम्नलिखित है:–

ऋण राशि	अध्ययन अवधि सहित पुनर्भुगतान की अधिकतम अवधि
7.50 लाख रुपये तक ऋण हेतु	10 वर्ष तक
7.50 लाख रुपये से अधिक ऋण हेतु	15 वर्ष तक

(vii) ब्याज सब्सिडी

एनएसएफडीसी, संसदीय अधिनियमों द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों, संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित संस्थानों में भारत में (12वीं कक्षा के बाद) मान्यता प्राप्त व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए शैक्षिक ऋण पर अधिस्थगन अवधि हेतु ब्याज–सब्सिडी की योजना के अंतर्गत दावा, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजेगा।

(viii) छात्रवृत्ति/रियायत/फ्री–शिप

यह योजना, समुचित निकायों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अभ्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति/रियायत/फ्री–शिप की प्राप्ति से पूर्व का अंतर पाटेगी। यदि छात्रवृत्ति रियायत/फ्री–शिप राज्य/केन्द्र सरकार या अन्य किसी स्रोत द्वारा प्रदान की जाती है तो पाठ्यक्रम की लागत यथानुपात आधार पर सीमित कर दी जाएगी।

(ix) पाठ्यक्रम जारी रहने के दौरान ऋण

पाठ्यक्रम जारी रहने के दौरान ऋण, जो 01.12.2009 (अर्थात इस योजना की शुरूआत की तारीख) के बाद शुरू हुआ है, के संबंध में एससीए/सीए की सिफारिशों के आधार पर विचार किया जाएगा।

(x) लिया गया ऋण (टेक–ओवर लोन)

एनएसएफडीसी, 01.12.2009 (अर्थात इस योजना की शुरूआत की तारीख) के बाद शुरू पाठ्यक्रम के लिए बैंक ऋण लेगा, बशर्ते पात्रता मानदंड की सभी शर्तें पूरी हों और बैंकों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र, स्वीकृति पत्र की प्रति प्राप्त कर ली गई हो। यदि बैंक किसी मोचन–निषेध (फोर क्लोजर) प्रभार की वसूली करते हैं तो उसका वहन अभ्यार्थियों द्वारा किया जाएगा। टेक ओवर ऋण प्रस्तावों को, आवश्यकतानुसार या तो अलग–अलग प्रोसेस किया जाएगा अथवा समूह में किया जाएगा।

9.8 नारी आर्थिक सशक्तिकरण योजना (एनएएसवाई)

यह योजना 08.02.2013 को शुरू की गई थी।

(i) उद्देश्य

उन एकल महिलाओं/विधवाओं/महिलाओं की सहायता करना जो अपने परिवारों की मुखिया हैं तथा जिन्हें आय–जन्य गतिविधियों को हाथ में लेना होता है ताकि वे अपना समाजिक–आर्थिक स्तर सुधार सकें।

(ii) पात्रता

जाति एवं आय के अलावा, निम्नलिखित मापदंड की पूर्ति की जाएगी: आवेदक या तो अकेली महिला (विधवा, तलाकशुदा), एकल माता अथवा 35 वर्ष से अधिक आयु की एकल महिला हो।

क) विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत वे सभी महिलाएं जो ऊपर (क) की शर्तें पूरी करती हों, वे भी इस योजना के अंतर्गत ऋण हेतु पात्र होंगी।

ख) आवेदक की आयु 25–50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(iii) यूनिट लागत

पात्र अभ्यर्थी, एनएसएफडीसी की योजनाओं के लिए निर्धारित यूनिट लागत के अनुसार उनकी योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

(iv) सहायता की राशि

क) एनएसएफडीसी अपनी आवधिक ऋण देने संबंधी नीति के अंतर्गत यथा अनुमत्य योजना के तहत, बिना किसी प्रवर्तक अंशदान आग्रह के, आवश्यकतानुसार ऋण प्रदान करता है और एससीए/सीए द्वारा प्रदान की जा रही मार्जिन मनी तथा विशेष संघटक योजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता की केन्द्र क्षेत्र योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों को सब्सिडी देने पर 10,000/– रुपये या यूनिट लागत का 50%, जो भी कम हो, की दर से विचार किया जाता है।

ख) इस योजना के अंतर्गत चुने गए लाभार्थियों को एनएसएफडीसी की कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सहायता देने हेतु भी विचार किया जाता है ताकि यदि वे चाहें तो प्रतिष्ठित संस्थानों में संगत व्यावसायिक एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।

ग) एससीए/सीए को, अधिकतम, 4,000/– रुपये प्रति यूनिट के अध्यधीन, इस योजना के अंतर्गत समाविष्ट लाभार्थियों के लिए 'हैंडहोल्डिंग एक्टिविटी' चलाने के प्रयोजनार्थ अनुदान के रूप में ऋण राशि का 2% प्रदान किया जाएगा।

घ) इस योजना के अन्तर्गत समाविष्ट लाभार्थी प्रथम ऋण की नियमित ऋण वापसी की शर्त के अध्यधीन, प्रथम ऋण लेने के दो वर्ष के बाद कारोबार विस्तार के लिए और वित्तीय सहायता लेने के पात्र होंगे।

(v) ब्याज दरें

एनएसएफडीसी एससीए/सीए से 1% प्रतिवर्ष की दर से मामूली ब्याज वसूल करेगा और वे लाभार्थियों से 4% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूल करेंगे।

(vi) पुनर्भुगतान अवधि

इस योजना के अंतर्गत, अधिस्थगन अवधि सहित, 10 वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर त्रैमासिक किश्तों में ऋण चुकाया जाएगा। वास्तविक पुनर्भुगतान अवधि, आर्थिक गतिविधि एवं आय सृजन के स्वरूप पर आधारित होगी।

9.9 व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना (वीईटीएलएस)

यह योजना 08.02.2014 को शुरू की गई थी और 14.01.2016 को संशोधित की गई थी।

(i) ऋण का प्रयोजन

लक्ष्य समूह के युवाओं को भारत में व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करके अपना कौशल एवं अपने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उन्हें ऋण स्वरूप वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यय पर विचार किया जाता है:–

- प्रवेश/ट्यूशन फीस
- परीक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला फीस
- जमानती राशि
- पुस्तकों, उपकरणों, उपस्करों की खरीद
- ठहरना और भोजन
- ऋण राशि के लिए बीमा।
- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रमाणित पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आवश्यक पाए गए अन्य कोई उचित व्यय।

एनएसएफडीसी उन पाठ्यक्रमों के लिए बैंक ऋण लेगा जो इस योजना के शुरू होने की तारीख के बाद शुरू किए गए हैं, बशर्ते सभी पात्रता मानदंडों की पूर्ति की गई हो और बैंकों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र तथा मंजूरी–पत्र प्राप्त कर लिया गया हो। यदि बैंक कोई मोचन–निषेध (फोर क्लोजर) प्रभार वसूल करता है तो वह अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा।

(ii) यूनिट लागत

एनएसएफडीसी, दो वर्ष तक की अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए 1.50 लाख रुपये तक ऋण प्रदान करता है। मद सं. (प) के अंतर्गत यथा परिकल्पित 100% खर्चों की पूर्ति करने के लिए आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता देने पर निम्नलिखित सीमा के अध्यधीन विचार किया जाएगा:

ऋण की राशि	अध्ययन अवधि–सहित–अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि
1 वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रम के लिए	1,00,000/– रुपये तक
एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष तक की अवधि के लिए	1,50,000/– रुपये तक

टिप्पणी: अधिक लागत व्यय के मामले में, उसका वहन लाभार्थी (लाभार्थियों) द्वारा किया जाएगा।

यह योजना, समुचित निकायों की विभिन्न योजनाओं के तहत अभ्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति/रियायत/फ्री–शिप की प्राप्ति से पहले के अंतर को पाटेगी। पाठ्यक्रम की लागत, यथानुपात आधार पर सीमित की जाएगी, यदि छात्रवृत्ति/रिआयात/फ्री–शिप राज्य/केन्द्र सरकार या अन्य किसी स्रोत द्वारा प्रदान की जाती है।

(iii) समाविष्ट व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

प्रशिक्षार्थी को दो वर्ष तक की अवधि के किसी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना होगा, जिसका संचालन या समर्थन सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन अथवा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, या राज्य कौशल मिशनों/राज्य कौशल निगमों द्वारा समर्थित किसी कंपनी/सोसाइटी/संगठन द्वारा किया जाता है। यह पाठ्यक्रम तरजीही तौर पर प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा/डिग्री आदि के लिए होगा और प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा/डिग्री आदि किसी सरकारी संगठन द्वारा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/प्राधिकृत किसी संगठन द्वारा जारी किए जाएंगे।

(iv) सहायता की राशि

एनएसएफडीसी सेमेस्टर/वार्षिक आधार पर पाठ्यक्रम की समस्त अवधि के व्यय का 100% तक ऋण प्रदान करता है।

(v) ब्याज दरें

एनएसएफडीसी, एससीए/सीए से 1.5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूल करेगा और एससीए/सीए लाभार्थियों से 4% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूल करेगा। महिला लाभार्थियों के मामले में, 0.5% की ब्याज छूट दी जाती है।

(vi) पुनर्भुगतान अवधि

ऋण, अधिस्थगन अवधि सहित, 7 वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाएगा। अधिस्थगन अवधि पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद छः माह या रोजगार मिलने तक, जो भी पहले हो, समझी जाएगी।

तथापि, ऋण की कुल अवधि (टोटल करेंसी आफ लोन) प्रथम संवितरण की तारीख से 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

पुनर्भुगतान अवधि निम्नलिखित है:

ऋण राशि	अध्ययन अवधि सहित अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि
1.00 लाख रुपये तक ऋण हेतु	5 वर्ष तक
1.00 लाख रुपये से अधिक ऋण हेतु	7 वर्ष तक

(vii) पुनर्भुगतान अवधि

लाभार्थी, ऋण की वापसी की शुरूआत के बाद किसी भी समय ऋण चुका सकता है। ऋण जल्दी चुकाने के मामले में, लाभार्थी (लाभार्थियों) से प्री–क्लोजर प्रभार के लिए कोई आग्रह नहीं किया जाएगा।

9.10 हरित व्यवसाय योजना (जीबीएस)

यह योजना 04.12.2014 को लागू की गई थी और 14.01.2016 एवं 17.04.2017 को संशोधित की गई थी।

(i) उद्देश्य

ऐसे कार्यकलापों के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना जिनसे आय सृजन के साथ–साथ जलवायु परिवर्तन से भी निपटा जा सके। इस योजना के अंतर्गत, आय सृजन के ऐसे कार्यकलापों को शामिल किया जाएगा जो ग्रीन हाउस के प्रभाव को कम कर सकें अथवा अनुकूलन पहल–कार्यों के अंतर्गत वर्गीकृत किए जा सकें।

(ii) सांकेतिक योजनाएं

❖ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (ई–रिक्शा)

❖ कम्प्रेस्ड एयर व्हीकल

❖ सोलर एनर्जी गेजेट

❖ पॉली हाउसेस

(iii) यूनिट लागत

एनएसएफडीसी, 3.00 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजना(ओं)/यूनिट(टों) के लिए ऋण प्रदान करता है।

(iv) सहायता की राशि

- एनएसएफडीसी आवधिक ऋण उधार नीति के अंतर्गत यथा अनुमत्य आवश्यकता आधारित ऋण प्रदान करता है।
- प्रवर्तक अंशदान और विचार करने के बाद मार्जिन मनी एससीए/सीए द्वारा प्रदान की जाती है।
- अनुसूचित जाति उप–योजना को विशेष केंद्रीय सहायता संबंधी केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत 10,000/– रुपये की दर की सीमा तक अथवा यूनिट लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सब्सिडी और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) लाभार्थियों को प्रदत्त सब्सिडी।

ब्याज दरें

क्र.सं.	लगत	निम्नलिखित प्रभार्य प्रति वर्ष ब्याज	
		एससीए	लाभार्थी
(क)	7.50 लाख रुपये तक	2%	4%
(ख)	7.50 लाख रुपये से अधिक और 15 लाख रुपये तक	3%	6%
(ग)	15 लाख रुपये से अधिक और 30 लाख रुपये तक	4%	7%

(vi) पुनर्भुगतान अवधि

ऋण, अधिस्थगन अवधि सहित, 10 वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाएगा।

9.11 आजीविका सूक्ष्म वित्त योजना (एएमवाई)

यह योजना 01.11.2015 को शुरू की गई थी।

(i) उद्देश्य

अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को, लघु/सूक्ष्म व्यापार संबंधी कार्यकलापों को पूरा करने के लिए गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी–एमएफआई) के माध्यम से ब्याज की उचित दर पर आवश्यकता आधारित सूक्ष्म वित्त सहायता तत्काल प्रदान करना।

(ii) पात्रता

दि लास्ट माइल फाइनांसियर अर्थात एनबीएफसी–एमएफआई को निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करने पर एनएसएफडीसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र माना जाएगाः

क. एनबीएफसी–एमएफआई, आरबीआई के पास नॉन–बैंकिंग फाइनांसियल कंपनी–माइक्रो फाइनांस इंस्टिट्यूशन (एनबीएफसी–एमएफआई) के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए।

ख. एनबीएफसी–एमएफआई को सूक्ष्म वित्त से संबंधित आरबीआई के सभी मानदंडों का पालन करना चाहिए।

ग. एनबीएफसी–एमएफआई का लगातार 3 वर्ष का मुनाफे का रिकार्ड होना चाहिए।

घ. एनबीएफसी–एमएफआई की अपने वार्षिक लेखों के अनुसार पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की सकल गैर–निष्पादनकारी संपत्ति (एनपीए) 2% से कम और निवल एनपीए 0.5% से कम होनी चाहिए।

ङ. एनबीएफसी–एमएफआई को क्रेडिट ब्यूरो का सदस्य होना चाहिए।

घ. एनबीएफसी–एमएफआई की क्रिसिल की न्यूनतम क्षमता मूल्यांकन रेटिंग एमएफआर5 अथवा समकक्ष होनी चाहिए।

ङ. एनबीएफसी–एमएफआई ने पिछले तीन वर्षों से बाह्य ऋण चुकाने में कोई चूक नहीं की हो या वह कार्पोरेट ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत नहीं आया हो।

च. एनबीएफसी–एमएफआई की आंतरिक लेखांकन, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक लेखा–परीक्षा, एमआईएस, नकद प्रबंधन आदि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और उसके वार्षिक लेखे पिछले तीन वर्ष के दौरान लेखा–परीक्षित किए गए होने चाहिएं।

छ. एनबीएफसी–एमएफआई के लिए यह वांछनीय होगा कि वे उनका कोड ऑफ कंडक्ट एसेसमेंट (सीओसीए) हो रखा हो और उसमें उन्हें 60 अंक या समकक्ष रेटिंग मिली हो।

(iii) यूनिट लागत

एनएसएफडीसी 60,000/– रुपये तक की लागत वाली परियोजना(ओं)/यूनिट(टों) के लिए ऋण प्रदान करता है।

(iv) सहायता की राशि

एनएसएफडीसी का हिस्सा, परियोजना लागत का 90% हो सकता है। शेष हिस्सा, एनबीएफसी–एमएफआई और/अथवा लाभार्थियों द्वारा दिया जाएगा।

(v) ब्याज दरें

एनएसएफडीसी, एनबीएफसी–एमएफआई से 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लेगा और एनबीएफसी–एमएफआई लाभार्थियों से 13% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूल करेगा। महिला लाभार्थियों के मामले में, ब्याज में 1% प्रतिवर्ष की छूट दी जाएगी।

(vi) ब्याज सहायता

लाभार्थी, वार्षिक आधार पर देय राशियों की समय पर पूरी वापस अदायगी करने पर, एनएसएफडीसी से 2% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहायता पाने के पात्र होंगे। ब्याज सहायता राशि, एनबीएफसी–एमएफआई द्वारा पूर्ण पुनर्भुगतान की शर्त के अध्यधीन, लाभार्थी द्वारा किए गए त्वरित पुनर्भुगतान के बारे में एनबीएफसी–एमएफआई से सूचना मिलने के बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) द्वारा लाभार्थियों के खाते में सीधा जमा करा दी जाएगी।

(vi) पुनर्भुगतान अवधि

ऋण, 120 दिन की निधि उपयोगिता और अधिस्थगन अवधि सहित, प्रत्येक संवितरण की तारीख से अधिकतम साढ़े तीन वर्ष की अवधि के भीतर त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाएगा।

(viii) द्वितीय ऋण

पूर्ववर्ती ऋण चुकाने के बाद, पात्र लाभार्थी एनबीएफसी–एमएफआई या एनएसएफडीसी की अन्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से एनएसएफडीसी योजनाओं के अंतर्गत और ऋण ले सकते हैं।

9.12 स्टैंड–अप इंडिया योजना (एसआईएस)

यह योजना 17.04.2017 को शुरू की गई थी।

(i) योजना का शीर्षक

अनुसूचित जाति उद्यमी वित्त–पोषण स्टैंड–अप इंडिया योजना।

(ii) उद्देश्य

10 लाख रुपये से 30 लाख रुपये की प्रति यूनिट के बीच निवेश लागत वाली स्टैंड–अप इंडिया योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के उद्यमियों को वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी)/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को आवश्यकता आधारित पुनर्वित्त पोषण करना।

(iii) पात्रता

क. बिना किसी आय मानदंड के अनुसूचित जाति के व्यक्ति।

ख. आवेदक किसी बैंक/वित्तीय संस्थान के प्रति चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

ग. इस योजना के अंतर्गत ऋण, प्रोपराइटर और भागीदारी फर्मों के रूप में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की निर्माणकारी अथवा सेवा प्रदायक अथवा व्यापार–क्षेत्र में केवल हरित क्षेत्र उद्यमियों के लिए उपलब्ध होगा। भागीदारी फर्मों के मामले में, सभी भागीदार अनुसूचित जाति समुदाय के होने चाहिएं।

(iv) प्रवर्तकों का अंशदान

प्रवर्तकों के अंशदान के मानदंड वही होंगे जो पीएसबी/आरआरबी द्वारा अपनाए जाते हैं।

(v) ऋण का स्वरूप

ऋण केवल आवधिक ऋण के स्वरूप में होगा ताकि यंत्र और संयत्र, विविध अचल संपत्तियां आदि जैसी परिसंपत्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। कार्यशील पूंजी घटक, यदि कोई हो, की पूर्ति पीएसबी/आरआरबी से अतिरिक्त सहायता द्वारा की जाएगी अथवा स्वयं आवदेकों द्वारा अपने स्रोतों से की जाएगी।

(vi) ऋण की राशि

परियोजना लागत सीमा 10.00 लाख रुपये से 30.00 लाख रुपये प्रति यूनिट प्रति प्रोफिट सेंटर होगी। एनएसएफडीसी का आवधिक ऋण, परियोजना लागत का 90 प्रतिशत होगा।

(vii) ब्याज दर

ब्याज दर निम्नलिखित होगी:

ऋण की राशि (एनएसएफडीसी का हिस्सा)	निम्नलिखित से प्रभार्य प्रति वर्ष ब्याज	
	पीएसबी/आरआरबी	लाभार्थी
10.00 लाख रुपये और 20.00 लाख रुपये तक	6 प्रतिशत	9 प्रतिशत
20.00 लाख रुपये से अधिक और 30.00 लाख रुपये तक	7 प्रतिशत	10 प्रतिशत

टिप्पणी: एनएसएफडीसी से धनराशियां प्राप्त होने के बाद, पीएसबी/आरआरबी 30 दिन की अवधि के भीतर अपनी ब्याज दर को एनएसएफडीसी की ब्याज दर में बदल देगा और निर्धारित प्रपत्र में इस संबंध में पुष्टि करेगा। प्राप्ति की पुष्टि होने पर, इसे निधि उपयोगिता के रूप में माना जाएगा।

(viii) पुनर्भुगतान अवधि

पुनर्भुगतान अवधि और अधिस्थगन अवधि, स्टैंड–अप इंडिया योजना के अंतर्गत पीएसबी/आरआरबी द्वारा अवगत एवं वित्त पोषित यूनिट को जारी उनकी स्वीकृति संबंधी शर्तों के अनुसार होगी।

(ix) यूनिट की कानूनी स्थिति

यूनिट लघु उद्योग (एसएसआई)/सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के पास अवश्य पंजीकृत हो।

(x) पुनर्वित्त संबंधी दावा निर्धारित प्रपत्र में पीएसबी/आरआरबी द्वारा प्रस्तुत किया जाए।

9.13 गैर–ऋण आधारित योजना – कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

(i) प्रस्तावना

एनएसएफडीसी, अपने एससीए के माध्यम या सीधे प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित करता है ताकि लक्ष्य–समूह के शिक्षित युवाओं को स्व–रोजगार युक्त बनाया जा सके। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रतिष्ठित सरकारी/अर्द्ध–सरकारी/स्वायत्त संस्थानों/विश्वविद्यल्यों/मानित विश्वविद्यालयों/क्षेत्र कौशल परिषदों/क्षेत्र कौशल परिषद संबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

(ii) पात्रता

क) वह अनुसूचित जाति का होना/होनी चाहिए।

ख) कोई वार्षिक पारिवारिक आय मापदंड नहीं होगा। तथापि, कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय के मानदंडों को प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु अपनाया जाएगा।

(iii) सहायता की राशि

एनएसएफडीसी द्वारा अनुदान के रूप में 100 प्रतिशत पाठ्यक्रम फीस और वजीफा प्रदान किया जाता है।

(iv) अवधि

स्व–रोजगार हेतु अच्छी संभावना वाले व्यवसायों में अल्पावधि कौशल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिनकी अवधि एक माह से एक वर्ष तक होती है।

(v) वजीफा

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, 1500/– रुपये प्रतिमाह की दर से वजीफा प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को दिया जाता है ताकि वह अपने आकस्मिक खर्चों की पूर्ति कर सके, बशर्ते उनकी प्रत्येक माह 90% उपस्थिति हो।

(vi) प्रशिक्षण कार्यक्रम

विभिन्न रोजगोन्मुखी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जैसे परिधान (अपरेल) प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी, प्लास्टिक प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रिक्ल रिपेयर्स और मेंटेनेंस, हार्डवेयर और नेटवर्किंग, मोबाइल फोन मरम्मत, उद्यमिता विकास कार्यक्रम आदि।

(vii) प्रशिक्षणोत्तर सहायता

प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित परीक्षाएं पास करने पर प्रमाण–पत्र दिए जाते हैं और संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, प्रशिक्षणार्थियों को, प्लेसमेंट सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के माध्यम से एनएसएफडीसी की वित्तीय सहायता से अपना उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण लेने हेतु उपलब्ध सुविधाओं के बारे में प्रशिक्षार्थियों को सूचित किया जाता है।

10. एनएसएफडीसी की योजनाओं के तहत लाभ उठाने की कार्यविधि

(क) एनएसएफडीसी योजना के तहत प्रस्ताव भेजने की कार्यविधि

इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए लाभार्थी (लाभार्थियों) को निम्नलिखित मानदण्ड पूरे करने होते हैं:–

i. वह अनुसूचित जाति का होना/होनी चाहिए।

ii. प्रत्येक सदस्य/आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 08.03.2018 से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 3.00 लाख रुपये तक है।

पात्र लाभार्थियों को संबंधित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए)/चैनेलाइजिंग एजेंसियों (सीए) को सभी अपेक्षित दस्तावेजों सहित, निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अपने परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहिए। एससीए/सीए की सूची www.nsfdc.nic.in पर उपलब्ध है। संबंधित एससीए/सीए, लाभार्थियों की साख के संबंध में प्रस्ताव की संवीक्षा करने और प्रस्ताव की व्यवहार्यता जांचने के बाद, उसे एनएसएफडीसी को अग्रेषित करता है।

(ख) एससीए/सीए को निधियों की स्वीकृति और संवितरण की कार्यविधि

एससीए/सीए से प्राप्त सभी अपेक्षित दस्तावेजों सहित प्रस्तावों की जांच परियोजना स्वीकृति समिति (पीसीसी) द्वारा की जाती है। यदि प्रस्ताव तकनीकी रूप से और आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाए जाते हैं तो उन्हें स्वीकृति हेतु समक्ष प्राधिकारी को संस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर एनएसएफडीसी दो प्रतियों में आशय पत्र (एलओआई) इस अनुरोध के साथ जारी करता है कि एक प्रतिलिपि वापस भेजे, जिसमें निधियों के वितरण हेतु अनुरोध किया गया हो और वह प्रति एससीए/सीए के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षित हो और उस पर हस्ताक्षरकर्ता की मोहर लगी हुई हो।

निधियों का वितरण एनएसएफडीसी द्वारा निम्नलिखित विवेकी मानदण्डों की पूर्ति के अध्यधीन किया जाता है:

वितरण हेतु विवेकी मानदण्ड		
एससीए के लिए	**पीएसबी/आरआरबी के लिए**	**पीएसबी/आरआरबी को छोड़कर अन्य चैनल पार्टनरों के लिए**
❖ सरकारी गारंटी/बैंक गारंटी की उपलब्धता ❖ पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में एक वर्ष से अधिक कोई अतिदेय राशि नहीं हो। ❖ फरवरी तक पूर्ववर्ती माह के अन्त में संबंधित एससीए को पहले ही वितरित धनराशियों का संचयी उपयोग स्तर कम से कम 80% होना चाहिए। मार्च के महीने में, 80 प्रतिशत संचयी उपयोगिता स्तर को पूर्ववर्ती दिवस के अंत के रूप में माना जाता है।	❖ वितरण के समय एनएसएफडीसी को कोई अतिदेय राशि भुगतान योग्य नहीं हो। ❖ पूर्व में वितरित निधियों का संचयी उपयोग, फरवरी तक पूर्ववर्ती महीने के अंत में 80% या इससे अधिक हो। मार्च के महीने में, 80 प्रतिशत संचयी उपयोगिता स्तर को पूर्ववर्ती दिवस के अंत के रूप में माना जाता है। ❖ आरआरबी की निवल गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां (एनपीए), पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए 10% से कम होनी चाहिए। **अथवा** ❖ पिछले 05 वित्तीय वर्षों के लिए औसत निवल एनपीए 10 प्रतिशत से कम होनी चाहिएं। इसके अलावा, इन पांच वर्षों में से, आरआरबी की निवल एनपीए कम से कम तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत से कम होनी चाहिए। ❖ पिछले वित्तीय वर्ष में आरआरबी का मुनाफा होना चाहिए। **अथवा**	❖ प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) **क्लस्टर मोड के अंतर्गत एनबीएफसी–एमएफआई** क) वितरित की जाने वाली राशि के बराबर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) से गारंटी। **अथवा** ख) 50 प्रतिशत पश्च दिनांकित चेकों (पीडीसी) के रूप में और 50 प्रतिशत पीएसबी से सावधि जमा के रूप में। वितरित की जाने वाली राशि के 50 प्रतिशत के बराबर एक दिनांक रहित पीडीसी। **नॉन–क्लस्टर मोड के अंतर्गत एनबीएफसी–एमएफआई** क) वितरित की जाने वाली राशि के बराबर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) से गारंटी/सार्वजनिक बैंक से सावधि जमा। **अथवा** ख) 50 प्रतिशत तक संबंधित संपत्ति मालिक (मालिकों) की वैयक्तिक/कॉरपोरेट गारंटी सहित आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति के बंधक (मोर्टगेज) के रूप में और बाकी पीएसबी से सावधि/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से गारंटी के रूप में।

वितरण हेतु विवेकी मानदण्ड		
एससीए के लिए	पीएसबी/आरआरबी के लिए	पीएसबी/आरआरबी को छोड़कर अन्य चैनल पार्टनरों के लिए
	❖ आरआरबी को पिछले पांच वित्तीय वर्षों में से कम से कम किन्हीं तीन वित्तीय वर्षों में मुनाफा होना चाहिए। ❖ आरआरबी किसी नियामक निकाय के प्रति चूककर्ता नहीं होना चाहिए।	❖ संवितरण के समय एनएसएफडीसी को कोई अतिदेय राशियां भुगतान योग्य नहीं हों। ❖ पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में एक वर्ष से अधिक के लिए एनएसएफडीसी निधियों की कोई लंबित उपयोगिता नहीं हो। ❖ पूर्ववर्ती संवितरण धनराशियों की संचयी उपयोगिता, फरवरी तक पूर्ववर्ती माह के अंत में 80 प्रतिशत और इससे अधिक हो। मार्च के महीने में, 80 प्रतिशत संचयी उपयोगिता स्तर को पूर्ववर्ती दिवस के अंत के रूप में माना जाता है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगमः

सिंहावलोकन

1. सामान्य आवधिक ऋण
2. महिला अधिकारिता योजना (एमएवाई)
3. महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई)
4. सूक्ष्म ऋण वित्त (एमसीएफ)
5. शिक्षा ऋण
6. स्वच्छता उद्यमी योजना– ''स्वच्छता से संपन्नता की ओर''
7. सैनेटरी मार्ट स्कीम
8. हरित व्यवसाय योजना

21. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत पूर्ण स्वामित्व वाला भारत सरकार का एक उपक्रम है, जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) के तहत ''अलाभकारी'' कंपनी के रूप में 24 जनवरी, 1997 को हुई थी। एनएसकेएफडीसी सफाई कर्मचारियों, स्केवेंजरों तथा उनके आश्रितों के समग्र सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतु एक शीर्षस्थ निगम है, जिसका प्रचालन अक्टूबर, 1997 से प्रारंभ हुआ। निगम यह कार्य देशभर में विभिन्न ऋण एवं गैर–ऋण आधारित योजनाओं के माध्यम से करता है।

एनएसकेएफडीसी की योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से किया जाता है।

एनएसकेएफडीसी के लक्ष्य समूह को भावी संवितरण हेतु एससीए/आरआरबी/राष्ट्रीयकृत बैंकों को रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

निगम का विज़न मैन्युअल स्केवेंजिंग की अमानवीय प्रथा को समाप्त करना और सफाई कर्मचारियों/स्केवेंजरों तथा उनके आश्रितों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए प्रयास करना है। एक मिशन के रूप में, निगम सफाई कर्मचारियों/स्केवेंजरों और उनके आश्रितों को आजीविका के वैकल्पिक साधन प्रदान करता है ताकि वे गरिमा, सम्मान और शान के साथ समाज की मुख्य धारा के साथ मिलकर जीवन व्यतीत कर सकें।

एनएसकेएफडीसी की योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क. ऋण आधारित योजनाएं

1. साधारण आवधिक ऋण

सफाई संबंधित कार्यकलापों सहित किसी भी अन्य व्यवहार्य आय सृजन योजनाओं के लिए लक्ष्य समूह को आवधिक ऋण राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

ऋण की राशि

- ❖ यूनिट लागत का अधिकतम 90 प्रतिशत और अधिक से अधिक 15 लाख रुपये तक आवधिक ऋण दिया जा सकता है
- ❖ शेष 10 प्रतिशत शेयर की अदायगी ऋण, सब्सिडी तथा प्रवर्तक के अंशदान, यदि कोई हो, के रूप में तथा निधि के अन्य सभी स्रोतों से राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा की जाएगी।

प्रवर्तक का अंशदान

- ❖ 2.00 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजना के लिए प्रवर्तक से अंशदान नहीं लिया जाता है।
- ❖ 2.00 लाख रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए लाभार्थी से प्रवर्तक का अंशदान केन्द्रीय सहायता द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि के 5 प्रतिशत पर 5 प्रतिशत है।

ब्याज की दर

- ❖ एनएसकेएफडीसी से एससीए को : 3 प्रतिशत प्रति वर्ष
- ❖ एससीए से लाभार्थियों को : 6 प्रतिशत प्रति वर्ष

पुनर्भुगतान की अवधि

व्यवहार्यता, लाभप्रदता और यूनिट की पुनर्भुगतान की क्षमता के आधार पर ऋण के संवितरण की तारीख से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए छह माह की ऋण अधिस्थगन अवधि और तीन माह तथा छह माह की कार्यान्वयन अवधि के बाद दस वर्ष तक।

2. महिला अधिकारिता योजना (एमएवाई)

पात्रता

लघु एवं छोटे व्यापार/व्यवसाय तथा विविध आय सृजक कार्यकलापों के लिए महिला सफाई कर्मचारी, स्केवेंजर और उनकी आश्रित पुत्रियां।

ऋण की राशि

- ❖ एनएसकेएफडीसी से यूनिट लागत की अधिकतम 90 प्रतिशत राशि, अधिकतम 1,00,000/– रुपये तक की राशि ऋण के रूप में प्रदान की जा सकती है।
- ❖ राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा ऋण, सब्सिडी के रूप में तथा निधियों के सभी अन्य उपलब्ध स्रोतों से शेष 10 प्रतिशत राशि प्रदान की जाएगी।

प्रवर्तक का अंशदान

लाभार्थियों से प्रवर्तक का अंशदान नहीं लिया जाता है।

ब्याज की दर

- ❖ एनएसकेएफडीसी से एससीए को : 2 प्रतिशत प्रति वर्ष
- ❖ एससीए से लाभार्थियों को : 5 प्रतिशत प्रति वर्ष

पुनर्भुगतान की अवधिः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए तीन माह और छह माह की कार्यान्वयन अवधि और छह माह अधिस्थगन की अवधि के बाद पांच वर्ष तक।

3. महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई)

पात्रता

लघु एवं छोटे व्यापार/व्यवसाय तथा विविध आय सृजक कार्यकलापों के लिए महिला सफाई कर्मचारी/स्केवेंजर और उनकी आश्रित पुत्रियां।

ऋण की राशि

- ❖ यूनिट लागत की अधिकतम 90 प्रतिशत राशि, अधिकतम 60 हजार रुपये तक की राशि एनएसकेएफडीसी से ऋण के रूप में प्रदान की जा सकती है। राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा ऋण, सब्सिडी के रूप में तथा निधियों के सभी अन्य उपलब्ध स्रोतों से शेष 10 प्रतिशत राशि प्रदान की जाएगी। स्व सहायता समूह के अंतर्गत ऋण की राशि 10.00 लाख रुपये है।

प्रवर्तक का अंशदान

लाभार्थियों से प्रवर्तक का अंशदान नहीं लिया जाता है।

ब्याज की दर

- ❖ एनएसकेएफडीसी से एससीए को : 1 प्रतिशत प्रति वर्ष
- ❖ एससीए से लाभार्थियों को : 4 प्रतिशत प्रति वर्ष

पुनर्भुगतान की अवधिः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए तीन माह और छह माह की कार्यान्वयन अवधि और छह माह की अधिस्थगन अवधि के बाद पांच वर्ष तक।

4. सूक्ष्म ऋण वित्त (एमसीएफ)

पात्रता

लघु एवं छोटे व्यापार/व्यवसाय तथा विविध आय सृजक कार्यकलापों के लिए महिला सफाई कर्मचारी/स्केवेंजर और उनकी आश्रित पुत्रियां।

ऋण की राशि

- ❖ यूनिट लागत की अधिकतम 90 प्रतिशत राशि, अधिकतम 60 हजार रुपये तक की राशि एनएसकेएफडीसी से ऋण के रूप में प्रदान की जा सकती है और स्व सहायता समूह के अंतर्गत ऋण की राशि 10.00 लाख रुपये है ।
- ❖ राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा ऋण, सब्सिडी के रूप में तथा निधियों के सभी अन्य उपलब्ध स्रोतों से शेष 10 प्रतिशत राशि प्रदान की जाएगी।

प्रवर्तक का अंशदान

लाभार्थियों से प्रवर्तक का अंशदान नहीं लिया जाता है।

ब्याज की दर

❖ एनएसकेएफडीसी से एससीए को	:	2 प्रतिशत प्रति वर्ष
❖ एससीए से लाभार्थियों को	:	5 प्रतिशत प्रति वर्ष

पुनर्भुगतान की अवधि: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए तीन माह और छह माह की कार्यान्वयन अवधि और छह माह की अधिस्थगन की अवधि के बाद तीन वर्ष तक।

5. शिक्षा ऋण

पात्रता

सफाई कर्मचारियों, स्केवेंजरों के समुदाय के विद्यार्थियों और उनके आश्रितों को स्नातक स्तर की तकनीकी शिक्षा या मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर , सभी विधाओं (अर्थात बीए, बीएससी तथा बीकॉम आदि) में स्नातक पाठ्यक्रमों, उच्चतर शिक्षा, कम से कम एक वर्ष की अवधि के सेनेटरी इंस्पेक्टर तथा अन्य समान रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रमों, फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी, नर्सिंग, होटल प्रबंधन तथा पर्यटन, पत्रकारिता तथा मॉस–कम्युनिकेशन, जरा चिकित्सा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर वेबसाइट पाठ्यक्रमों जैसे शिक्षा स्नातक, पी.एचडी., भाषा पाठ्यक्रम, बीसीए, एमसीए आदि (प्रधिकृत/मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों से)।

ऋण की राशि – कुल लागत का 90 प्रतिशत और अधिकतम राशि

❖ भारत में अध्ययन करने के लिए	:	10 लाख रुपये
❖ विदेश में अध्ययन करने के लिए	:	20 लाख रुपये

प्रवर्तक का अंशदान

लाभार्थियों से प्रवर्तक का अंशदान नहीं लिया जाता है।

ब्याज की दर

- एनएसकेएफडीसी से एससीए को : 1 प्रतिशत प्रति वर्ष
- एससीए से लाभार्थियों को : 4 प्रतिशत प्रति वर्ष*

*महिला लाभार्थियों के लिए ब्याज दर में 0.5 प्रतिशत की छूट। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के अंतर्गत जिन लाभार्थियों की पारिवारिक आय 4.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक है, उनको शिक्षा ऋण पर लगने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाती है।

पुनर्भुगतान की अवधि: एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित पाठ्यक्रम के सह समापन के बाद पांच वर्ष।

6. स्वच्छता उद्यमी योजना "स्वच्छता से संपन्नता की ओर"

	पे एण्ड यूज शौचालयों का प्रयोग करने संबंधी योजना	सफाई संबंधी वाहनों की योजना
पात्रता	लाभार्थी विशेष/स्व–सहायता समूह, प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से	मैन्युअल स्केवेंजरों/सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों का लक्ष्य समूह
प्रयोजन	सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रक्रिया के अंतर्गत पे एण्ड यूज सामुदायिक शौचालयों के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए	सफाई संबंधित वाहनों अर्थात गारबेज ट्रकों, सक्शन और जैट मशीन, वैक्यूम लोडर की खरीद और प्रचालन
ऋण की राशि	अधिकतम 25 लाख रुपये	अधिकतम 15 लाख रुपये
ब्याज की दर	(i) 4 प्रतिशत प्रति वर्ष (महिला लाभार्थियों के लिए प्रति वर्ष एक प्रतिशत की छूट और समय पर भुगतान करने के लिए 0.5 प्रतिशत की छूट)	(i) 4 प्रतिशत प्रति वर्ष (महिला लाभार्थियों के लिए प्रति वर्ष एक प्रतिशत की छूट और समय पर भुगतान करने के लिए 0.5 प्रतिशत की छूट)
पुनर्भुगतान की अवधि	10 वर्ष तक	10 वर्ष तक
अधिस्थगन अवधि	छह माह की कार्यान्वयन अवधि के अतिरिक्त छह माह।	छह माह की कार्यान्वयन अवधि के अतिरिक्त छह माह।
प्रशिक्षण	एनएसकेएफडीसी प्रशिक्षण अवधि के दौरान वृत्तिका सहित लाभार्थियों को जहां कहीं आवश्यक होगा कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करेगा।	एनएसकेएफडीसी प्रशिक्षण अवधि के दौरान वृत्तिका सहित लाभार्थियों को जहां कहीं आवश्यक होगा कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

7. सेनेटरी मार्ट योजना

सैनेटरी मार्ट एक ऐसी दुकान है जहां साफ–सफाई और स्वच्छता की सभी वस्तुएं मिलती हैं। यह एक ऐसा खरीदारी स्थान है जहां से आम आदमी एक ही दुकान से साफ–सफाई की जरूरत की सभी वस्तुएं खरीद सकता है। यह एक दुकान के रूप में और एक

सेवा केंद्र के रूप में दोनों तरह से लाभदायक है। इस योजना के अंतर्गत सैनेटरी मार्ट स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत लाभार्थियों/मुक्त मैनुअल स्कैवेंजरों के स्व–सहायता समूहों/सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

ऋण की राशि

एक सैनेटरी मार्ट शुरू करने के लिए कुल लागत का अधिकतम 90 प्रतिशत और अधिकतम 15 लाख रुपये। तथापि, ऋण की राशि को आर्थिक सहायता, यदि लागू हो, की राशि द्वारा कम किया जाएगा।

प्रवर्तक का अंशदान

सैनेटरी मार्ट की कुल लागत का 10 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा वहन किया जाएगा।

ब्याज की दर

4 प्रतिशत प्रति वर्ष। महिला लाभार्थियों के लिए एक प्रतिशत प्रतिवर्ष की छूट और समय पर भुगतान करने के लिए 0.5 प्रतिशत की छूट।

पुनर्भुगतान की अवधि

एनएसकेएफडीसी से लिया गया आवधिक ऋण तिमाही किस्तों में 10 वर्ष तक वापस चलना अपेक्षित होगा।

अधिस्थगन अवधि

ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए 3 माह और 6 माह की कार्य अवधि के अतिरिक्त 6 माह की अधिस्थगन अवधि की अनुमति दी जाएगी।

8. हरित व्यवसाय योजना (ग्रीन बिजनेस स्कीम)

ऐसे कार्यकलापों के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना जिनसे आय सृजन के साथ–साथ जलवायु परिवर्तन का सामना किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत आय सृजन के ऐसे कार्यकलापों को शामिल किया जाए और ग्रीन हाउस के प्रभाव को कम कर सके अथवा अनुकूलन पहल कार्यों के अंतर्गत वर्गीकृत किए जा सके।

पात्रता

सफाई कर्मचारी, स्कैवेंजर और उनके आश्रित।

सांकेतिक योजनाएं

बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (ई–रिक्शा), कंप्रेस्ड एयर व्हीकल, सोलर एनर्जी गजेट्स, पॉली हाउसेस।

ऋण की राशि

यूनिट लागत का 90 प्रतिशत और अधिकतम 2 लाख रुपये। तथापि, ऋण राशि को उपलब्ध सब्सिडी राशि में से, यदि कोई हो, कम किया जा सकता है।

प्रवर्तक का अंशदान

यूनिट लागत का 10 प्रतिशत

ब्याज की दर

❖ एनएसकेएफडीसी से एससीए को	:	2 प्रतिशत प्रति वर्ष
❖ एससीए से लाभार्थियों को	:	4 प्रतिशत प्रति वर्ष

(महिला लाभार्थियों के मामले में एनएसकेएफडीसी के ब्याज के शेयर में से 1 प्रतिशत की छूट)

टिप्पणी:

इस योजना के अंतर्गत ऋण का पुनर्भुगतान तिमाही किस्तों में किया जाएगा जिसकी अधिकतम अवधि छह वर्ष होगी जिसमें छह माह की अधिस्थगन अवधि शामिल है।

सब्सिडी

मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) के अंतर्गत एनएसकेएफडीसी की योजनाओं के लिए 3.25 लाख रुपये की अधिकतम सब्सिडी उस समय देय होगी जब यूनिट 'मैनुअल स्केवेंजरों के रूप में नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' के अनुसार अभिज्ञात मैनुअल स्केवेंजरों द्वारा गठित किया गया हो।

ख. गैर–ऋण आधारित योजनाए

1. कौशल विकास प्रशिक्षण

प्रयोजन

सफाई कर्मचारियों/मैनुअल स्केवेंजरों और उनके आश्रितों को आम मानकों के अनुरूप रोजगार से जुड़े कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि उन्हें कुशल और रोजगार/स्वरोजगार के लिए तैयार करके वैकल्पिक व्यवसायों में उनके पुनर्वास के लिए उन्हें तैयार किया जा सके।

पात्रता

- ❖ सफाई कर्मचारी/मैनुअल स्केवेंजर और उनके आश्रित।
- ❖ प्रशिक्षण संस्थानों की प्रवेश संबंधी आवश्यकता अनुसार।
- ❖ 18–40 वर्ष के आयु समूह के बीच अथवा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथा निर्धारित। फिर भी, रिकगनीशन प्रायर लर्निंग (आरपीएल) के अंतर्गत आयु सीमा 18–50 वर्ष है।

सहायता की राशि

पाठ्यक्रम शुल्क, भोजन व ठहरने संबंधी प्रभार आदि के प्रति अनुदान के रूप में 100 प्रतिशत, यदि लागू हो, इत्यादि और सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए 1500 रुपये प्रति माह तथा मैनुअल स्केवेंजरों तथा उनके आश्रितों के लिए 3000/– रुपये प्रतिमाह की वृत्तिका उनकी न्यूनतम 75% उपस्थिति के अध्यधीन।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रकार

विभिन्न पाठ्यक्रमों/रोजगारों में एनएसकेएफडीसी के लक्ष्य समूह के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सीआईपीईटी, एटीडीसी, एफडीडीआई इत्यादि जैसे सरकारी क्षेत्र प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण की अवधि पाठ्यक्रमों और लक्ष्य समूह की आवश्यकता पर निर्भर करते हुए दो वर्ष तक हो सकती है। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के तीन माह के भीतर न्यूनतम 70% रोजगार प्राप्त करने का लक्ष्य अपेक्षित है।

(ग) योजना तथा कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/अथवा अन्य किसी एजेंसी को निधियां संस्वीकृत करने की कार्यविधि

एनएसकेएफडीसी की योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/अथवा अन्य किसी एजेंसी को निधियां संस्वीकृत करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया निम्नलिखित हैः–

1. एनएसकेएफडीसी द्वारा अपनी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को विभिन्न एनएसकेएफडीसी योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृति तथा वितरण के लिए, अनुसूचित जाति जनसंख्या के आधार पर, सैद्धांतिक आवंटन किए जाते हैं और संप्रेषित किए जाते हैं।
2. सैद्धांतिक आवंटन के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों और विभिन्न आय जन्य गतिविधियों की व्यवहार्यता पर विचार करते हुए चैनेलाइजिंग, एजेंसियों द्वारा प्रस्ताव स्वीकृति हेतु एनएसकेएफडीसी को भेजे जाते हैं।
3. एससीए से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों, निधियों की उपलब्धता, कवरेज और राज्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए, निगम की परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा किया जाता है।
4. पीएसी की सिफारिशें अनुमोदनार्थ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखी जाती हैं।
5. बोर्ड द्वारा अनुमोदन के पश्चात, परियोजना प्रस्तावों की वित्तीय स्वीकृति एनएसकेएफडीसी द्वारा संबंधित एससीए को संप्रेषित की जाती है।
6. वित्तीय स्वीकृति की संस्वीकृत प्रतियां और इसके निबंधन एवं शर्तों को स्वीकृति के एक संकेत के रूप में एनएसकेएफडीसी को चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा भेजा जाता है।
7. एससीए से प्राप्त मांगों के आधार पर, एनएसकेएफडीसी की उधार नीति और मार्ग निर्देशों (एलपीजी) के अनुसार, संबंधित एससीए को निधियां जारी की जाती हैं।
8. एससीए, जिला लाभार्थी चयन समिति द्वारा चयनित लाभार्थियों को निधियां वितरित करने हेतु जिला कार्यालयों को निधियों का वितरण करते हैं। निधियों का वितरण लेखा आदाता चैकों/डिमांड ड्राफ्टों द्वारा किया जाता है। चैक/डिमांड ड्राफ्ट चल संपत्तियों के संबंधित आपूर्तिकर्ताओं के नाम पर परियोजनाओं की कार्यशील पूंजी और अन्य मदों की लागत हेतु लाभार्थियों के नाम पर दिए जाते हैं।

9. उपयोगिता प्रमाण–पत्र एससीए द्वारा एनएसकेएफडीसी को भेजे जाते हैं जिनमें लाभार्थियों के विवरण और लाभार्थियों को जिला कार्यालयों द्वारा किए गए भुगतान का विवरण होता है।
10. एनएसकेएफडीसी द्वारा अनुरक्षित उपयोगिता संबंधी आंकड़ों को उपयोगिता माना जाता है और शेष अप्रयुक्त निधियों के लिए एनएसकेएफडीसी द्वारा अपनी एससीए को अनुस्मारक भेजा जाता है।
11. एनएसकेएफडीसी द्वारा अपने एससीए को बकाया देय के समय पर भुगतान के लिए एजेंसियों द्वारा पुनर्भुगतान संबंधी तिमाही मांग और ब्याज का भुगतान भेजा जाता है।

(घ) लाभार्थियों द्वारा योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने की कार्यविधि

लाभार्थियों द्वारा योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाना

1. एनएसकेएफडीसी द्वारा स्वीकृत निधियों और यूनिटों/लाभार्थियों के आधार पर, एससीए द्वारा योजनाओं का प्रचार किया जाता है। इस कार्य के लिए प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में क्षेत्रीय भाषा में विज्ञापन दिए जाते हैं, जिला समाहर्ता, जिला कल्याण अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों तथा ग्राम पंचायत अधिकारियों के सूचना पट्टों पर नोटिस चिपकाए जाते हैं, ताकि पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा सकें।

2. पात्र लाभार्थियों का चयन जिला समाहर्ता की अध्यक्षता वाली लाभार्थी चयन समिति द्वारा किया जाता है जिसमें जिला कल्याण अधिकारी, एससीए का जिला प्रबंधक और कृषि/परिवहन/उद्योग विभागों के विशेषज्ञ अन्य सदस्य होते हैं।

3. दस्तावेज संबंधी औपचारिकताएं जैसे पात्रता दस्तावेजों का सत्यापन, ऋण करार, प्रतिभूति कागजात, अन्य कानूनी दस्तावेज लाभार्थियों से पूरे कराये जाते हैं तथा लाभार्थियों की सूची तैयार की जाती है।

(ङ) अन्य मानदण्ड

1. लक्ष्य समूह "सफाई कर्मचारी, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी और उनके आश्रित"।
2. एनएसकेएफडीसी की योजनाएं व्यवसाय आधारित होती हैं, न कि जाति आधारित।
3. एनएसकेएफडीसी की योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए आय संबंधी कोई मानदण्ड नहीं होता है।
4. एनएसकेएफडीसी की योजनाओं के तहत लाभ किसी भी व्यवहार्य आय जन्य गतिविधि के तहत प्राप्त किए जा सकते हैं।
5. वजीफा धनराशि डिजीटल इंडिया पहल के तहत प्रशिक्षार्थियों के बैंक खाते में सीधे अंतरण की जा रही है।
6. एनएसकेएफडीसी भी अपनी चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए निधियों का इलैक्ट्रोनिक अंतरण करता है और चैनेलाइजिंग एजेंसियों को यह भी सलाह दी गई है कि ऋण वितरण संबंधी लेन–देन लाभार्थियों के केवल उन बैंक खातों में ई–अंतरण के माध्यम से किए जाने अपेक्षित हैं जो उनके आधार नम्बरों से जुड़े हुए हैं। किन्हीं तृतीय पक्ष भुगतानों के मामले में, इसे भी ई–अंतरणों के माध्यम से किया जाना है, बशर्ते कि ऋणियों से इस आश्रय का लिखित अनुरोध प्राप्त हो। इस बात का लाभार्थी को संस्वीकृति पत्र जारी करते समय स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। इससे डिजीटल इंडिया पहल और कैशलेस सोसाइटी को भी बढ़ावा मिलेगा।

पिछड़ें वर्गों (बीसी) का विकास

पिछड़ा वर्ग (बीसी) विकास

सिंहावलोकन

1. भारत में अध्ययन के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति
2. भारत में अध्ययन के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
3. अन्य पिछड़े वर्गों के बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण
4. 'अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी)/विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध–घुमन्तू जनजातियां (डीएनटी/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के कौशल विकास के लिए सहायता' की केंद्रीय क्षेत्र योजना
5. अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप
6. अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए ओवरसीज अध्ययन के लिए शैक्षणिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी संबंधी डॉ. अम्बेडकर केंद्रीय क्षेत्र की योजना
7. विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध–घुमन्तू जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए डॉ. अम्बेडकर मैट्रिकपूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
8. विमुक्त, घुमन्तू जनजातियों के बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करने संबंधी नानाजी देशमुख योजना
9. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए डॉ. अम्बेडकर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
10. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

पिछड़ा वर्ग ब्यूरो

अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण की योजनाएं

1. भारत में अध्ययन के लिए अन्य पिछड़ा वर्गों को मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति

❖ छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों के मामलों में संस्वीकृत की जाएगी जिनके माता–पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।

❖ इस योजना के अंतर्गत, छात्रावास में रहने वालों के रूप में कक्षा III से X तक के विद्यार्थी कवर किए जाएंगे। छात्रवृत्तियों की दरें 500 रुपये प्रति माह, दस माह के लिए होंगी।

❖ दिवा छात्रों के रूप में कक्षा I से X तक के विद्यार्थी कवर किए जाएंगे। छात्रवृत्तियों की दरें 100 रुपये प्रति माह, दस माह के लिए होंगी।

❖ इसके अतिरिक्त, सभी विद्यार्थियों अर्थात छात्रावासी और दिवा छात्रों के लिए 500 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष का तदर्थ अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।

वित्तीय सहायता का पैटर्न

50 प्रतिशत केंद्रीय सहायता राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा चुने गए छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिस राज्य से उनका संबंध हो तथा ऐसा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार होता है। बकाया 50 प्रतिशत तथा अतिरिक्त मांग, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

सहायता में राज्य सरकार की कुल बजट उपलब्धता संबंधित राज्य द्वारा उस समय दर्शाई जाती है जो योजना के तहत केंद्रीय सहायता हेतु प्रस्ताव भेजते समय दर्शाई जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह एक "निधि सीमित योजना" है।

निधियां जारी करने की कार्यविधि

इस योजना में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता उनके पूर्ण प्रस्तावों के आधार पर जारी करता है ताकि वे लाभार्थियों को आगे संवितरण कर सकें। राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में देय मांग का 50 प्रतिशत दिया जाता है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकपूर्व योजना में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कोई प्रतिबद्ध देयता नहीं है।

इस योजना के अंतर्गत निधियों का प्रवाह निम्नानुसार हैः–

बीसीडी ब्यूरो (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार)

↓

भुगतान सलाह (राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एकमुश्त केंद्रीय सहायता जारी की जाती है जो इस छात्रवृत्ति को लाभार्थी विशेष को संवितरित करते हैं अथवा

↓

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समाज कल्याण विभाग अथवा जिला समाज कल्याण

↓

जिला शिक्षा अधिकारी अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी

↓

लाभार्थियों का बैंक खाता और शिक्षा संस्थान का बैंक खाता

लाभार्थियों द्वारा इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की कार्य विधि

सभी पात्र छात्र जो उपर्युक्त योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने की इच्छुक हैं, को अपने छात्रवृत्ति आवेदनों को मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा। इस योजना का ब्यौरा वेबसाइट http://socialjustice.nic.in/SchemeList/Send/2?mid=32549 पर उपलब्ध है।

2. भारत में अध्ययन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना

इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछडा वर्गों के ऐसे छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है जो मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे हों ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। यह छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन हेतु ही उपलब्ध है तथा यह राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी जाती है जिससे छात्र का वास्तव में संबंध हो अर्थात जहां आवेदक स्थायी रूप से रहता हो। इस प्रयोजनार्थ, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह एक "निधि सीमित योजना" है।

पात्रता संबंधी शर्तें

i) ये छात्रवृत्तियां केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्गों के भारतीय नागरिकों के लिए खुली हैं। इन पाठ्यक्रमों को चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है।

ii) ये छात्रवृत्तियां सभी मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर पाठ्यक्रमों के मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययन करने के लिए दी जाएंगी।

iii) अन्य पिछड़ा वर्गों के केवल ऐसे छात्र जिन्होंने मैट्रिक अथवा माध्यमिकोत्तर अथवा कोई उच्च शिक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा माध्यमिक बोर्ड से उत्तीर्ण की हो, पात्र होंगे।

iv) चिकित्सा पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र पात्र हैं बशर्ते कि अपने पाठ्यक्रम के दौरान कोई प्रेक्टिस न करते हों।

v) ऐसे छात्र जो कला/विज्ञान/वाणिज्य की माध्यमिक/स्नातकोत्तर परीक्षा में असफल अथवा उत्तीर्ण होने पर किसी अन्य मान्यता प्राप्त व्यावसायिक अथवा तकनीकी प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ करते हैं उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी यदि वे अन्यथा इसके पात्र हैं। इसके बाद कोई भी असफलता माफ नहीं की जाएगी सिवाय समूह "क" पाठ्यक्रमों में तथा पाठ्यक्रम बदलने के लिए कोई परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा।

vi) ऐसे छात्र जो पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से अध्ययन जारी रखते हैं, वे अप्रतिदेय फीस को वापस लेने के पात्र होंगे।

vii) सेवारत ऐसे छात्र जिनकी उनके माता–पिता/संरक्षकों की कुल आय 1.50 लाख प्रति वर्ष से अधिक न हो, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की उस सीमा तक प्रति अदायगी के पात्र होंगे जो सभी आवश्यक संदेय अप्रतिदेय फीस के बराबर हो।

viii) ऐसे बेरोजगार छात्र के मामले में जिनके माता–पिता/संरक्षक की सभी स्रोतों से आय 1.50 लाख रुपये से अधिक न हो, इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे।

ix) एक ही माता–पिता/संरक्षकों के केवल दो बच्चे ही छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे। तथापि, यह सीमा छात्राओं के मामले में लागू नहीं होगी।

छात्रवृत्तियों का मूल्य निम्न ब्यौरे के अनुसार है:

(क). भरण–पोषण भत्ता (प्रति माह)			(ङ) नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए पाठक प्रभार (रुपये प्रति माह)	
	दिवा विद्यार्थी	छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी		
समूह क	350/–	750/–	**समूह क और ख**	175/–
समूह ख	335/–	510/–	**समूह ग**	130/–
समूह ग	210/–	400/–	**समूह घ**	90/–
समूह घ	160/–	260/–		
(ख) अध्ययन दौरा प्रभार 900/– रुपये प्रति वर्ष (वास्तविक व्यय के अध्यधीन)			(च) वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति डीजीसीए द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार 200 घंटों के लिए एकल/बहुइंजन वायुयान के लिए 5000/– रुपये प्रति उड़ान घंटा। इसके अतिरिक्त, समूह "क" पाठ्यक्रम के लिए लागू दरों पर भरणपोषण भत्ता प्रदान किया जाएगा (यह डीजीसीए अनुमोदित फ्लाइंग संस्थानों में सीपीएल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यार्थियों तथा उनके स्वयं के द्वारा लागत की शेष राशि को पूरा करने की उनकी पुष्टि के अध्यधीन होगा)। सीपीएल के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या पहले–आओ–पहले–पाओ आधार पर 20 प्रतिवर्ष होगी।	
(ग) शोध टंकण तथा मुद्रण प्रभार 1000/– रुपये (अधिकतम)				
(घ) पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए पुस्तक के लिए पुस्तक भत्ता 900/– रुपये प्रति वर्ष				

निधियां जारी करने की कार्यविधि

इस योजना में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता उनके पूर्ण प्रस्तावों के आधार पर जारी करता है ताकि वे लाभार्थियों को आगे संवितरण कर सकें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुमानित आवंटन की शर्त पर स्वीकार्य मांग का 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता के रूप में भुगतान किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सभी पात्र विद्यार्थियों को केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान बनाए। इस योजना के लिए निधियों का प्रवाह निम्नानुसार हैः–

बीसीडी ब्यूरो (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार)

↓

भुगतान विवरण (राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एकमुश्त केंद्रीय सहायता जारी की जाती है)
जो इस छात्रवृत्ति को लाभार्थी विशेष को संवितरित करते हैं

↓

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समाज कल्याण विभाग अथवा

↓

जिला शिक्षा अधिकारी अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी

↓

लाभार्थियों का बैंक खाता और शिक्षा संस्था का बैंक खाता

लाभार्थियों द्वारा इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की कार्य विधि

सभी पात्र छात्र जो उपर्युक्त योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने की इच्छुक हैं, को अपने छात्रवृत्ति आवेदनों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा। इस योजना का ब्यौरा वेबसाइट http://socialjustice.nic.in/SchemeList/Send/4?mid=32549 पर उपलब्ध है।

3. अन्य पिछड़े वर्गों के बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण

इस योजना का उद्देश्य सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण छात्रों के लिए छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना है ताकि वे माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर सकें।

योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र एजेंसियां

(i) राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, विश्वविद्यालय।

(ii) केंद्र सरकार द्वारा किसी विधान के अंतर्गत स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित कोई संस्था अथवा संगठन (अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी, एनआईटी आदि)

योजना में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान परिकल्पित हैं–

योजना का वर्ष 2017–18 में संशोधन किया गया है। महत्वपूर्ण उपबंध निम्नानुसार है:–

(i) विभिन्न क्षेत्रों में प्रति छात्रावास सीट लागत निम्नानुसार है–

क)	पूर्वोत्तर क्षेत्र	–	3.50 लाख रुपये प्रति सीट
ख)	हिमालयन क्षेत्र	–	3.25 लाख रुपये प्रति सीट
ग)	बाकी देश में	–	3.00 लाख रुपये प्रति सीट

(ii) छात्रों के लिए छात्रावासों की निर्माण लागत केंद्र तथा राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में सहभाजित की जानी होती है।

(iii) छात्राओं हेतु छात्रावासों के मामले में 90 प्रतिशत केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी तथा बकाया 10 प्रतिशत लागत राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी।

(iv) संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता दी जाएगी तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह 90 प्रतिशत होगी।

(v) केंद्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए भारत सरकार का हिस्सा 90 प्रतिशत तथा लड़के और लड़कियों के छात्रों हेतु केंद्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान का हिस्सा 10 प्रतिशत होगा।

(vi) छात्रावास का निर्माण कार्य कार्यादेश देने के 18 माह के भीतर अथवा केंद्रीय सहायता जारी करने की तारीख से दो वर्षों के भीतर जो भी पहले हो, पूरा करना होगा। किसी भी स्थिति में कार्याविधि में दो वर्ष के बाद समयावधि नहीं बढ़ाई जाएगी। परियोजना में देरी के कारण हुई लागत वृद्धि राज्य/संस्थान द्वारा वहन की जाएगी। दूसरी किश्त का प्रस्ताव, छत तक का निर्माण पूरा होने के पश्चात पहली किश्त जारी होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर इस मंत्रालय में अवश्य भेजा जाए।

(vii) ऐसे समेकित छात्रावासों के लिए प्रस्ताव, जिनमें अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अपेक्षित संख्या में सीटें आरक्षित हों, उन पर साधारणतया योजना के तहत विचार किया जाएगा।

(viii) अनुदान राशि 50:45:5 के अनुपात में 3 किस्तों में जारी की जाएगी, जिसमें से 5 प्रतिशत अनुदान राशि कार्य पूरा हो जाने तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों तथा छात्राओं द्वारा कमरों में प्रवेश करने के बाद ही जारी की जाएगी।

(ix) योजना के तहत निर्मित छात्रावासों में फर्नीचर/उपस्कर उपलब्ध करवाने के लिए एकबारगी 2500 रुपये प्रति सीट की गैर आवर्ती राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

(x) राज्य सरकारें अपने स्वयं के छात्रावासों (राज्य सरकार की निधि से निर्मित) के लिए इस योजना के अंतर्गत फर्नीचर/उपस्कर की खरीद के लिए प्रस्ताव भी भेज सकते हैं जिसके लिए निधि की उपलब्धता के अध्ययधीन नए छात्रावासों के निर्माण के लिए 100 सीटों हेतु 2500/– रुपये प्रति सीट की एकबारगी राशि दी जाएगी।

(xi) राज्य सरकार अथवा केंद्रीय संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने से पूर्व उनकी देय राशि की व्यवस्था कर ली गई है।

(xii) सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के तहत चुने गए आदर्श गांव में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों तथा छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण का कार्य आरंभ किया जा सकता है बशर्ते कि भूमि उपलब्ध हो तथा चयनित गांव मौजूदा शैक्षिक संस्थानों के समीप क्षेत्रों में स्थित हो।

छात्रावासों की अवस्थिति तथा क्षमता

छात्रावासों को स्वीकृति प्रदान करते समय (क) अब तक कवर न किए गए क्षेत्र/जिला और (ख) बड़ी संख्या में शैक्षिक संस्थानों तथा जिलों/नगरों को प्राथमिकताएं दी जाएंगी। जहां तक संभव हो छात्रावासों का निर्माण शैक्षिक संस्थानों के समीप किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत छात्रावासों में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए पात्रता मानदंड

निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरा करने वाले छात्रों को इस योजना के अंतर्गत निर्मित छात्रावासों में सीटें आवंटित की जाएंगीः–

i वे छात्र जिनकी जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सूची में शामिल हैं तथा जो "क्रीमीलेयर" के नहीं हैं।

ii ये छात्रावास मैट्रिकोत्तर छात्रों के लिए ही होंगे। तथापि, यदि इनमें रिक्त सीटें हैं, विशेष रूप से माध्यमिक स्तर के मैट्रिकपूर्व छात्र भी लिए पात्र होंगे।

iii अन्य बातें समान होने पर निम्न आय परिवारों के अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को वरीयता दी जाएगी।

iv कुल सीटों का न्यूनतम 5 प्रतिशत दिव्यांग छात्रों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।

निधियां जारी करने के लिए कार्य विधि

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग उन कार्यान्वयन एजेंसी को निधि जारी करता है, जो निम्नलिखित में से कोई भी हो सकती हैः–

i) राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, विश्वविद्यालय।

ii) केंद्र सरकार द्वारा किसी विधान के अंतर्गत स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित कोई संस्था अथवा संगठन (अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी, एनआईटी आदि)

निधि का प्रवाह इस प्रकार हैः–

बीसीडी ब्यूरो (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार)

↓

कार्यान्वयन एजेंसी

इन योजनाओं का ब्यौरा वेबसाइट http://socialjustice.nic.in/UploadFile/Guidelines%20Hostel.pdf पर उपलब्ध है।

4. 'अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी)/विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध–घुमन्तू जनजातियां (डीएनटी)/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के कौशल विकास के लिए सहायता' की केंद्रीय क्षेत्र योजना

इस योजना का उद्देश्य स्वैच्छिक क्षेत्र तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) को लक्ष्य समूहों अर्थात ओबीसी/डीएनटी/ईबीसी की शैक्षिक तथा सामाजिक–आर्थिक दशा को सुधारने के लिए उनके कौशल का उन्नयन करने के मद्देनजर शामिल करना है ताकि वे स्वयं अपने आय सृजक कार्यकलाप आरंभ करने अथवा किसी अन्य क्षेत्र में लाभदायक रोजगार में नियुक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।

वित्त वर्ष 2017—18 से, इस योजना के अंतर्गत केवल उन स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान की जाएगी जो योजना के ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होने से पहले योजना के अंतर्गत निरंतर अनुदान प्राप्त कर रहे हैं और एनएसक्यूएफ के मानकों का अनुकरण कर रहे हैं।

पात्र नए एनजीओ वित्त वर्ष 2017—18 से अनुदान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ,(एनबीसीएफडीसी) को आवेदन करेंगे।

कार्यकलापों की सूची जिन्हें एनजीओ अपना सकते हैं, इस प्रकार हैं :—

(i) कारपेंटरी (ii) कम्प्यूटर शिक्षा (iii) क्राफ्ट सेंटर (iv) दरी बनाने का प्रशिक्षण (v) डीजल पम्पसेट रिपेयरिंग (vi) इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग (vii) फल परिरक्षण प्रशिक्षण (viii) कीमती पत्थर कटिंग (ix) वेल्डिंग और फिटर प्रशिक्षण (x) फोटोग्राफी (xi) प्लम्बिंग (xii) प्रिंटिंग कम्पोजिंग और बुक बाइंडिंग (xiii) स्कूटर मोटर साइकिल और आटो रिक्शा रिपेयरिंग (xiv) कातना और बुनना (xv) टाइपिंग और शार्टहैंड (xvi) टाई और डाई प्रशिक्षण (xvii) लेदर आर्ट (xviii) डेंटिंग और स्प्रे प्रिंटिंग (xix) टीवी, वीसीआर और रेडियो रिपेयरिंग।

इन व्यवसायों का चयन प्रस्तावित स्थान के समीप विद्यमान अवसंरचना तथा इसके साथ—साथ नियोजन की संभावना पर निर्भर करेगा।

मुख्य विशेषताएं/निधि जारी करने के लिए मानदंड और शर्तें

i. इस योजना को वर्ष 2014—15 से ऑनलाइन किया गया है। जिन संगठनों को संबंधित राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा विधिवत् रूप से संस्तुत किया गया है, वे इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र हैं। पात्र एनजीओ विशिष्ट पहचान पत्र प्राप्त करने और संगठन का पेन नम्बर और पदाधिकारियों के पेन नम्बर और आधार संबंधी ब्यौरे प्रस्तुत करने के बाद ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा मैनुअल और अन्य ब्यौरे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.socialjustice.nic.in पर उपलब्ध हैं।

ii. इस योजना के अंतर्गत पात्र एजेंसियों/स्वैच्छिक संगठनों को परियोजना लागत का 90 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। किसी विशेष श्रेणी की परियोजना के लिए स्वैच्छिक संगठन/एनजीओ/एनबीसीएफडीसी को दी जाने वाली वित्तीय सहायता सरकार द्वारा परियोजना की उक्त श्रेणी के लिए निर्धारित और समय—समय पर संशोधित वित्तीय मानदंडों तक सीमित होगी।

iii. यदि किसी मद जिसके लिए वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई है, पर किया जाने वाला वास्तविक व्यय निर्धारित सहायता अनुदान के स्तर से कम होता है, तो वह संगठन भारत सरकार को सहायता अनुदान की अप्रयुक्त राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा अथवा सहायता अनुदान की अप्रयुक्त राशि अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए अनुमत्य सहायता अनुदान के प्रति समायोजित की जाएगी।

iv. किसी लाभार्थी से कोई प्रति व्यक्ति शुल्क अथवा अन्य ऐसा कोई शुल्क अथवा किसी भी रूप में दान नहीं लिया जाएगा।

v. एनजीओ/एनबीसीएफडीसी के लिए यह अनिवार्य है कि वे लाभार्थियों की सूची प्रस्तुत करें जिसमें उनका नाम, पता, आधार नं आदि का ब्यौरा दिया जाएगा। एनजीओ/एनबीसीएफडीसी परियोजना के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्टें (कार्यनिष्पादन—एवं उपलब्धि रिपोर्ट) मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे जिसमें वास्तविक और वित्तीय दोनों किस्म की उपलब्धियों का उल्लेख किया जाएगा।

vi. योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक संगठन को समय–समय पर यथा संशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली, 1963 के नियम–149 में निर्धारित प्रक्रिया और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राष्ट्रीय आयोग, राज्य सरकार के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ नामित अन्य कोई एजेंसी की सिफारिश पर अनुदान मंजूर किया जाएगा

vii. समय–समय पर सामान्य वित्तीय नियमावली 2017, यथा संशोधित के अंतर्गत प्रक्रिया के अनुसार सहायता अनुदान संस्वीकृत किया जाएगा।

viii. संगठन/स्वैच्छिक संगठन/एनबीसीएफडीसी इस योजना के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान का अलग से लेखा रखेंगे। इसे भारत सरकार अथवा राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति होगी, द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा किसी भी समय जांच के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा इसकी कभी भी जांच की जा सकती है।

ix. निधियां अनन्य रूप से उसी प्रयोजन के लिए खर्च की जाएंगी जिसके लिए वे आवंटित की गई हैं, और ये इसी प्रयोजन के लिए एक से अधिक स्रोत से सहायता प्राप्त नहीं करेंगे। भारत सरकार की सहायता से संगठन द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं किसी ऋणभार से मुक्त होनी चाहिए और उस परिसर में अध्ययनरत लाभार्थियों से कोई अंशदान अथवा शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।

x. अनुदान जारी करने से पूर्व, अनुदान ग्राही संस्थान को भारत के राष्ट्रपति को दो जमानतों के साथ गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इस आशय एक बाण्ड देना होगा कि वह अनुदान की शर्तों एवं निबंधनों का पालन करेगा और इनका पालन न करने के संबंध में वह सामान्य वित्त नियम (जीआरएफ) अथवा बाण्ड के अंतर्गत विनिर्दिष्टानुसार, इस प्रयोजनार्थ उसे स्वीकृत सहायता अनुदान की कुल राशि पर लगे ब्याज सहित वापिस करेगा । इस बाण्ड का निष्पादन गैर–सरकारी संस्था अथवा उन संस्थाओं पर लागू नहीं होगा जिनका बजट या तो सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो अथवा सरकार ने उनकी प्रबंधन समिति/शासी निकाय में अपना प्रतिनिधि नामित किया हो ।

xi. संगठन को, सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना संस्वीकृत सहायता अनुदान से खरीदे गए किसी भी पूंजीगत उपस्कर तथा संपत्ति को बेचने का प्राधिकार नहीं होगा। संगठन द्वारा स्कीम को समाप्त करने अथवा शीघ्र ही समाप्त की जाने वाली स्कीम की स्थिति में ऐसे उपस्कर तथा संपत्ति का स्वामित्व भारत सरकार के पास होगा। संगठन, सरकार से प्राप्त अनुदान से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से अर्जित सभी परिसंपत्तियों का लेखापरीक्षित रिकार्ड भी रखेगा।

xii. इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए काम पर लगाए गए मुख्य अनुदेशक/अनुदेशक/मास्टर क्राफ्टमैन संबंधित ट्रेड में समुचित रूप से तथा सरकार द्वारा संचालित ऐसे ही संस्थान द्वारा अपनाए गए पैटर्न में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित हो।

निधियां जारी करने की कार्यविधि

निधियों का प्रवाह निम्नानुसार है:

बीसीडी ब्यूरो (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार)

↓

गैर–सरकारी संगठन/एनबीसीएफडीसी

↓

लाभार्थी

योजना के तहत संस्वीकृति हेतु कार्यविधि

1. ऑन–लाइन आवेदन (केवल चालू मामलों के लिए)
2. जिला प्राधिकारियों की निरीक्षण टिप्पणी
3. राज्य की सिफारिशें

इन योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित वेबसाइट पर दिया गया है।

http://socialjustice.nic.in/SchemeList/Send/1?mind=32549 पर उपलब्ध है।

5 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप

इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं तथा वैज्ञानिक संस्थाओं में एमफिल और पीएचडी जैसी डिग्री के लिए गुणवत्ता उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ।

प्रमुख विशेषताएं

i यह योजना अन्य पिछड़ा वर्गों के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2014–15 से प्रतिवर्ष कुल 300 जूनियर रिसर्च फेलोशिप तथा 2016–17 से 300 सीनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यताप्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को कवर करती है तथा एम.फिल और पीएच.डी. करने वाले अनुसंधान छात्रों को प्रदान की जा रही यूजीसी फैलोशिप की योजना के पैटर्न पर स्वयं यूजीसी द्वारा क्रियान्वित की जाती है।

ii इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए यूजीसी एक नोडल एजेंसी है तथा यूजीसी प्रेस में उपयुक्त तारीख पर विज्ञापन जारी करके योजना को अधिसूचित करता है ।

iii अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी छात्र, जिसने किसी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षिक संस्था में प्रवेश की अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उस विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था में एम.फिल/पीएच.डी. डिग्री में प्रवेश पा लिया है, यूजीसी के विज्ञापन के अनुसार योजना के प्रावधानों के बशर्ते फैलोशिप पाने के लिए पात्र है ।

iv दो वर्ष के पश्चात, छात्रवृत्ति प्राप्तकर्त्ता के अनुसंधान कार्य की प्रगति संतोषजनक पाए जाने पर वरिष्ठ अनुसंधान फैलोशिप के रूप में आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा। अनुसंधान कार्य का मूल्यांकन यूजीसी मानकों के अनुसार किया जाएगा। जेआरएफ तथा एसआरएफ की कुल अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। फैलोशिप का भुगतान एम.फिल/पीएच.डी. पाठ्यक्रम में छात्र का पंजीकरण होने की तारीख से किया जाएगा ।

v अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की श्रेणी से संबंधित छात्र फैलोशिप के लिए एक बार पात्र हो जाने के बाद दो बार लाभ मिलने को रोकने तथा कवरेज को बढ़ाने के लिए केंद्र या राज्य सरकार और अन्य किसी निकाय जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो कि समान लाभ प्रदान करते हैं, द्वारा दिए जाने वाले अन्य किसी लाभ का पात्र नहीं होगा। केवल वही छात्र, जो किसी विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान से नियमित और पूर्णकालिक एमफिल/पीएचडी पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं, वे फैलोशिप के पात्र होंगे। किसी भी विश्वविद्यालय/कॉलेज/शैक्षणिक संस्था/केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का कोई कर्मचारी फैलोशिप का लाभ नहीं उठा पाएगा, चाहे उसने एमफिल/पीएचडी पाठ्यक्रम में अध्ययन करने के लिए अध्ययन छुट्टी अथवा असाधारण छुट्टी न ली हो।

vi जेआरएफ के लिए फेलोशिप की दर 25,000 रुपये प्रतिमाह है और एसआरएफ के लिए 28,000 रुपये प्रतिमाह है।

लाभार्थियों द्वारा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की कार्यविधि

पात्र छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आवेदन करना चाहिए जब भी विज्ञापनों के माध्यम से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन योजनाओं का ब्यौरा वेबसाइट www.socialjustice.nic.in/SchemeList/Send/7?mid=32549 पर दिया गया है।

6. अन्य पिछड़ा वर्गों (अ.पि.व.) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के छात्रों के लिए ओवरसीज अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी संबंधी डॉ. अम्बेडकर योजना

इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के जरूरतमंद मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां उपलब्ध करवाना है ताकि वे बिना किसी रुकावट के विदेश में अपनी उच्च शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

क) उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के मेधावी छात्रों को ब्याज सब्सिडी देना है ताकि उन्हें विदेश में मास्टर्स तथा पीएच.डी. स्तर जैसी उच्च शिक्षा हेतु बेहतर अवसर प्रदान किए जा सकें जिससे उनके नियोजन की संभावना में वृद्धि हो सके।

ख) कार्य क्षेत्र

इस योजना के तहत, अधिस्थगन अवधि हेतु शिक्षा ऋणों हेतु योजना के तहत संदेय ब्याज पर सब्सिडी का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

ग) ब्याज सब्सिडी हेतु शर्तें

i यह योजना विदेश में उच्च अध्ययन हेतु लागू है। ब्याज सब्सिडी को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की मौजूदा शिक्षा ऋण योजना के साथ जोड़ दिया जाएगा तथा इसे स्नातकोत्तर, एम.फिल तथा पीएच.डी. स्तर के पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत छात्रों तक सीमित रखा जाएगा।

ii इस योजना के तहत सब्सिडी केवल एक बार ही उपलब्ध होगी, या स्नातकोत्तर स्तर पर अथवा पीएच.डी. स्तर पर। ये लाभ ऐसे छात्रों को उपलब्ध नहीं होंगे जो किसी भी कारण से पाठ्यक्रम को बीच में ही छोड़ देते हैं अथवा जिन्हें संस्थानों द्वारा अनुशासन अथवा शैक्षिक आधार पर निष्कासित कर दिया जाता है।

iii यदि कोई छात्र योजना की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, उस स्थिति में सब्सिडी को तुरंत रोक दिया जाएगा तथा अदा की गई सब्सिडी की राशि को दांडिक ब्याज के साथ विधि के अनुसार कार्रवाई करने के साथ–साथ वसूल की जाएगी।

iv नोडल बैंक मंत्रालय से प्राप्त निधियों के संबंध में अलग खाते एवं अभिलेख रखेगा तथा इनकी मंत्रालय के अधिकारियों अथवा मंत्रालय द्वारा नामोदिष्ट किसी अन्य एजेंसी तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निरीक्षण/लेखापरीक्षा की जाएगी।

v नोडल बैंक मंत्रालय के साथ परामर्श करके पात्र छात्रों को ब्याज सब्सिडी संबंधी मामले पर कार्रवाई कर स्वीकृति प्रदान करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

घ) पात्रता

i छात्रों को अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए विदेश में स्नातकोत्तर, एम.फिल अथवा पीएच.डी. स्तरों पर प्रवेश लेना होगा।

ii छात्र/छात्रा ने भारतीय बैंक संघ की ऋण संबंधी योजना के तहत किसी अनुसूचित बैंक से इस प्रयोजनार्थ शिक्षा ऋण प्राप्त किया हो।

ङ) आय सीमा

i नियोजित उम्मीदवार अथवा बेरोजगार के माता–पिता/संरक्षक की उसके सभी स्रोतों से कुल आय ओबीसी के लिए वर्तमान मानदंडों से अधिक नहीं होनी चाहिए और ईबीसी के लिए 2.50 लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ii इस योजना के तहत, किसी छात्र द्वारा शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र अर्थात आईटीआर/फार्म 16/लेखा परीक्षित लेखे/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र आय सीमा का निर्धारण करने के लिए स्वीकार्य होगा।

iii सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बैंकों द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

च) सिफारिशकर्ता समिति

i सिफारिशकर्त्ता समिति के अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव तथा इसमें वित्त प्रभाग के प्रतिनिधि, नोडल बैंक के प्रतिनिधि अधिकारी तथा संबंधित निदेशक/उप सचिव संयोजक के रूप में इसके सदस्य होंगे तथा वे आवेदनों की जांच करेंगे तथा इसके संबंध में सिफारिशें करेंगे तथा आवेदनों को तिमाही आधार पर ब्याज सब्सिडी हेतु अग्रेषित करेंगे।

ii प्रति वर्ष इस योजना के तहत 50 प्रतिशत का परिव्यय महिला उम्मीदवारों के लिए नियत किया जाएगा।

छ) ब्याज दर पर सब्सिडी

इस योजना के तहत, अधिस्थगन अवधि हेतु आईबीए के शिक्षा ऋण प्राप्त करने हेतु छात्रों द्वारा देय ब्याज (अर्थात पाठ्यक्रम अवधि, +1 वर्ष अथवा नौकरी प्राप्त करने के 6 महीने बाद जो पहले हो) जैसा कि भारत सरकार द्वारा आईबीए की शिक्षा ऋण योजना के तहत निर्धारित किया जाएगा।

अधिस्थगन अवधि के समाप्त हो जाने के बाद, बकाया ऋण राशि पर ब्याज की अदायगी छात्र द्वारा समय–समय पर संशोधित मौजूदा शिक्षा ऋण योजना के अनुसार की जाएगी।

उम्मीदवार अधिस्थगन अवधि के बाद मूल किश्तें तथा ब्याज भरेगा।

ज) कार्यान्वयन एजेंसियां

बैंकों और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार नोडल बैंक द्वारा इस योजना को कार्यान्वित किया जाएगा।

झ) लाभ प्राप्त करने के लिए निधियां जारी करने की कार्यविधि

चूंकि यह अन्य छात्रों की आईबीए के तहत बैंकों से ऋण प्राप्त करने संबंधी योजना है तथा इसके लिए उन्हें मानदंडों के अनुसार स्वीकृत किए गए ऋण पर ब्याज की माफी के लिए मंत्रालय द्वारा नियुक्त नोडल बैंक को आवेदन करना होगा। ऐसे

प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद, नोडल बैंक इस प्रयोजनार्थ गठित अनुवीक्षण समिति की अनमुति प्राप्त करता है। ऐसे अनुमोदन के अध्यधीन, ब्याज राशि को संबंधित बैंकों को जारी कर दिया जाएगा ताकि लाभार्थी केवल मूलधन की ही वापसी कर सके। तथापि, यह ब्याज माफी योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार अधिस्थगन अवधि के लिए ही लागू है। इन योजनाओं का ब्यौरा वेबसाइट www.socialjustice.nic.in/SchemeList/Send/7?mid=32549 पर दिया गया है।

7. विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध–घुमन्तू जनजातियों (डीएनटी) के लिए योजनाएं

सरकार ने उन विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध–घुमन्तू जनजातियों के शैक्षणिक विकास के लिए दो योजनाएं प्रारंभ की हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए चलाई जा रही किसी योजना और अन्य किसी योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस योजना की "सीमित निधियों" के स्वरूप के कारण, डीएनटी के लिए इन कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों को उन्हें आवंटित निधियों के आधार पर करना पड़ता है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष विशेष में उपलब्ध कुल बजट के आधार पर प्रत्येक वर्ष पहले–आओ–पहले–पाओ के आधार पर, अधिकतम राशि निर्धारित की जाती है। नई योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार, वित्तपोषण हेतु राज्यों तथा केंद्र का अनुपात 25:75 होगा। लाभार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, छात्रवृत्ति का भुगतान सिर्फ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाए ताकि यह लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा की जा सके। योजना के अंतर्गत नकद अथवा अन्य किसी प्रकार से भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

डीएनटी के लिए निम्नलिखित दो योजनाएं हैं :–

(i) डीएनटी छात्रों के लिए डॉ. अम्बेडकर मैट्रिक–पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अंतर्गत, मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तियों की दरें कक्षा I से VIII के लिए 10 माह हेतु 1000 रुपये प्रति माह है और कक्षा IX और X के लिए 10 माह हेतु 1500 रुपये प्रति माह है। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत दरें छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए 1200 रुपये प्रति माह से 380 रुपये प्रति माह के बीच तथा दिवा छात्रों के लिए 550 रुपये से लेकर 230 रुपये प्रति माह के बीच हैं। डीएनटी के वे विद्यार्थी जिनकी पारिवारिक आय 2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। यह एक 'निधि–सीमित योजना' है।

लाभार्थियों द्वारा इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की क्रियाविधि

सभी पात्र छात्र जो उपर्युक्त योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के इच्छुक हैं, को अपने छात्रवृत्ति आवेदनों को स्कूल प्राधिकारियों अथवा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, प्रस्तुत करना होगा। योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित वेब पते http://socialjustice.nic.in/schemeList/Send/5?mid=32549 पर दिए गए हैं।

(ii) डीएनटी बालक एवं बालिकाओं के लिए नानाजी देशमुख छात्रावास निर्माण योजना

डीएनटी के बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण की योजना अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए विद्यमान छात्रावासों को अतिरिक्त सहायता के रूप में है। छात्रावासों का निर्माण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याणार्थ इस मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों/विभागों (यथा उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा कार्यान्वित की जा रही इस प्रकार की छात्रावास योजनाओं के संयोजन में किया जाएगा। अतः विभागों/मंत्रालयों के बीच योजनाओं का कोई ओवरलैप

नहीं होगा। योजना के अंतर्गत लागत मानदंड छात्रावास निर्माण के लिए 3 लाख रुपये प्रति सीट और फर्नीचर के लिए 5000 रुपये प्रति सीट है। केन्द्र सरकार समस्त देश में अधिकतम 500 सीट प्रति वर्ष प्रदान करेगी।

छात्रावास के सीट आवंटन हेतु पात्र विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध–घुमन्तू जनजातियों के वही व्यक्ति होंगे जिनकी पारिवारिक आय 2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है।

लाभार्थियों द्वारा इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की कार्यविधि

वित्तीय सहायता राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/कालेजों को जारी की जाएगी जो डीएनटी समुदायों से संबंधित छात्रों की जरूरतों को पूरा करेंगे। योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित वेब पते http://socialjustice.nic.in/schemeList/Send/5?mid=32549 पर दिए गए हैं।

8. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए योजनाएं

ईबीसी के लिए डॉ. अम्बेडकर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

ईबीसी के लिए डॉ. अम्बेडकर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। वे छात्र जिनके माता–पिता की आय 1.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, छात्रवृत्ति हेतु पात्र होंगे। विभिन्न मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए दिवा छात्रों हेतु छात्रवृत्ति का मूल्य 160 रुपये से 350 रुपये प्रति माह है। छात्रावास में रहने वाले छात्रों हेतु विभिन्न मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की दर 260 रुपये से 750 रुपये प्रति माह है। नामांकन/पंजीकरण, पाठ्यक्रम शुल्क, पाठक प्रभार (दृष्टिबाधित छात्रों के लिए), अध्ययन दौरा, शोध टंकण/मुद्रण इत्यादि के लिए अलग से प्रावधान है।

लाभार्थियों द्वारा इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की कार्यविधि

पात्र छात्रों को लाभ प्राप्त करने के लिए कालेज/विद्यालय प्राधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित वेब पते :– http://socialjustice.nic.in/schemeList/Send/5?mid=32549 पर दिए गए हैं।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

सिंहावलोकन

1. आवधिक ऋण
   - क. सामान्य ऋण
   - ख. महिलाओं के लिए नई स्वर्णिम योजना
   - ग. शिक्षा ऋण योजना
2. सूक्ष्म वित्त
   - क. सूक्ष्म वित्त योजना
   - ख. महिला समृद्धि योजना

अन्य विकास संबंधी कार्यकलाप

1. प्रशिक्षण तथा विकास
2. विपणन–सह–सम्बद्ध

9. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का एक उपक्रम है और इसके पास 1500 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी है जिसके प्रति मंत्रालय ने 31.12.2017 तक 1184 करोड़ रुपये निर्मुक्त कर दिए हैं।

एनबीसीएफडीसी को, पिछड़े वर्गों के लाभार्थ आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों का संवर्द्धन करने और कौशल विकास एवं स्व–नियोजन उद्यमों में इन वर्गों के गरीबतर वर्ग की सहायता करने के उद्देश्य से, एक ''अलाभकारी'' कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (पूर्व में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) के अंतर्गत 13 जनवरी, 1992 को निगमित किया गया था। योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/बैंक द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से किया जाता है।

पिछड़े वर्गों के जिन सदस्यों की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा से दुगुनी (अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में 98,000 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये) है, वे एनबीसीएफडीसी से ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं।

एनबीसीएफडीसी आय परक गतिविधियों की एक व्यापक रेंज को सहायता प्रदान करती है जिनमें कृषि और संबद्ध गतिविधियां, लघु व्यवसाय/कारीगर और पारंपरिक व्यवसाय, परिवहन और सेवा क्षेत्र, तकनीकी और व्यावसायिक व्यापार/पाठ्यक्रम शामिल हैं।

ऋण का प्रकार और वित्त पद्धति

क) आवधिक ऋण: अधिकतम ऋण सीमा: प्रति लाभार्थी 10 लाख रुपये।

एनबीसीएफडीसी ऋण: सामान्य योजना में परियोजना लागत का 85% तक। शेष 15% राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी/लाभार्थी द्वारा शेयर किया जाएगा।

ख) सूक्ष्म वित्त : अधिकतम ऋण सीमा: 50,000 रुपये प्रति लाभार्थी/एसएचजी का सदस्य।

एनबीसीएफडीसी ऋण: परियोजना लागत का 90% से 95% तक। शेष 5% से 10% तक राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी/लाभार्थी द्वारा शेयर किया जाएगा।

वे कार्यकलाप जिनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है

यह निगम निम्नलिखित व्यापक सेक्टरों के अंतर्गत व्यापक आय सृजक कार्यकलापों को सहायता प्रदान कर सकता है–

1. कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप
2. लघु व्यवसाय/शिल्पकला तथा परंपरागत पेशा
3. परिवहन सेक्टर एवं सेवा सेक्टर
4. तकनीकी तथा व्यावसायिक व्यापार/पेशेवरों के लिए शिक्षा ऋण

उल्लिखित व्यापक क्षेत्रों के अंतर्गत लाभार्थियों की आवश्यकताओं और इच्छा के अनुसार व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए एससीए ऋण संवितरित करते हैं।

ऋण के प्रकार

आवधिक ऋण

(क) सामान्य ऋण

इस योजना के अंतर्गत दोहरी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पिछड़े वर्गों से संबंधित लाभार्थी 10,00,000 रुपये तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

ब्याज की दर:	5.00 लाख रुपये तक ऋण	– 6% प्रतिवर्ष
	5.00 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक ऋण	– 7% प्रतिवर्ष
एनबीसीएफडीसी ऋण:	परियोजना लागत का 85%	

(ख) महिलाओं के लिए नई स्वर्णिम योजना

इस योजना के तहत, गरीबी की दोहरी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्गों की महिलाएं 5% प्रतिवर्ष की दर से 100000/– रु. तक ऋण प्राप्त कर सकती हैं ।

एनबीसीएफडीसी ऋण: परियोजना लागत का 95%

(ग) शिक्षा ऋण योजना

एनबीसीएफडीसी गरीबी की दोगुनी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्गों के छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करता है ताकि वे स्नातक तथा/अथवा उच्चतर स्तरों पर सामान्य/पेशेवर/तकनीकी पाठयक्रमों अथवा प्रशिक्षण में अध्ययन कर सके ।अधिकतम ऋण सीमा भारत में 10 लाख रु. तथा विदेश में 20 लाख रु. है ।ब्याज की दर 4% प्रतिवर्ष है तथा छात्राएं 3.5% प्रतिवर्ष की विशेष रियायती दर पर ऋण प्राप्त कर सकती हैं ।

एनबीसीएफडीसी ऋण: भारत में अध्ययन हेतु 90% तथा विदेश में अध्ययन हेतु 85% है ।

सूक्ष्म वित्त

(क) सूक्ष्म वित्त योजना:–

एनबीसीएफडीसी की सूक्ष्म वित्त योजना का क्रियान्वयन प्रत्यायित एनजीओ/स्वसहायता समूहों के माध्यम से राज्य

चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा किया जाता है । प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा 50000/– रु. है । राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी से लाभार्थी के लिए ब्याज की दर 5% है ।

एनबीसीएफडीसी ऋण: परियोजना लागत का 90%

(ख) महिला समृद्धि योजना (महिलाओं के लिए सूक्ष्म वित्त योजना):

एनबीसीएफडीसी की महिला समृद्धि योजना का क्रियान्वयन प्रत्यायित एनजीओ/स्वसहायता समूहों के माध्यम से राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा किया जाता है /

प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा 50000/– रु. है । राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी से लाभार्थी के लिए ब्याज की दर 4% है ।

एनबीसीएफडीसी ऋण: परियोजना लागत का 95%

अन्य विकास संबंधी गतिविधियां:

प्रशिक्षण तथा विकास

निगम सरकार/राज्य सरकार/एससीए के प्रशिक्षण संस्थानों और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा गठित क्षेत्रीय कौशल परिषदों के माध्यम से तकनीकी और उद्यमिता कौशलों के अपग्रेडेशन के लिए सामान्य मानदंडों के अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसडीटीपी) प्रदान करता है ताकि पिछड़े वर्गों के पात्र सदस्य स्वरोजगार अथवा मजदूरी प्रदत्त रोजगार के माध्यम से विकासात्मक गतिविधियों में भाग ले सकें। हमारी वेबसाइट www.nbcfdc.gov.in पर संबद्ध कार्यक्रमों (26) समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा उपलब्ध है।

प्रशिक्षण की अवधि 200 घंटे से 500 घंटे तक होती है। कौशल अपग्रेडेशन/पुनः कौशल के लिए पूर्व ज्ञान को मान्यता (आरपीएल) और ब्रिज पाठयक्रमों को भी मानदंडों के अनुसार आयोजित किया जाता है। प्रशिक्षण की कुल लागत अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के पाठयक्रम का शुल्क 100 प्रतिशत एनबीसीएफडीसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एसडीटीपी/एनबीसीएफडीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार उन प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिमाह 1000 रुपये की दर से वजीफा दिया जाएगा जिनकी उपस्थिति प्रत्येक माह में 80 प्रतिशत और उससे अधिक होगी।

विपणन–सह–सम्बद्ध

अन्य विकासात्मक कार्यकलापों के अलावा, यह निगम देश के प्रमुख मेलों जैसे भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली हाट तथा सूरज कुंड शिल्प मेला इत्यादि और विभिन्न राज्यों मे आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेने का अवसर लक्ष्य समूह के दस्तकार के लिए प्रदान करते हुए विपणन सुविधाओं को भी बढ़ावा दे रहा है । यह आयोजन न केवल इन कलाकारों के लिए अपेक्षाकृत अधिक अपेक्षित विपणन अवसर प्रदान करता है अपितु अच्छी कीमत पर उनके उत्पादों को बेचने के लिए अवसर भी प्रदान करता है जो उन्हें सामान्यतया उनके निवास स्थानों पर मिलना कठिन है। एनबीसीएफडीसी परम्परागत पिछड़ा वर्ग दस्तकारों को विपणन सह–संबंध स्थापित करने के लिए मेले में उनके उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें एक मंच प्रदान करके सहायता करता है। एनबीसीएफडीसी एससीए को निगम की योजनाओं का प्रचार करने के लिए प्रदर्शनी आयोजित करने अथवा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करता है और विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं का प्रदर्शन भी करता है जिनके लिए एनबीसीएफडीसी ने एससीए के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में पिछड़ा वर्गों के सदस्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस प्रकार की प्रदर्शनियों का उद्देश्य एनबीसीएफडीसी की योजनाओं के बारे में जागरूकता सृजित करना और एक अपेक्षाकृत बड़े बाजार में लक्ष्य समूहों के दस्तकारों को प्रदर्शित करना है।

अन्य मंत्रालयों के साथ अभिसरण

1) कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार एनबीसीएफडीसी की कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के लिए निगम सरकार/राज्य सरकार/एससीए के प्रशिक्षण संस्थानों और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा गठित क्षेत्रीय कौशल परिषदों के माध्यम से तकनीकी और उद्यमिता कौशलों के अपग्रेडेशन के लिए सामान्य मानदंडों के अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसडीटीपी) प्रदान करता है ताकि पिछड़े वर्गों के पात्र सदस्य स्वरोजगार अथवा मजदूरी प्रदत्त रोजगार के माध्यम से विकासात्मक गतिविधियों में भाग ले सकें।

2) वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार देश के विभिन्न भागों में समूह (क्लस्टर) विकास के लिए एनबीसीएफडीसी ने अपनी योजनाओं के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप कार्य करने के लिए डीसी (हस्तशिल्प), और डीसी (हथकरघा) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

3) मानव संसाधन तथा विकास मंत्रालय भारत सरकार एनबीसीएफडीसी की शिक्षा ऋण योजना

   एनबीसीएफडीसी मानव संसाधन तथा विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रों को ब्याज सब्सिडी केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों द्वारा लिए गए शिक्षा ऋण हेतु अधिस्थगन अवधि के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है।

4) स्वास्थ्य शिविर

   निगम ने विशेष रूप से जागरूकता शिविरों के आयोजन के दौरान ओबीसी की बहुल आबादी वाले कालोनियों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने का कार्य भी शुरू किया है।

5) स्वस्थ भारत अभियान के अंतर्गत फ्लेगशिप योजनाएं

   सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के एक भाग के रूप में, एनबीसीएफडीसी ने अपनी सीएसआर पहलों के तहत जुलाई 2017 और सितम्बर 2017 माह के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित ''स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा'' के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का सक्रिय रूप से आयोजन किया। इस दौरान किए गए कार्यकलापों में क्लस्टर की सफाई करके स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता सृजन के माध्यम से गुरूग्राम और गोहाना, हरियाणा में बागड़ी, लोहार समुदाय की आबादी वाले डीएनटी (विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध–घुमन्तू जनजातियां) क्लस्टर में विभिन्न हस्तक्षेप करना, सचल शौचालयों की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच करना और दवाइयां वितरित करना आदि शामिल थे। निगम ने नुक्कड़ नाटक/प्रतियोगिताएं भी आयोजित कीं और स्कूलों और आईटीआई की सफाई की। कर्मचारियों और अधिकारियों ने स्वच्छता के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए सभी कार्यकलापों में भाग लिया। कम्पोस्टर यूनिटों का उपयोग करने के बारे में भी प्रचार किया गया। स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने की दृष्टि से केरल और राजस्थान राज्यों में लड़कियों के 9 स्कूलों में सेनिटरी नेपकिन वेंडिंग और इंसिनेटर मशीनें लगाई गईं।

लाभार्थियों द्वारा योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने की कार्यविधि

इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाने की दृष्टि से, लाभार्थी (लाभार्थियों) के लिए निम्नलिखित मानदंड पूरे किए जाने अपेक्षित हैं:–

(i) वह अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित होना चाहिए/होनी चाहिए।

(ii) उसकी वार्षिक पारिवारिक आय समय–समय पर यथा निर्धारित दोहरी गरीबी रेखा (बीपीएल) की सीमा से कम होनी चाहिए।

पात्र लाभार्थी संबंधित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए)/बैंकों को सभी अपेक्षित दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अपने परियोजना संबंधित प्रस्ताव भेजेंगे। संबंधित एससीए/बैंक लाभार्थियों की ऋण वापिस करने की क्षमता के मद्देनजर प्रस्ताव की जांच करने और प्रस्तावों की व्यवहार्यता का आकलन करने के बाद एनबीसीएफडीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के लिए ब्याज दर के संदर्भ में ऋण वितरित करेंगे।

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए)/बैंकों के लिए निधियों की संस्वीकृति संबंधी प्रक्रिया

एससीए/बैंकों एनबीसीएफडीसी के समक्ष अनुमोदन हेतु निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक कार्य योजना (एएपी) प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तावों की जांच एनबीसीएफडीसी के दिशा–निर्देशों के अनुसार की जाती है और एनबीसीएफडीसी निधियों के संवितरण के लिए अनुरोध के साथ–साथ एससीए/बैंकों को एक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित तथा मोहर लगी हुई एक प्रति लौटाने के अनुरोध के साथ दो प्रतियों में आशय पत्र (एलओआई) जारी करता है। एनबीसीएफडीसी द्वारा निधियां निम्नानुसार निर्धारित विवेकपूर्ण मानकों को पूरा करने के अध्यधीन संवितरित की जाती हैं :–

वितरण हेतु विवेकपूर्ण मानदण्ड	
एससीए के लिए	**आरआरबी/पीएसबी के लिए**
❖ सरकारी गारंटी उपलब्धता	❖ वितरण के समय एनबीसीएफडीसी को कोई अतिदेय राशि भुगतान योग्य नहीं हो।
❖ देय राशि के बदले एससीए द्वारा ऋण की पर्याप्त चुकौती	❖ पूर्व में वितरित निधियों का संचय उपयोग, पूर्ववर्ती माह के अंत में 80% या इससे अधिक हो।
❖ पूर्व में जारी निधियों का उपयोग।	❖ पिछले 5 वर्षों के दौरान 3 वर्ष में 10 प्रतिशत तक निवल गैर–निष्पादनकारी परिसंपत्तियां (एनसीए) की मौजूदा शर्त के दौरान कम से कम 3 वर्ष तक लाभ अर्जित किया हो।
	❖ बैंक को पिछले वित्तीय वर्ष में मुनाफा हुआ हो।
	❖ बैंक किसी विनियामक निकाय के प्रति चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

समाज रक्षा

मद्यपान और नशीली दवा दुरुपयोग निवारण हेतु नेशनल टोलफ्री हेल्पलाइन नम्बर–1800110031 की शुरूआत 07.01.2015 को की गई।

समाज रक्षा

सिंहावलोकन

1. मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरूपयोग निवारण
2. एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी)
3. ट्रांसजेंडर व्यक्ति
4. भिखारी

समाज रक्षा की योजनाएं

I. मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण हेतु सहायता प्रदान करने की योजना।

योजना के दो घटक हैं :–

i). मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण हेतु को सहायता

ii). समाज रक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता

II. वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना

3. एकीकृत वृद्धजन कार्यक्रम योजना (आईपीओपी) का नाम बदलकर 01.04.2018 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम योजना (आईपीएसआरसी) किया गया है।

4. राष्ट्रीय वयोश्री योजना

1. मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरूपयोग निवारण हेतु सहायता प्रदान करने की योजना

मद्यपान तथा नशीली दवा (ड्रग) दुरुपयोग की रोकथाम के लिए सहायता की योजना स्वैच्छिक तथा अन्य पात्र संगठनों के माध्यम से व्यसनियों की पहचान, परामर्श, उपचार तथा पुनर्वास के लिए कार्यान्वित की जा रही है।

वित्त पोषण पैटर्न

इस योजना के अंतर्गत, जागरूकता सह नशा मुक्ति कैम्प (एससीडीसी) तथा कार्य स्थल पर नशीले पदार्थों के दुरूपयोग निवारण कार्यक्रम आदि आयोजित करने, व्यसनियों के लिए समेकित पुनर्वास केद्र (आईआरसीए), क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केद्र (आरआरटीसी)की स्थापना करने/संचालन करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों तथा अन्य पात्र एजेंसियों को अनुमोदित व्यय के 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम तथा जम्मू और कश्मीर के मामले में कुल अनुमत्य व्यय के 95% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । शेष का वहन कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाना होता है ।

पात्र संगठन/संस्थाएं

इस योजना के अंतर्गत सहायता हेतु निम्नलिखित संगठन/संस्थाएं आदि पात्र होंगे :–

i. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI) अथवा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के किसी प्रासंगिक अधिनियम अथवा साक्षरता, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसायटियों के पंजीकरण संबंधी राज्य के किसी नियम के तहत पंजीकृत सोसायटी; अथवा

ii. राज्य सरकारो द्वारा गठित पंजीकृत सोसायटियां

iii. जिला अस्पताल बशर्ते कि वे नशा मुक्ति के लिए अलग से लेखे रखे।

iv. प्रमुख रेलवे स्टेशनों के समीप रेलवे अस्पताल बशर्ते कि वे नशा मुक्ति के लिए अलग से लेखे रखे।

v. कुछ समय के लिए प्रवृत्त किसी नियम के अंतर्गत पंजीकृत एक लोक न्यास, अथवा

vi. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत स्थापित कंपनी, अथवा

vii. पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय निकाय, राज्य/केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित अथवा संचालित संगठन/संस्था अथवा स्थानीय निकाय; अथवा

viii. विश्वविद्यालय, समाज कार्य विद्यालय, अन्य प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाएं, नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य सुप्रतिष्ठित संगठन/संस्थान ।

संगठन/संस्थाएं निम्नलिखित विशेषताओं से संपन्न होंगी

i. उनका उचित शासी निकाय होना चाहिए जिसकी शक्तियों, कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों को लिखित में स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा निर्धारित किया गया हो ।

ii. कार्यक्रम निष्पादित करने के लिए उसके पास संसाधन, सुविधाएं तथा अनुभव होना चाहिए।

iii. यह व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह के लाभ के लिए संचालित नहीं की जानी चाहिए।

iv. उसे लिंग, धर्म, जाति के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा समूह के विरूद्ध भेदभाव नहीं करना चाहिए।

v. यह सामान्यतः दो वर्ष की अवधि के लिए विद्यमान होनी चाहिए तथापि यह उस मामले में लागू नहीं होगा यदि किसी संगठन को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सीधे चलाया जा रहा है।

vi. उसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए।

2. एकीकृत व्यसनी पुनर्वास केन्द्र (आईआरसीए) और क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आरआरटीसी) के कार्य

इस योजना के अंतर्गत आईआरसीए तथा आरआरटीसी के निर्धारित कार्य इस प्रकार हैं–

(क) एकीकृत व्यसनी पुनर्वास केद्र(आईआरसीए) के कार्यः–

एकीकृत व्यसनी केद्र व्यसनियों के पुनर्वास के लिए संयुक्त/एकीकृत सेवाएं प्रदान करते हैं । सामान्यतः आईआरसीए निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है–

- ❖ निवारात्मक शिक्षा तथा जागरूकता सृजन
- ❖ प्रेरणात्मक परामर्श के लिए व्यसनियों की पहचान
- ❖ नशामुक्ति तथा व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ

- ❖ रेफरल सेवाएं
- ❖ उपचार पश्चात देखभाल तथा फोलोअप
- ❖ सह निर्भरता तथा पुनर्वास के लिए परिवारों को देखभाल तथा समर्थन
- ❖ पुनर्वास

(ख) क्षेत्रीय संसाधन तथा प्रशिक्षण केद्र (आरआरटीसी)

मंत्रालय प्रत्येक राज्य के लिए उसके द्वारा निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आरआरटीसी के रूप में पर्याप्त अनुभव वाले तथा निरंतर अच्छे रिकार्ड वाले प्रतिष्ठित किसी एनजीओ को नामित करेगा। इस प्रकार, नामित आरआरटीसी राज्य स्तर पर राष्ट्रीय नशीली दवा दुरुपयोग रोकथाम केन्द्र (एनसीडीएपी) के अधिदेश को प्रत्यायोजित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

आरआरटीसी निरीक्षण और मॉनीटरिंग का कार्य करेंगे। आरआरटीसी मंत्रालय के लिए फीडबैक प्रदान करेंगे यदि एनजीओ लगातार निराशाजनक प्रदर्शन (बार–बार चेतावनियों के बावजूद) जारी रखते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यदि मंत्रालय किसी गैर–सरकारी संगठन के लिए अनुदान बंद करने का निर्णय करता है तो आरआरटीसी का फीडबैक अनुदानों को बहाल करने के संबंध में भी प्राप्त किया जा सकता है। वे उनके प्रतिनिधित्व वाले राज्य के लिए निम्नलिखित कार्य करेंगे :–

- ❖ सेवा प्रदाताओं का प्रशिक्षण।
- ❖ कार्यक्रमों/परिणामों का दस्तावेजीकरण।
- ❖ पैरवी, अनुसंधान तथा मानीटरिंग।
- ❖ एनजीओ, सीबीओ तथा उद्यमों के लिए तकनीकी सहायता।
- ❖ व्यसनियों के पुनर्वास का सुदृढ़ीकरण।
- ❖ प्रदर्शन दौरे।
- ❖ आदान–प्रदान कार्यक्रम।

योजना के अंतर्गत निधि की संस्वीकृति संबंधी क्रियाविधि

चालू कार्यक्रमों और नये कार्यक्रमों के लिए निधि प्रदान की जाती है जिसकी क्रियाविधि निम्नवत है :–

(क) चालू कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए :

इस योजना के अंतर्गत किसी संगठन/संस्था को सहायता अनुदान जारी करने के लिए वेबसाइट http://ngograntsje.gov.in/ngo-login पर स्वयं को ऑनलाइन रजिस्टर कराना होगा तथा इसके पश्चात् संगत दस्तावेजों (आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाना) के साथ–साथ, वित्त वर्ष के तत्काल प्रारंभ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (समाज रक्षा प्रभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के लिए अपना आवेदन फाइल करना होता है। किसी विशिष्ट वर्ष के लिए अनुदान मंत्रालय द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी अनुदेशों के अनुसार एक अथवा अधिक किस्त जारी की जाती है/की जाती हैं। किसी वित्तीय वर्ष में अनुदानों की पूर्ण धनराशि की निर्मुक्ति हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकारी/संस्था की अनुशंसा और निरीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य है।

(ख) नये कार्यकलाप/कार्यक्रम के लिए :

किसी नये कार्यकलाप/कार्यक्रम के लिए भी अनुरोध सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को संगत दस्तावेजों (आवेदन प्रपत्र के साथ–साथ अपलोड किया जाना) के साथ ऑनलाइन भेजना होगा। इस प्रकार प्राप्त कोई आवेदन अनुदानों की संस्वीकृति के लिए किसी संगठन को स्वतः पात्र नहीं बनाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार प्रत्येक मामले में उसके द्वारा समय–समय पर निर्धारित क्रियाविधि के आधार पर तथा योजना के मानकों के अनुसार सभी दृष्टिकोण से पूर्ण प्रस्तावों पर वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति पर विचार करता है। किसी सहायता प्राप्त संगठन/सस्था/संस्थापन को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सहायता प्राप्त करने से पूर्व एक निर्धारित प्रपत्र में एक बाण्ड निष्पादित करना अपेक्षित है। निधियों का अंतरण केवल मंत्रालय में सक्षम अधिकारी द्वारा बंध पत्र की स्वीकृति के पश्चात ही किया जाता है। इन्डेमनिटी बाण्ड तथा प्रि–स्टाम्प रिसीप्ट और निधियों के अंतरण के संबंध में अपेक्षा इस संबंध में मंत्रालय के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार संगठन/संस्थापन द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक है।

3 समाज रक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता

"समाज रक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम योजना" का लक्ष्य है :–

- ❖ मंत्रालय के अधिदेश में आने वाली ऐसी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करना जिन्हें मंत्रालय नियमित योजनाओं के तहत पूरा नहीं किया जा सकती है तथा
- ❖ मंत्रालय के लक्षित समूह के कल्याण और सशक्तिकरण के क्षेत्र में नवोन्मेषी/प्रायोगिक प्रकृति की ऐसी पहलों को सहायता प्रदान करना जिन्हें इसकी नियमित योजनाओं के तहत सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है ।

स्वैच्छिक तथा अन्य पात्र संगठनों को अनुमोदित व्यय के 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यदि कोई संगठन, अपेक्षाकृत ऐसे नए क्षेत्र में कार्य करता है जहां स्वैच्छिक तथा सरकारी प्रयास बहुत सीमित हैं लेकिन सेवा की जरूरत बहुत अधिक है, वहां सरकार शत प्रतिशत लागत का वहन करती है ।

निधियों की निर्मुक्ति हेतु कार्यविधि :–

इस योजना में निधि प्रवाह निम्नानुसार है :–

एसडी ब्यूरो (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार)

↓

गैर–सरकारी संगठन/न्यास/सरकारी संस्थान

↓

लाभार्थी

1. मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरूपयोग निवारण हेतु सहायता प्रदान करने की योजना

पात्र संगठन/संस्थाएं

इस योजना के अंतर्गत सहायता हेतु निम्नलिखित संगठन/संस्थाएं आदि पात्र होंगे :–

i. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI) के तहत पंजीकृत सोसायटी; अथवा

ii. धर्मार्थ अलाभप्रद्ध कंपनी

iii. कुछ समय के लिए प्रवृत्त किसी नियम के अंतर्गत पंजीकृत एक लोक न्यास, अथवा

iv. समाज कल्याण के कार्य में और उसे बढ़ावा देने से संबद्ध कोई पंजीकृत गैर सरकारी संघठन

v. विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, विद्यालय, सांविधिक निकाय जैसे पंचायती राज संस्थान, नगर निगम, नगर क्षेत्रीय समितियां, रेड क्रॉस सोसायटियां और उसकी शाखाएं।

संगठन/संस्थाएं निम्नलिखित विशेषताओं से संपन्न होंगी

i संगठन के पास संबद्ध क्षेत्र में काम करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए अथवा उसके पास प्रस्तावित योजना को शुरू करने की क्षमता का प्रमाण होना चाहिए।

ii यह व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह के लाभ के लिए संचालित नहीं की जानी चाहिए।

iii उसकी एक समुचित रूप से गठित एक प्रबंधन निकाए होनी चाहिए जिसकी शक्तियां, कर्तव्य और जिम्मेदारियां एक लिखित सविंधान में स्पष्ट रूप में परिभाषित और निर्धारित होनी चाहिए।

4. एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम की योजना (आईपीएसआरसी)– 01.04.2018 से लागू

इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को निम्नलिखित के संचालन और रख–रखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है :–

(i) सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक गृहों/50 वृद्ध महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिक गृहों का रख–रखाव।

(ii) सतत देखभाल गृहों और एल्जाइमर के रोगियों/डिमेंशिया रोगियों के लिए दिवा–देखभाल गृहों का रख–रखाव।

(iii) वरिष्ठ नागरिको के लिए सचल चिकित्सा देखभाल यूनिटों का रख–रखाव।

(iv) वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिजियोथेरेपी क्लिनिक।

(v) क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्रों का रख–रखाव।

(vi) अन्य कार्यकलाप, जिन्हें राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एनपीओपी) के प्रावधानों के कार्यान्वयन सहित इस योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त समझा जाएगा।

योजना के अंतर्गत वित्त पोषण प्रतिमान

i. योजना में निर्दिष्ट परियोजना की लागत का 90% तक भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है तथा शेष संबंधित संगठन/संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

ii. तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/पंचायती राज संस्थान/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित परियोजनाओं के मामले में, 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाएगी।

iii. इसी तरह स्कूलों, कालेजों, शैक्षिक संस्थाओं तथा मान्यता प्राप्त युवा संगठनों जैसे नेहरु युवक केद्र संगठन (एनवाईकेएस) तथा राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) जो वृद्धजनों के लिए कार्यक्रमों और सेवाओं को निष्पादित कर रहे हैं, के मामले में, योजना में विनिर्दिष्ट परियोजना की 100% लागत तक सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

सहायता के लिए पात्र एजेंसियां

i. जहां तक संभव होगा, अस्पतालों के आस–पास के क्षेत्र में पंजीकृत सोसायटियों/पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई)/ स्थानीय निकायों के माध्यम से संचालित वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ii. गैर–सरकारी/स्वैच्छिक संगठन।

iii. सरकार द्वारा स्वायत्त/अधीनस्थ निकायों के रूप में स्थापित संस्थाएं अथवा संगठन।

iv. सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाएं, धर्मार्थ अस्पताल/नर्सिंग होम तथा मान्यता प्राप्त युवा संगठन जैसे नेहरु युवक केद्र संगठन।

सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड

i. गैर–सरकारी/स्वैच्छिक संगठन किसी उपयुक्त अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत निकाय हो ताकि वह एक कारपोरेट और एक विधिक निकाय का दर्जा प्राप्त कर सके और उसके कार्यकलापों के लिए सामुहिक उत्तरदायित्व स्थापित किया जा सके;

ii. वह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा संगत राज्य सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए और कम से कम दो वर्ष से पहले ही कार्य कर चुका हो; अथवा इस समय प्रचलित किसी विधि के अंतर्गत पंजीकृत कोई सार्वजनिक न्यास या **(कंपनी अधिनियम, 2013)** के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त कोई धर्मार्थ कंपनी हो;

तथापि, कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने का मानदंड राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मामले में लागू नहीं होगा। राज्य सरकारें जहां तक संभव होगा अस्पताल के आस–पास के क्षेत्र में परियोजनाओं को स्थापित करने की संभाव्यता का पता लगाएंगी। इसी प्रकार पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, रेगिस्तान के क्षेत्रों और अन्य कम सेवा वाले अथवा अल्प प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के मामले में 2 साल की यह शर्त लागू नहीं होगी।

iii. उस संगठन का विधिवत रूप से गठित किसी लिखित संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित और निर्धारित उसकी शक्तियों, कर्त्तव्य और दायित्व के साथ प्रबंध निकाय हो; उसका एक उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा और एक विधिवत रूप से गठित प्रबंध/ कार्यकारी समिति हो।

iv. संगठन लोक तांत्रिक सिद्धातों पर अपने स्वयं के सदस्यों द्वारा व्यवस्थित और प्रशासित हो;

v. संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य तथा इन लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति करने संबंधी कार्यक्रम सार रूप में निर्धारित हो; और

vi. संगठन किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी निकाय के लाभ के लिए संचालित नहीं होना चाहिए। संगठन के पास प्रमाणित रिकार्ड तथा ऐसी परियोजनाओं के संचालन के लिए क्षमता होनी चाहिए।

आईपीएसआरसी योजना का विस्तृत विवरण, दिशा–निर्देश तथा क्रियाविधि, सहायता की सीमा इत्यादि मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in पर उपलब्ध हैं।

इस योजना के अंतर्गत निधि की संस्वीकृति संबंधी क्रियाविधि

जारी कार्यक्रमों और नये कार्यक्रमों के लिए निधियां प्रदान करने की प्रक्रिया इस प्रकार है :–

चालू कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए :–

प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई करने और पारदर्शिता लाने हेतु, मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2014–15 से चालू और नये मामलों दोनों के लिए, सहायता अनुदान प्रस्तावों की ऑनलाइन प्राप्ति और कार्रवाई आरंभ कर दी है, जिनमें पात्र संगठनों को मंत्रालय के वेब पोर्टल www.ngograntsje.gov.in तथा नीति आयोग के पोर्टल www.ngo.india.gov.in पर भी ऑनलाइन रजिस्टर कराना तथा एक यूआईडी प्राप्त करना अपेक्षित है तथा इस प्रस्ताव पर विभिन्न स्तरों अर्थात् जिला स्तर, राज्य स्तर तथा केन्द्रीय स्तर पर ऑनलाइन कार्रवाई की जाती है। पात्र संगठनों को सहायता अनुदान मांगने के लिए अपेक्षित सहायक दस्तावेज अर्थात् वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखा, लाभार्थियों की सूची इत्यादि अपलोड करना अनिवार्य हैं। किसी विशेष वर्ष के लिए अनुदान मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेशों के अनुसार एक अथवा एक अधिक किस्त में निर्मुक्त किए जाएंगे। चालू परियोजनाओं के मामले में सहायता अनुदान राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/भारत सरकार द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकरण/संस्था की अनुशंसाओं और निरीक्षण रिपोर्ट तथा योजना के मानकों के अनुसार प्रस्ताव की पूर्णता के आधार पर निर्मुक्त किया जाता है।

नए कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए :

नई परियोजनाओं के मामले में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विधिवत् रूप से अनुशंसित प्रस्ताव विचार के लिए मंत्रालय में गठित संवीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संवीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित मामलों पर सहायता अनुदान के लिए विचार किया जाता है। किसी नई परियोजना के लिए प्रस्ताव भी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से मंत्रालय को ऑनलाइन भेजा जाना चाहिए।

वित्तीय सहायता के लिए लागत मानक :

1 अप्रैल, 2015 को संशोधित लागत मानकों की तुलना में आईपीएसआरसी योजना के लागत मानकों को 1 अप्रैल 2018 से संशोधित करके 103 प्रतिशत तक किया गया है।

5. राष्ट्रीय वयोश्री योजना

यह वृद्धावस्था से संबंधित निर्योग्यता/कमजोरी से पीड़ित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायक यंत्र और जीवन सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय ''वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि'' से वहन किया जाएगा।

इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली श्रेणी और वृद्धावस्था से संबंधित निर्योग्यता/कमजोरी अर्थात् कम दृष्टि, श्रवण बधिरता, दांत टूटना और लोकोमोटर निर्योग्यता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहायक उपकरण प्रदान कराना है

ताकि वे अपने शारीरिक कार्यों को सामान्य रूप से कर सकें, निर्योग्यता/कमजोरी का सामना कर सकें। जीवन सहायक उपकरण उच्च क्वालिटी के होते हैं और वे जहां कहीं आवश्यक होता है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होते हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों को उनकी शारीरिक अशक्तता के मद्देनजर निम्नलिखित शारीरिक सहायक यंत्र और जीवन सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैंः–

1. छड़ी
2. एलबो क्रचिज
3. वॉकर्स/क्रचिज
4. ट्राईपोड/क्वाडपोड
5. श्रवण सहायक यंत्र
6. व्हीलचेयर
7. नकली जबड़ा
8. चश्में

इस योजना का कार्यान्वयन "कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)", (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम), एक पृथक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में, द्वारा किया जाता है। उपायुक्त/जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रत्येक जिले में लाभार्थियों की पहचान की जाती है। जीवन सहायक उपकरण कैम्पों में वितरित किए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2019–20 तक प्रत्येक जिले में औसतन 2000 लाभार्थियों की दर से लगभग 5,20,000 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना को 1 अप्रैल 2017 से नैल्लोर (आंध्र प्रदेश) में राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया था।

*****

मंत्रालय के कार्यक्रमों/योजनाओं का मूल्यांकन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने ''अनुसंधान और प्रकाशन के लिए सहायता अनुदान नियमावली 2013'' योजना को ''मूल्यांकन और परिणाम आधारित निगरानी कार्यक्रम 2017'' के रूप में संशोधित किया है। संशोधित योजना के अंतर्गत, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कल्याण योजनाओं/कार्यक्रमों का मूल्यांकन संबंधी अध्ययन किया जाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रायोजित मूल्यांकन संबंधी अध्ययन अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, विमुक्त जनजातियों, घुमन्तू, अर्ध–घुमन्तू जनजातियों, वरिष्ठ नागरिकों, नशीले पदार्थों के दुरूपयोग से पीड़ित व्यक्तियों और भिक्षावृत्ति अथवा विभाग के अन्य कोई लक्ष्य समूहों से संबंधित योजनाओं के बारे में है। विभाग के कार्यक्रमों/योजनाओं का मूल्यांकन संबंधी अध्ययन करने के लिए उन संगठनों, जिनके पास अपेक्षित अर्हता होती है, ई–बिड आमंत्रित किए जाते हैं।

V. प्रशासन

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की विवेकाधीन निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता देने संबंधी नियम

1. माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की विवेकाधीन निधि में से निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुदान संस्वीकृत किया जाता है:–

    (i) अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास, नशीली दवा और मद्यपान के पीड़ितों, वृद्धजनों, विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध–घुमन्तू जनजातियों, ट्रांसजेंडर और भिखारियों के कल्याण कार्य को बढ़ावा देने, तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अन्य किसी कल्याण संबंधी कार्यकलाप में कार्यरत व्यक्ति/संस्थान।

    (ii) एससी/ओबीसी,डीएनटी, ट्रांसजेंडर विकलांग व्यक्तियों से संबंधित बच्चे और जिन्होंने शिक्षा (तकनीकी या गैर तकनीकी) के संबंध में पूर्व परीक्षा में प्रथम श्रेणी (अर्थात >=60% प्राप्त किए हों) और जिनके माता पिता जीवित न हो या जिनके माता पिता की आय 1,00,000/– रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो, इसके अतिरिक्त, आवेदक को एक पर्याप्त तथा संतोषपद प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि वह पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त/कुल राशि की व्यवस्था किस तरह करेगा (इस सहायता के प्रयोजनार्थ, बच्चे को केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग से कोई छात्रवृत्ति न मिल रही हो (इस संबंध में आवेदन प्रपत्र में उल्लिखितानुसार वचनबद्धता देनी होगी)।

    (iii) एससी, ओबीसी, से संबंधित व्यक्ति/परिवार विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध–घुमन्तू जनजातियां, ट्रासंजेंडर दिव्यांग व्यक्ति नशीली दवा तथा मद्यपान के पीड़ित, वृद्धजन और दिव्यांग व्यक्तियों को उनके चिकित्सा उपचार के लिए या उनके कारोबार को शुरू करने में सहायता प्रदान करके उनका पुनर्वास के प्रयोजनार्थ ताकि वे स्वयं अपनी आजीविका अर्जित कर सकें, ऐसे व्यक्तियों/परिवारों की आय 1,00,000 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी: इस निधि से निम्नलिखित कार्यों के लिए सहायता प्रदान **नहीं की जाएगी**:–

i. स्वयं अपना/अपने किसी संबंधी का विवाह/पुनर्विवाह करवाने के लिए;

ii. घर का निर्माण करवाने के लिए;

iii. दैनिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए;

iv. बैंक ऋण का भुगतान करने के लिए;

v. न्यायालयों के मामलों के लिए;

vi. परिसंपत्तियों को पूर्ण या आंशिक रूप से अर्जित करने के लिए;

vii. निजी व्यक्तियों को दान के रूप में निधियों का संवितरण करने के लिए;

2. माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिखित आदेश देने के बाद उनके विवेक के अनुसार सभी अनुदान दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अनुदान संस्वीकृत करने के लिए जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित किसी एक शर्त अथवा परियोजन को शिथिल कर सकते हैं और उपयुक्त मामले में आवेदक को निधियां संस्वीकृत कर सकते हैं।

3. किसी व्यक्ति को दी गई अनुदान–राशि किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान साधारणतः 20,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा पर्याप्त समझे जाने वाले कारणों को ध्यान में रखते हुए इससे अधिक राशि दी जा सकती है, लेकिन वह राशि 5,000 रुपये के गुणज तक सीमित होगी; तथापि, किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम राशि 40,000 रुपये तक सीमित होगी।

4. सामान्य शर्तें :—

(i) सभी अनुदान अनावर्ती स्वरूप के होंगे और कोई आवर्ती देयता नहीं ली जाएगी।

(ii) एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही अनुदान उपलब्ध होगा और एक वित्तीय वर्ष में अनुवर्ती अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) अनुदान परिवार के केवल एक सदस्य के लिए ही उपलब्ध होगा और अधिकतम दो बार मिलेगा।

(iv) माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की विवेकाधीन निधि में से वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त किसी आवेदन पत्र को मंजूर करना अथवा नामंजूर करना माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के विवेकाधिकार पर ही निर्भर होगा।

5. अनुदान साधारणतः उन व्यक्तियों/संस्थाओं को नहीं दिया जाएगा जिन्हें एक ही प्रयोजन अथवा उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्राधिकारियों द्वारा अनुदान अथवा सहायता दी गई हो अथवा नामंजूर की गई हो :—

i) भारत के उपराष्ट्रपति;

ii) भारत सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के मंत्रिपरिषद के सदस्य;

iii) भारत सरकार मंत्रिमंडल सचिव;

iv) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के मंत्रालयों/विभागों; और

v) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अन्य कोई प्राधिकरण।

आवेदक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन पत्र में यथा निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध) में इस संबंध में एक वचन बंध प्रस्तुत करे।

6. निधि–वितरण की प्रक्रिया :

(i) लाभार्थियों को भुगतान नेफ्ट (NEFT) द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र में उल्लिखित बैंक खाते में किया जाएगा।

(ii) विभागाध्यक्ष, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की विवेकाधीन निधि का नियंत्रक अधिकारी होगा।

(iii) स्वीकृति पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी अनुभाग, इन नियमों के साथ संलग्न अनुबंध, प्रपत्र–I में स्वीकृति विवरण रखेगा, जिसमें माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की विवेकाधीन निधि में से उनके द्वारा स्वीकृत वितरण राशियों की प्रविष्टि क्रम–वार की जाएगी और समय–समय पर शेष राशि दर्शाई जाएगी।

(iv) डीडीओ, भुगतान हो जाने पर, सभी लेन–देनों के संबंध में रजिस्टर का रखरखाव करेगा।

(v) नियंत्रक अधिकारी, स्वीकृतियों के रजिस्टर का आवधिक रूप से निरीक्षण करेगा।

7. सभी आवेदकों से यह अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित अपेक्षित दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें:

(i) बीपीएल कार्ड या आय प्रमाण पत्र की स्वः सत्यापित प्रतियां;

(ii) आवासीय पता का प्रमाण पत्र;

(iii) पहचान प्रमाण पत्र;

(iv) अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध–घुमन्तू जनजाति/दिव्यांगता प्रमाण पत्र अथवा नशीली दवा या मद्यपान के सेवनकर्ताओं के लिए पुनर्वास केंद्र से प्रमाण पत्र;

(v) आयु प्रमाण पत्र (यदि वृद्ध व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन किया जा रहा हो);

(vi) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान से चिकित्सा उपचार हेतु राशि का आकलन (यदि चिकित्सा उपचार हेतु वित्तीय सहायता अपेक्षित हो);

(vii) उस प्रयोजन के समर्थन में दस्तावेज की प्रतियां, जिसके लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है, इत्यादि।

दस्तावेजों की सूची का उल्लेख आवेदन में किया गया है तथा आवेदकों से अनुरोध है कि वे आवेदन के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों को चिह्नित करें। उपर्युक्त के अलावा, जिस बैंक में आवेदक का खाता हो, उस बैंक के प्राधिकारियों से विधिवत सत्यापित ईसीएस अधिदेश प्रपत्र (आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न) प्रस्तुत करें, जो अनिवार्य है।

यदि कोई आवेदक आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न किए बिना अपना आवेदन प्रस्तुत करता है/करती है, उसके आवदेन को आस्थगित रखते हुए माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विवेकाधीन निधि के नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन से अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत रखने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

टिप्पणी: आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न किए जाने हेतु अपेक्षित सभी दस्तावेज अंग्रेजी या हिन्दी में होने चाहिएं। यदि कोई दस्तावेज किसी क्षेत्रीय भाषा में जारी किया जाता है उसे हिन्दी या अंग्रेजी में अनूदित कराया जाए। दस्तावेज का अनूदित पाठ संबंधित क्षेत्र के बीडीओ/एसडीएम/राजपत्रित अधिकारी/विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया होना चाहिए। ऐसे मामलों में, मूल दस्तावेज तथा अनूदित पाठ की स्व–अभिप्रमाणित प्रतियां दोनों संलग्न की जानी अनिवार्य होती हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दूरभाष निर्देशिका अद्यतन स्थिति के अनुसार

केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	इन्टर–कॉम	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास/मोबाईल)	कमरा संख्या
थावरचन्द गेहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री		23381001 23381390 23381902(फैक्स)	23012175 23012195(फैक्स)	201 सी–विंग
नीरज सेमवाल मंत्री जी के निजी सचिव	101 102	23381001 23381390 23782132	7042912233	202 सी–विंग
पंकज कुमार मेहता मंत्री जी के ओएसडी	110	23381001 23381390 23782132	9868155144	202 सी–विंग
योगेश कुमार उपाध्याय मंत्री जी के अतिरिक्त निजी सचिव	110	23381001 23381390	09425088129	202 सी–विंग
शंकर लाल मंत्री जी के सहायक निजी सचिव	110	23381001 23381390	09649265610	202 सी–विंग
मंत्री जी का स्टाफ	110	23381001 23381390 23782132		201 सी–विंग

केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	इन्टर–कॉम	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास/मोबाईल)	कमरा संख्या
कृष्ण पाल गुर्जर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री		23072192 23072193 23072194 (फैक्स)	23794728 23794729	301 ए–विंग
राज्य मंत्री के निजी सचिव	141	23072192 23072193		301 ए–विंग
किरनपाल खताना राज्य मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव	142	23072192 23072193	9910500335	301 ए–विंग
राज्य मंत्री जी का स्टाफ संजय कुमार, निजी सचिव	142	23072192 23072193 23072194(फैक्स)		301 ए–विंग
संजय कुमार, निजी सचिव (सीएसएस)	142		9968443349	

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	इन्टर–कॉम	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास/मोबाईल)	कमरा संख्या
विजय साम्पला सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री		23383757 23383745 23074097(फैक्स)		251 ए–विंग
धनप्रीत कौर राज्य मंत्री के निजी सचिव	106	23383757 23383745	09878000580	250 ए–विंग
प्रदीप के. दौधारिया राज्य मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव	104	23383757 23383745	09780027943	249 ए–विंग
राज्य मंत्री जी का स्टाफ	113 114	23383757 23383745		213 डी–विंग
राज्य मंत्री जी का स्टाफ	113 114	23383757 23383745 23074097 (फैक्स)		216 बी डी–विंग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	इन्टर–कॉम	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास/मोबाईल)	कमरा संख्या	ई–मेल पता
रामदास आठवले सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री	125	23381656 23381657 23381669 (फैक्स)		101 सी–विंग	Mos3-msje@gov.in
राज्य मंत्री के निजी सचिव	126 127	23381656 23381657 23381669 (फैक्स)		101 सी–विंग	
पृथ्वीराजसिंह भाटी राज्य मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव	126 127	23381656 23381657 23381669 (फैक्स)	09899345459	101 सी–विंग	
प्रवीन मोरे राज्य मंत्री के सहायक निजी सचिव	126 127	23381656 23381657 23381669 (फैक्स)	09819416184	101 सी–विंग	
करमवीर यादव राज्य मंत्री के प्रथम वैयक्तिक सहायक	126 127	23381656 23381657 23381669 (फैक्स)	09718737000	101 सी–विंग	
राज्य मंत्री जी का स्टाफ		23018978			11 सफदरजंग रोड

सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	इन्टर–कॉम	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास/मोबाईल)	कमरा संख्या	ई–मेल पता
नीलम साहनी सचिव	121	23382683 23389184 23385180 (फैक्स)		604 ए–विंग	secywel@nic.in
सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	122	23382683 23389184	45027871	604 ए–विंग	
सचिव के प्रधान निजी सचिव	123	23382683 23389184	25526876	604 ए–विंग	

सचिव (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	इन्टर–कॉम	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास/मोबाईल)	कमरा संख्या	ई–मेल पता
शकुन्तला डोले गमलिन सचिव		24369055 24369067(फैक्स)	24677344	पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कम्पलेक्स	secretaryda-msje@nic.in
सचिव के प्रधान निजी सचिव		24369055 24369067 (फैक्स)		पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कम्पलेक्स	

अपर सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	इन्टर–कॉम	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास/मोबाईल)	कमरा संख्या	ई–मेल पता
उपमा श्रीवास्तव अपर सचिव	131	23384259 23388440(फैक्स)		617 ए–विंग	as-sje@nic.in
दिनेश कुमार अपर सचिव के निजी सचिव	132 133	23384259 23388440(फैक्स)		603ए ए–विंग	jssd-msje@nic.in

संयुक्त सचिव

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	इन्टर–कॉम	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास/मोबाईल)	कमरा संख्या	ई–मेल पता
टी.सी.ए. कल्याणी संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	205	23387924	26113328	610 ए–विंग	tca.kalyaani@nic.in
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के प्रधान निजी सचिव	405	23073598		609 ए–विंग	

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	इन्टर–कॉम	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास/मोबाईल)	कमरा संख्या	ई–मेल पता
रश्मि चौधरी संयुक्त सचिव (प्रशा.)	226	23384259		611-ए–विंग शास्त्री भवन	rashmi.edu@nic.in
संयुक्त सचिव के निजी सचिव	426	23384259			
कल्याणी चड्ढा संयुक्त सचिव (अनुसूचित जाति प्रभाग–बी)	206	23383853 23073452(फैक्स)	26251020	613 ए–विंग	jsscd-msje@nic.in
संयुक्त सचिव (एससीडी–बी) के निजी सचिव	406	23383853		609 ए–विंग	
बी.एल. मीना संयुक्त सचिव (पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति प्रभाग–ए)	204	23753403 जेपीबी 23753410 फैक्स 23384284 एसबी 23388152 फैक्स	9560414440	जेपीबी एवं 612,–ए विग (शास्त्री भवन)	jsbc-msje@nic.in
संयुक्त सचिव (एसीडी–ए) के निजी सचिव	402	23384284 एसबी 23753403 फैक्स		जेपीबी एवं 612,–ए–विग (शास्त्री भवन)	
सुरेन्द्र सिंह संयुक्त सचिव (समाज रक्षा)	203	23387269 23382072 फैक्स	9431142222	616 ए–विग	jsss-msje@nic.in
संयुक्त सचिव (समाज रक्षा) के प्रधान निजी सचिव	403	23387269		622 ए–विग	
योगिता स्वरुप आर्थिक सलाहकार (प्लान प्रभाग)		24369835 24369838 फैक्स		सीजीओ कम्पलेक्स	ms.sharma@nic.in
आर्थिक सलाहकार के निजी सचिव		24369835 24369838 फैक्स		सीजीओ कम्पलेक्स	
सांख्यिकी प्रभाग (अतिरिक्त प्रभार) **योगिता स्वरुप,** आर्थिक सलाहकार		24369836		सीजीओ कम्पलेक्स	
निजी सचिव				सीजीओ कम्पलेक्स	

निदेशक

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	इन्टर–कॉम	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास/मोबाईल)	कमरा संख्या	ई–मेल पता
अरविन्द कुमार (एससीडी/डीबीटी/कारपोरेट सैल) तथा डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र	220	23388519	9412059607	630 ए–विंग	arvind.k76@gov.in
निदेशक के निजी सचिव (एससीडी/डीबीटी/कारपोरेट सैल)	220	23388519		608 ए–विंग	
संदीप कुमार गुप्ता (एससीडी–ए)	224	23386220	9990006425	643 ए–विंग	sandeep-pan2000@yahoo.in
निदेशक (एससीडी–ए) के वैयक्तिक सहायक	413	23386220		624 ए–विंग	
दीपक मेहरा (एससीडी–V)	201	23383004		636 ए–विंग	depak.mehra36@gov.in
निदेशक (एससीडी–V) के निजी सचिव	401	23383004		624 ए–विंग	
खगेश गर्ग (डीपी), आरएंडआर, नर्मदा परियोजना	219	23383464		633 ए–विंग	khagesh.g@gov.in
निदेशक(डीपी) के निजी सचिव	419	23383464		624 ए–विंग	
दीपक मेहरा एससीडी–ए प्रभाग, (एससीडी.II) एवं IV), एससीडी–बी प्रभाग (एससीडी–V)	201	23383004	9914333900	739 ए–विंग	deepak.mehra36@gov.in
निदेशक (एससीडी–ए) के वैयक्तिक सहायक	401	23383004			
प्रकाश कुमार ताम्रकार, आईएफडी, बजट	333	23381643		739 ए–विंग	
निदेशक के निजी सचिव		23381643		721 ए–विंग	

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	इन्टर–कॉम	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास/ मोबाईल)	कमरा संख्या	ई–मेल पता
सी.एस. वर्मा प्लान		24369839		सीजीओ कम्पलेक्स	
निजी सचिव		24369839		सीजीओ कम्पलेक्स	
तसनीम माजिद गनई (बीसी)	240	23388837		642 ए–विंग	
निदेशक (बीसी) के निजी सचिव	427	23388837		624 ए–विंग	

उप–सचिव

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	इन्टर–कॉम	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास/ मोबाईल)	कमरा संख्या	ई–मेल पता
एस.निकोलस कुजूर एससीडी–बी प्रभाग (एससीडी-I)	230	23070912	9968286888	211 डी–विंग	kujur.nicholas@nic.in
उप–सचिव (एससीडी) के निजी सचिव	230	23070912		253 ए–विंग	
जे.पी. दत्त (बीसी) एवं प्रशासन	214	23073552 23070349 फैक्स	9871523145	637 ए–विंग	jashap.dutt@nic.in
उप–सचिव (बीसी) के वैयक्तिक सहायक		23073552		624 ए–विंग	
टी–पी– मधुकुमार (ऐजिंग)	240	23388837	9810233816	642 ए–विंग	tpm.kumar@nic.in
उप–सचिव (ऐजिंग) के निजी सचिव	240	23388837		642 ए–विंग	

अवर—सचिव

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	इन्टर—कॉम	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास/ मोबाईल)	कमरा संख्या	ई—मेल पता
एम. जेना (एससीडी—II - IV)	236	23385171	25517109	634 ए—विंग	m.jena@nic.in
एस. एस. कुमार (बीसी)	218	23381374	23071374	253 ए—विंग	kumar.ss@nic.in
राजेश कुमार सिन्हा (समन्वय)	245	23073703	9868997852	721 ए—विंग	rajeshkr.sinha@nic.in
प्रवीण कुमार त्रिपाठी (एससीडी-V)	231	23389368		253 ए—विंग	pravin.tripathi@nic.in
पारस कुमार सिंह (एफसी/आरटीआई/लीगल सैल)	232	23389368	9891599080	253 ए—विंग	pk.singh72@nic.in
दीपक कुमार साह (एससीडी—बी)	310	23382857		635 ए—विंग	sahdk.68@nic.in
एन.एस. वेंकटेश्वरन (एससीडी VI , आरआईसी एससीडी—III तथा बीसी—II)	312	23388541		622 ए—विंग	ns.venkatmama@nic.in
हरिओम (सर्तकता/समन्वय/सीआर/रिकार्ड रूम)	213	23389581		622 ए—विंग	hariom.75@gov.in
राजेश कुमार (ऐजिंग I)	233	23388541		622 ए—विंग	rajesh.kumar.dor@nic.in
गोविंद मिश्रा (एसीडी-I)	239	23381641		253 ए—विंग	govind.mishra@nic.in
अशोकन पी.के. (प्रशा.)	238	23382184		240 ए—विंग	asokan.pk14@nic.in
मनोज कुमार झा (प्लान)		24369841		सीजीओ कंपलेक्स	manojk.jha@nic.in
प्रवीण कुमार सिंह (बीसी आयोग)	----	24369842		सीजीओ कंपलेक्स	

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	इन्टर–कॉम	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास/मोबाईल)	कमरा संख्या	ई–मेल पता
योगेश धींगरा एससीडी–V(एनओएस)	237	23070095		740 ए–विंग	yogesh.dhingra@nic.in
विजय कुमार एससीडी-I (बीजेआरसीवाई एवं अनुसूचित जाति के छात्रों का योग्यता उन्नयन)	343	23383342		634 ए–विंग	vijay.kumar77@nic.in
देवेन्द्र सिंह डीपी	237	23070095		740 ए–विंग	devendra.khokhar@nic.in
यश पाल बीसी–II अनुभाग	343	23383342		634 ए–विंग	
आनन्द प्रकाश गुप्ता समाज रक्षा प्रभाग	221	23070095		740 ए–विंग	ap.gupta@nic.in
संजय सिंह आईएफडी व बजट			9810865347	253A ए–विंग	

अनुभाग अधिकारी

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	इन्टर–कॉम	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास/मोबाईल)	कमरा संख्या	ई–मेल पता
ओम प्रकाश स्थापना–I	301	23388184		243 ए–विंग	prakash.om50@nic.in
ओम प्रकाश (अतिरिक्त प्रभार) स्थापना–II	303	23388184		243 ए–विंग	prakash.om50@nic.in
एस.पी. नन्दी सामान्य–I	302	23385082		623-ए ए–विंग	sp.nandi14@nic.in
एस.पी. नन्दी सामान्य–II	304	23385082		623-ए ए–विंग	sp.nandi14@nic.in
ए.के राजपूत सीआर एवं रिकार्ड रूम	308	23386360		646 ए–विंग	sl.bourasi@nic.in

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	इन्टर–कॉम	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास/मोबाईल)	कमरा संख्या	ई–मेल पता
महेश कुमार समन्वय	339	23386981	9818938983	721 ए–विंग	mahesh.kumar60@nic.in
अमित राजन सतर्कता	234	23388580	9311734083	439 ए–विंग	
बी.पी. मीना बजट	317	23073772		242	bpm291@yahoo.in
एस.एल. बौरासी फेसिलिटेशन सेन्टर एंड आरटीआई	309	23389226		गैरज नं.8	
बिनय कुमार एजिंग–I	331	23389268		623 ए–विंग	binay.kumar40@nic.in
संजय कुमार एजिंग–II	332	23387539		623 ए–विंग	sanjay.kumar13@nic.in
बाबू लाल एससीडी–II	314	23384311	9810633455	608 ए–विंग	babu.lal61@nic.in
दयानन्द कुमार डीपी–III	336	23386775	9968535201	623 ए–विंग	daya.nk@nic.in
रणधीर कुमार एससीडी–V (एससी छात्रों के लिए पीएमएस)	324	23384023		240 ए–विंग	randhir.kumar@nic.in
पंकज झा बीसी–I	228	23389474		253 ए–विंग	
बीसी–II	227	23388172		631 ए–विंग	
किशन चन्द बीसी–III	JPB	23753409		JPB	kishanchand.css@gmail.com
चन्द्रगुप्त शौर्य एससीडी–I	320	23384023		240 ए–विंग	c.shaurya@nic.in
नूर अहमद एमपी एससीडी–III	322	23383688		624-ए ए–विंग	Nor.ahamed@nic.in

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	इन्टर–कॉम	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास/मोबाईल)	कमरा संख्या	ई–मेल पता
जे. रविशंकर एससीडी–V	324	23384023		240 ए–विंग	rs.jayaraman@nic.in
कामखानमांग पइते एससीडी–IV	323	23384311		608 ए–विंग	Kamkhanmang.p@nic.in
एसआई एससीडी.VI		23753403		जेपी भवन	
एसआई एससीडी.VI (डीएएफ)		23753403		जेपी भवन	
वी.मोहन दास डीपी–II	335	23073703		721 ए–विंग	v.mohandas@nic.in
एसआई आरआई सैल (सीएसडी–ए)		23753403		JP Building	
कारपोरेट सैल	342	23384311		608 ए–विंग	
एसआई आईएफडी	338	23387651		240 ए–विंग	
सहायक निदेशक (पीसीआर)	329	23386981	25633359	721 ए–विंग	kishorM.tembhurney@nic.in
आरएल सैल		23384311		608 ए–विंग	
संजीव शरण पांडे सहायक निदेशक (प्लान)		24369844		सीजीओ कंप्लेक्स	
उमेश कुमार राम सहायक निदेशक (प्लान)		24369844	9958616605	सीजीओ कंप्लेक्स	Umeshkr.ram@gov.in
अरविन्द पारीक सहायक संपादक, मीडिया/समन्वय	327	23073567		721 ए–विंग	pareekmedia@yahoo.co.in

हिन्दी अनुभाग

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	इन्टर–कॉम	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास/मोबाईल)	कमरा संख्या	ई–मेल पता
उप–निदेशक (रा. भा.)	341	23384583		609 ए–विंग	
अरुणा वोहरा सहायक निदेशक (रा. भा.)	341	23384583		609 ए–विंग	aruna.vohra59@nic.in
संसद अनुभाग					
पारस कुमार सिंह अवर सचिव	422	23388511	9891599080	639 ए–विंग	pk.singh72@nic.in
मीडिया यूनिट					
एस.पी. मिश्रा उप–निदेशक (मीडिया)	340	23381843	9968377338	721 ए–विंग	spm31164@gmail.com
एनआईसी					
पदमावती विश्वनाथन उप–महा निदेशक		24363372 24305598		सीजीओ कंप्लेक्स	padma-vathi@nic.in
अनुभा गोयल वरिष्ठ तकनीकी निदेशक		24369837		सीजीओ कंप्लेक्स	anubhag@nic.in
संजय चौहान पीएसए		24369840		सीजीओ कंप्लेक्स	sanjaychauhan@nic.in
एस.डी. शर्मा पीएसए		24369840		सीजीओ कंप्लेक्स	sharma.sd@nic.in
भुगतान और लेखा कार्यालय					
मदन मोहन प्रधान सीसीए	----	23382697		515 सी–विंग	m_mohan@gov.in
प्रवीन नन्दवाना सीसीए		23380591 (ऑ) 23380593 (फैक्स)		403 सी–विंग	praveen.nandwana@nic.in
अजय चौधरी पीएओ	360	23073246 23073173 (फैक्स)		242 ए–विंग	paosje@gmail.com
हीरा लाल एएओ	360	23073246 23073173 (फैक्स)		242 ए–विंग	

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	इन्टर–कॉम	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास/मोबाईल)	कमरा संख्या	ई–मेल पता
रोकड़ अनुभाग					
उपेन्द्र नाथ पांडेय अनुभाग अधिकारी (रोकड़) – डीडीओ	305	23382895	23746395	242 ए–विंग	upendranath.pandey@nic.in
राकेश कुमार कैशियर	305	23382895	9868212407	242 ए–विंग	rakesh.arora@nic.in
केन्द्रीय रजिस्ट्री					
ए.के. राजपूत अनुभाग अधिकारी	308	23386360		646 ए–विंग	
नाइट ड्यूटी	308	23386360		646 ए–विंग	
सामान्य फैक्स एवं रिकार्ड रूम					
बाबू लाल फैक्स आपरेटर	337	23384918	9013493585	624 ए–विंग	babulal.yadav73@gmail.com
अन्य सामान्य नम्बर					
ड्राइवर रूम	355			गैरज नं. 09	
सम्मेलन कक्ष		23388205		603	
माधुरी कैंटीन	356		9968914214	400 सी–विंग	
रिसेप्शन	357				
सीपीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल		23384265			
सीपीडब्ल्यूडी सिविल		23389797			
उप–कमांडेन्ट, सीआईएसएफ		23384686			
एमटीएनएल शिकायत		23320057 23766682			
फराश (क्लोजिंग एंव ओपनिंग रूम्स)					
राम गिरीश, एमटीएस (फराश)	308		9911012763	646 ए–विंग	

निगम

I. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

14वां तल, स्कोप मिनार, कोर–1+2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–92

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास/मोबाईल)
श्याम कपूर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	22054349 (फैक्स) 22054396 22054347	9868209592
देवानन्द उप–महाप्रबंधक	22054359	9818148784

II. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम

बी–2, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव, पार्ट–II, नई दिल्ली – 110048

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास/मोबाईल)
के. नारायण प्रबंध निदेशक (अतिरक्त प्रभार)	29222708 (फैक्स) 29216330 29224077	
बी.एल. यादव एजीएम	29221331 29216330	9899097167
पी.के. भंडारी उप–महाप्रबंधक	29221331 41437340	9818385726

III. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

5वां तल, 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली – 110016

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास/मोबाईल)
के. नारायण प्रबंध निदेशक	26852624 26850086 (फैक्स)	26526390
ए.के. पुनिया महाप्रबंधक	26569378	0124-24262338 9560513444
अरविन्द कथुरिया महाप्रबंधक	26510227	9810925207
कार्यालय	26511027 26511028 26850086 (फैक्स)	

प्रतिष्ठान

I. डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

15, जनपथ, नई दिल्ली

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास/मोबाईल)	ईमेल
रश्मि चौधरी सदस्य–सचिव	23384259		rashmi.edu@nic.in
श्री डी.पी. मांझी निदेशक	23320571 23320582 (फैक्स)		

II. बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान

9वा तल, जीवन प्रकाश भवन, नई दिल्ली

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास/मोबाईल)	ईमेल
रश्मि चौधरी सदस्य–सचिव	23354275, 23354276 (फैक्स)		rashmi.edu@nic.in
बिर्दी अनुसंधान अधिकारी		9868182620	

विभाग की वेवसाइट

www.socialjustice.nic.in